कुरुक्षेत्र

अप्रैल 1994

तीन रुपये

1994-95 का आम बजट और ग्रामीण विकास

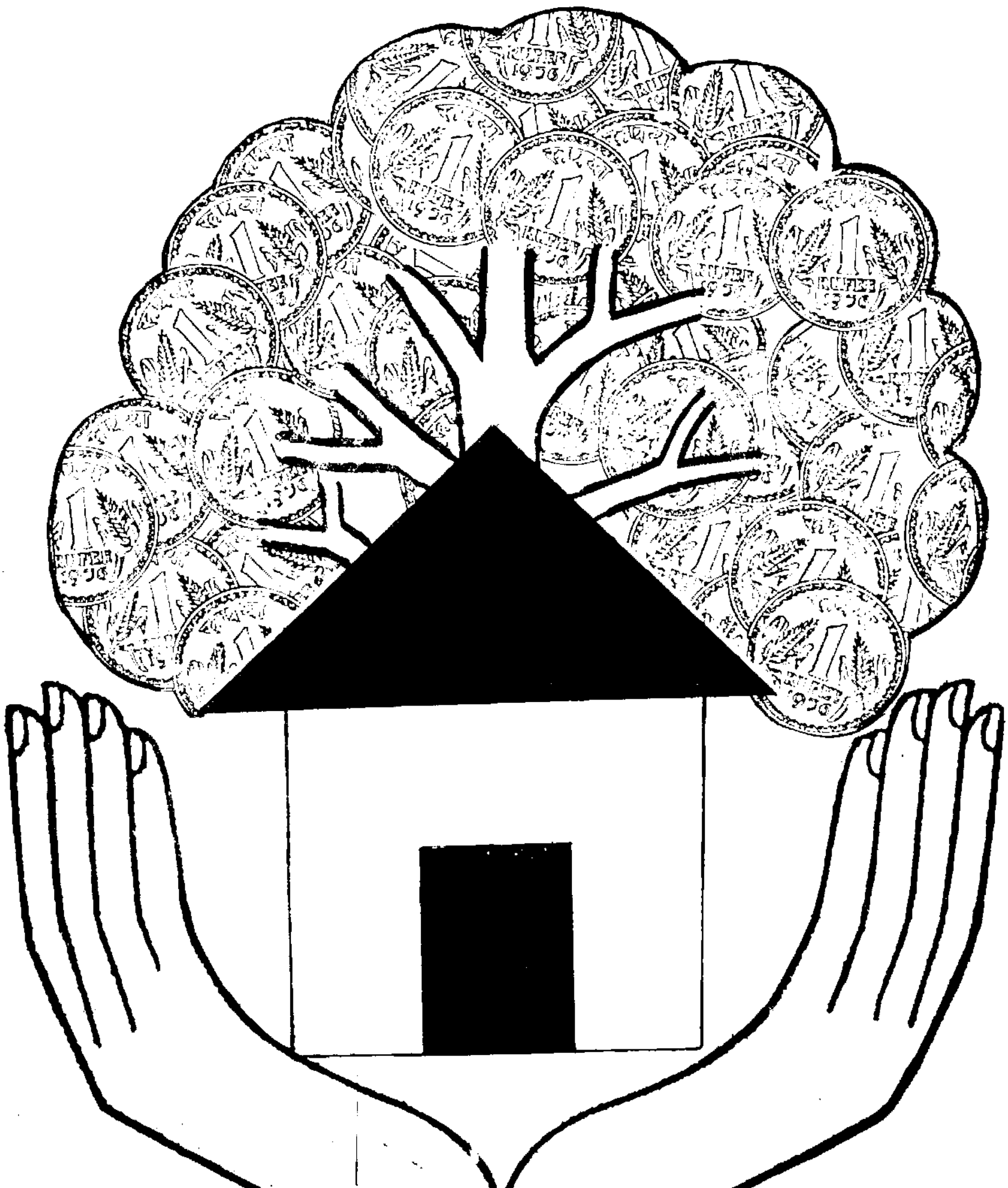

विदेशों में भारतीय दस्तकारी सामान की बढ़ती लोकप्रियता

भारतीय निर्यात में हस्तशिल्प का पहले से ही महत्वपूर्ण स्थान है। नये आर्थिक परिवेश में निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगभग दस वर्षों में इस बार हस्तशिल्प निर्यात में भारी वृद्धि हुई है। 1979-80 में (हाथ से बने कालीनों को छोड़कर) 177 करोड़ रुपये के हस्तशिल्पों का निर्यात बढ़कर 1990-91 में 713 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। कालीनों सहित कुल हस्तशिल्प का निर्यात 1990-91 में 1220 करोड़ रुपये का हुआ। 1991-92 में यह राशि बढ़कर 1810 करोड़ रुपये और 1992-93 में 2404 करोड़ रुपये हो गयी।

हस्तशिल्प निर्यात में प्रति वर्ष औसतन 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष में अप्रैल-नवम्बर तक की अवधि की तुलना में वर्ष 1993-94 की इसी अवधि के दौरान 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

निर्यात किये जाने वाले प्रमुख हस्तशिल्पों में विभिन्न तरह के हस्तनिर्मित कालीन और कलात्मक वस्तुएं जैसे पीतल के बर्तन, लकड़ी के बर्तन, हाथ की छपाई वाले वस्त्र, कढ़ाई और कशीदाकारी की वस्तुएं, शालें एवं जरी के वस्त्र, कृत्रिम आभूषण और विविध हस्तशिल्प शामिल हैं। विदेशों में भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए शिल्पकारों की प्रतिभा और कौशल का बहुत अधिक लाभ उठाये जाने की संभावना है। यूरोप में कृत्रिम आभूषणों, पीतल के बर्तनों, स्प्रे पेंट और सफेद धातु की वस्तुओं की बहुत मांग है।

कुल निर्यात का लगभग 83.4 प्रतिशत ग्यारह प्रमुख देशों को ही निर्यात किया जाता है। ये प्रमुख देश हैं: आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, सऊदी अरब, स्विटजरलैंड, अमरीका और ब्रिटेन। वर्ष 1992-93 में भारतीय दस्तकारी सामान के निर्यात का सबसे बड़ा बाजार अमरीका में प्राप्त हुआ।

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने विदेशों में हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कदम उठाये हैं। इस समय सौ से अधिक देशों में इनका निर्यात किया जाता है और इसीलिए परिषद विदेशों में भारतीय हस्तशिल्पों के कई विशेष मेले आयोजित कर रही है। वास्तव में लकड़ी के बर्तन, हाथ की छपाई के वस्त्र, फीते, पत्थर के बर्तन, संगमरमर, कागज की लुगदी की वस्तुएं, बेंत की वस्तुएं, बांस और चमड़े की वस्तुएं जैसे हस्तशिल्पों के निर्यात की स्थिति उत्साहजनक है।

वर्ष 1993-94 के लिये कालीनों सहित 3050 करोड़ रुपये के मूल्य की दस्तकारी वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभियान और प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। भारतीय डिजाइनकारों की जानकारी बढ़ाने के लिये विदेशी डिजाइनकारों को निमंत्रित किया गया और भारत में कई उत्पादों के लिये डिजाइन कार्यशाला आयोजित की गई।

इस समय, हस्तशिल्प निर्यात क्षेत्र में समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों और बड़ी संख्या में महिलाओं सहित 48 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रमुख मासिक

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए। लघु कथाओं का भी स्वागत है। अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है। 'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने व अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

वर्ष 39 अंक 6 चैत्र-वैशाख 1916, अप्रैल 1994

संपादक	:	**राम बोध मिश्र**
सह संपादक	:	**बलदेव सिंह मदान**
उप संपादक	:	**ललिता जोशी**

उप निदेशक (उत्पादन)	:	**एस.एम. चहल**
विज्ञापन प्रबंधक	:	**बैजनाथ राजभर**
व्यापार व्यवस्थापक	:	**जॉन नाग**
सहायक व्यापार व्यवस्थापक	:	**एडवर्ड बैक**
आवरण सज्जा	:	**आर. के. टंडन**

एक प्रति : तीन रुपये वार्षिक चंदा : 30 रुपये

इस अंक में

1994-95 का आम बजट और ग्रामीण विकास 5
निरूपम

बजट : कितना ग्रामोन्मुख? 7
रामबिहारी विश्वकर्मा

आम आदमी और बजट 10
सुभाष चन्द्र 'सत्य'

बजट से झांकता, मुस्काता किसानी चेहरा 14
सुनील अरोड़ा

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समस्याएं 17
डा० आनन्द तिवारी

सन् 2000 तक सबको शिक्षा का लक्ष्य : संभव है बशर्ते..... 20
डा० मुन्नीलाल

बकरी पालन – एक लाभप्रद व्यवसाय 22
गंगा शरण सैनी

हस्तशिल्प उद्योग : स्वरोजगार में सहायक 26
प्रवीण कुमार मल्लिक

ग्रामीण विकास में पवन ऊर्जा आपरेटरों का योगदान 27
पी. आर. त्रिवेदी

घातक है बैलगाड़ियों की बेहतरी में बेपरवाही 29
डा० राधा मोहन श्रीवास्तव

ग्रामीण बच्चों के विकास में बाधक है बाल-मजदूरी प्रथा 31
डा० राकेश अग्रवाल

उधार : संबंधों में दरार 34
डा० सत्यदेव आजाद

प्यास (कहानी) 36
निभा कुमारी

अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कल्याणकारी कदम 38
विमल बाखला

गर्मी में कम उम्र के पशुओं की व्यवस्था 40
डा० ए. के. शर्मा और डा० एम. ए. अकबर

मधुमक्खी पालन : भिन्न-भिन्न ऋतुओं में प्रबंध 43
डा० आर. सी. सिहाग

प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।
दूरभाष : 384888

क्या आप जानते हैं कि..??

- आप अपनी मस्तिष्कीय क्षमताओं का 10% भी उपयोग नहीं कर रहे हैं.
- इन क्षमताओं के उपयोग में तनिक-सी वृद्धि कर आप चमत्कारिक व्यक्तित्व के स्वामी बन सकते हैं तथा सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच सकते हैं.

मगर कैसे ?

- इस तकनीक से परिचित कराती है आश्चर्यजनक कृति **'इयोमापा'**

इसमें समाहित प्रत्येक अध्याय आपकी विद्वता में क्रमोत्तर वृद्धि प्रदान करता है.

मूल्य : 45/- रूपए

आवश्यक चित्रों से सुसज्जित, आकर्षक मुद्रण, पुस्तक के रूप में यह विशिष्ट पाठ्यक्रम अत्यन्त सुगम, सटीक, संक्षिप्त एवं विश्वसनीय रीति से आपकी विद्वता में उल्लेखनीय वृद्धि करता है.

पावर यूनिट I : आपका मस्तिष्क– ऊर्जा का अनन्त स्रोत

- **'आपका नियन्त्रक अभियन्ता'** मस्तिष्क आपसे अपनी पहचान बढ़ाकर अनेक भ्रान्तियों का स्पष्टीकरण प्रदान करता है.
- **'मस्तिष्क को सुनिये'** तथा अपने मूड की समस्याओं के प्रभावशाली निराकरण में सहयोगी बनाइये.
- **'मस्तिष्क शक्ति प्रवाहक अद्भुत कुँजी'** से अपनी समस्त दुविधाओं के ताले खोलकर सुगमता से सफलता महल में प्रवेश कीजिए.
- **'मानवीय कम्प्यूटर बनिये'** तथा अपनी क्षमताओं को सुपर कम्प्यूटर से भी अधिक त्वरित परिणामदायक बनाइए.

पावर यूनिट II : आपका मस्तिष्क– एक सफलतम प्रतियोगी

- **'अतुलित मानसिक क्षमताओं से पहचान कीजिए'** तथा 'स्वदेश सम्प्रेषण तकनीक, नेत्र अभिगम परिणाम तकनीक जैसी अनेक शक्तिशाली तकनीकों के अतिरिक्त विद्वतावर्द्धक अनेक विलक्षण यौगिक मुद्रा यथा ज्ञान मुद्रा, ज्ञान बिन्दुओं आदि में सहयोग प्राप्त कीजिए.
- **'अपनी स्मृति को सुदृढ़ आधार प्रदान कीजिए'** तथा स्मरण शक्ति को प्रखरता प्रदायक सुगम विधाओं को अपनाइये.
- **'मस्तिष्क पर विश्वास कीजिए'** तथा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सम्मिलित होने की तकनीक जानिये.
- **'आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि कैसे करें'** इस विधा से अविस्मरणीय साक्षात्कार कीजिए.

पावर यूनिट III : मस्तिष्क शक्ति का अधिगम (Learning) में विनियोजन

- **'प्रभावशाली अध्ययन की विलक्षण तकनीक'** जानकर अपनी पठन गति (Reading Speed) में पहले अभ्यास में ही उल्लेखनीय वृद्धि कीजिए तथा पारिधिक दृष्टिक्षेत्र में आश्चर्यजनक विकास कर अपने अध्ययन को प्रभावी बनाइये.
- **'कक्षा में नोट्स लेखन की प्रभावशाली तकनीक'** ऐसी अद्भुत तकनीक से आपका परिचय कराती है जो आपको प्रतिभाशाली व्यक्तित्व में रूपान्तरित कर सकती है.
- **'कक्षा में समय का सर्वाधिक सदुपयोग'** कर आप श्रेष्ठता-सूची (Merit list) में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं.
- **'परीक्षा विजय हेतु अचूक रणनीति'** आपको परीक्षा-प्रतियोगिताओं का सफल सामना करने की कला सिखाती है.

पावर यूनिट IV : मस्तिष्क शक्ति और आपका अभिनव शरीर

- **'जान है तो जहान है'** आपके शरीर के विभिन्न चौकीदारों के अतिरिक्त आपकी स्मृति में वृद्धि करने वाले विशिष्ट पोषण एवं विटामिनों से परिचय कराता है.
- **'कैसे कार्यकुशल रखें इस तन को'** यही नहीं मानसिक अलार्म लगाने की विधि भी जानिये.
- **'जानिये कि आप कितने जागरूक हैं'** तभी तो आप अपनी विद्वता का सटीक आकलन कर प्रभावशाली विकास प्रक्रिया का अनुगमन करने में सफल होते हैं.

परीक्षार्थियों के लिए अत्यावश्यक, इस शक्तिशाली ऊर्जा उपस्कर का प्रयोग कर अपनी सफलता को दुविधा रहित बनाइये

निकट के बुकस्टाल से आज ही खरीदिए अथवा 30 रू. का M. O. भेजकर V.P.P. द्वारा प्राप्त कीजिए.

उपकार प्रकाशन 2/11A, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा–282 002
फोन : 361015, 51002; फैक्स : (0562) 361014

पाठकों के विचार

''कुरुक्षेत्र'' का फरवरी अंक हस्तगत हुआ। वस्तुतः भारत में गरीबी निवारण से जुड़े सभी पहलुओं पर पर्याप्त जानकारी समाहित की गई है। सच पूछा जाय तो इस अंक का नाम 'ग्रामीण गरीबी निवारण विशेषांक' रखा जाना चाहिए था।

सुन्दर-सुन्दर गांवों का देश कहा जाने वाला हमारा जग प्रसिद्ध भारतवर्ष आज गरीबी की भयंकरतम परिस्थितियों से त्रस्त है। गरीबी के संत्रास ने ही विकास, शिक्षा और प्रगति पथ के ज्ञानाभाव में अनेक लोगों को असामाजिक गतिविधियों में लिप्त व मगन होने को विवश किया है। दरअसल भारत की आजादी के बाद भी एक लंबा सफर पूरा हो चुका है परंतु इसके बावजूद भी इसकी विकासशील प्रक्रिया गरीबी की चौखट को लांघ न सकी है एवम् भारत के साथ गरीबी का अत्यन्त करीबी संबंध रहा है। विश्व के इस महानतम जनतांत्रिक देश में भला फुर्सत किन्हें है – गरीबी पर चर्चा, परिचर्चा, संगोष्ठी आदि करने की। गरीबी पर नियंत्रण हेतु, इक्कीसवीं सदी की चकाचौंध में भागते-दौड़ते व्यक्तियों को रुकना होगा और देखना होगा अपने अतीत की ओर। झांकना होगा अपने अतीत की गलतियों में। आज समय आ गया है कि ग्रामीण व शहरी गरीबी को दूर करने हेतु हरेक भारतीय दृढ़ संकल्पित हो एक ऐसे समाज की स्थापना हेतु - ''जहां कोई गरीब न हो।''

कुमार पुष्पेश रंजन ''पुन्नू''
नरकटिया निवास, 37 स्वामी विवेकानंद पथ,
आदमपुर चौक, भागलपुर - 812001
(बिहार)

''कुरुक्षेत्र'' के फरवरी, 1994 अंक की मानार्थ प्रति मिली। धन्यवाद! ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण विकास तथा गांवों की समस्याओं और समाधान पर इस अंक में बहुत ही पठनीय सामग्रियां सकलित हैं।

इस अंक को पढ़ने के बाद मुझे रवीन्द्र नाथ ठाकुर के वे लेख बरबस स्मरण आ गये, जिनमें उन्होंने ''पल्ली पुनर्निर्माण'' पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। रवीन्द्र नाथ के इसी पल्लो-प्रेम के कारण डा० एल्महर्स्ट ने उन्हें ''हलवाहा कवि'' कहा था।

जब तक हमारा विकास ग्राम-भित्तिक नहीं होगा, तबतक गांवों के देश इस भारत का सही और सार्थक विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए भारत में आज विकास को लोक-बल से जोड़ने और विकास को अधिक से अधिक समता-मूलक तथा न्याय-निष्ठ बनाने की आवश्यकता है।

(डा० कुमार विमल)
अध्यक्ष, बिहार अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड, पटना
पूर्व अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग,
96, एम० आई० जी० एच०,
लोहिया नगर, पटना - 800020

दिसम्बर 93 अंक में सुरेन्द्र लिखित ''बेरोजगारी समाधान के लिए मानसिकता में बदलाव जरूरी'' लेख विचारोत्तेजक था। साधुवाद। वस्तुतः हमारी बेरोजगारी की अवधारणा बदल गई है--हम रोजगार का अर्थ सरकारी नौकरी समझते हैं। यह एक घातक मानसिकता है।

आज सबसे अधिक आवश्यकता है - काम करने की आदत डालने की। पूर्वी देशों ताइवान, कोरिया, जापान, थाईलैंड तथा चीन आज आर्थिक शक्ति बन कर उभरे हैं। उनकी आर्थिक प्रगति का सर्वप्रथम कारण है - अधिकाधिक परिश्रम। भारत में संसाधनों की कमी नहीं है - हमें परिश्रम की आदत डालनी चाहिए। हम जहां हों हमें काम करना चाहिये। इससे बेरोजगारी की समस्या तो कम होगी ही, देश की प्रगति और विकास में नागरिकों का अधिकाधिक योगदान भी होगा। बेरोजगारी का ढकोसला कर न हम अपना भला कर सकते हैं न देश का। हमारा मूलमंत्र होना चाहिए श्रमेव जयते।

कमलेश किशोर सिंह
6, कीर्तिभवन, उर्दू बाजार,
भागलपुर - 812002

(शेष पृष्ठ 45 पर)

अप्रैल 1994

प्रतियोगिता सम्राट

प्रतियोगिता जगत का संपूर्ण मासिक

15/-

पृष्ठ 132

सिविल सर्विसेज (प्रा.) परीक्षा विशेषांक

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए

शुल्क :
प्रति अंक 15/-;
वार्षिक 150/-
अपना वार्षिक शुल्क/ आर्डर निम्न पते पर भेजें :

दीवान पब्लिकेशंज़ प्रा. लि.
I.-I. कंचन हाउस,
नजफगढ़ रोड कमर्शियल कॉम्पलेक्स,
नई दिल्ली-110015

विशेष अध्ययन सामग्री :

राष्ट्रीय आंदोलन

700 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

भारतीय इतिहास : वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उ.प्र. पी.सी.एस. 1992 (भारतीय इतिहास) हल प्रश्न पत्र , म.प्र. पी.सी.एस. 1993 (भारतीय इतिहास) हल प्रश्न-पत्र, राजस्थान पी.सी.एस. 1993 (भारतीय इतिहास) हल प्रश्न-पत्र, उ.प्र. पी.सी.एस. 1992 (सामान्य अध्ययन) हल प्रश्न-पत्र

संदर्भ/ आलेख :

'अग्नि' का सफल प्रक्षेपण * अंतरिक्ष में 'हबल' दूरदर्शी की रोमांचक मरम्मत * कपिल देव : हसरत पूरी हुई * शेयर बाजार, 'सेबी' तथा देशी-विदेशी निवेशक * भारत-जर्मन संबंधों में प्रगाढ़ता के साथ क्षेत्र विस्तार * बाहुबली महामस्तकाभिषेक

विशेष परिशिष्ट ; बजट

रेल बजट 1994-95, केन्द्रीय बजट 1994-95,
बजट पूर्व की आर्थिक समीक्षा 1993-94

परीक्षा परिशिष्ट :

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित आडिटर/ यू.डी.सी. परीक्षा 1992 का हल प्रश्न-पत्र (गणितीय योग्यता) , बी.एस.आर.बी. लखनऊ द्वारा आयोजित लिपिकीय परीक्षा हेतु हल प्रश्न-पत्र (गणितीय योग्यता) , सहायक ग्रेड परीक्षा 1993 का हल प्रश्न-पत्र (तर्क शक्ति परीक्षण) , बी.एस.आर.बी.पी.ओ. (पश्चिमी समूह) बम्बई 1993 का हल प्रश्न-पत्र (सामान्य ज्ञान) , कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर निरीक्षक आदि परीक्षा 1993 का हल प्रश्न-पत्र 1993 (सामान्य ज्ञान)

सहयोगी प्रकाशन

क्रिकेट सम्राट नन्हे सम्राट

1994-95 का आम बजट और ग्रामीण विकास

✍ निरूपम

1994-95 के आम बजट में ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित खर्च में 40 प्रतिशत की भारी वृद्धि करके सरकार ने गांवों के विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुष्टि कर दी है। इससे सरकार पर लगाये जा रहे ये आरोप भी निराधार साबित हो जाते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में आकर सामाजिक विकास की अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। आर्थिक संसाधनों की कमी के बावजूद ग्रामीण विकास के खर्च में बढ़ोत्तरी से यह बात साबित हो गयी है कि गांवों का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है और वह ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की स्थिति में सुधार के लिए हर संभव प्रयास करना चाहती है।

दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का तकाजा भी है। हमारे देश की करीब 60 करोड़ आबादी गांवों में रहती है। अगर हमें सही अर्थ में देश का विकास करना है तो इस बहुसंख्यक समुदाय की ओर ध्यान देना ही होगा। विदेशी शासनकाल में भारत में गांवों की घोर उपेक्षा हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि जो गांव कभी अपने आप में आत्म-निर्भर इकाई हुआ करते थे, उनकी दशा बिगड़ती चली गयी। विकास तो दूर रहा, हमारे गांव बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित होते चले गये।

स्वतंत्रता के बाद एक बार फिर गांवों की ओर सरकार का ध्यान गया। देश में योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया शुरू होने पर ग्रामीण विकास और कृषि को काफी महत्व दिया गया। दरअसल ग्रामीण विकास को कृषि के विकास से अलग नहीं किया जा सकता। गांवों की अधिसंख्यक आबादी आजीविका के लिए खेतीबाड़ी पर निर्भर है। इसीलिए हमेशा की तरह इस बार भी ग्रामीण विकास के साथ कृषि के विकास की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

वित्तमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी को संसद में अपने बजट भाषण में इस वर्ष का बजट तैयार करने में जिन बातों का विशेष ध्यान रखने की बात कही है उनमें ग्रामीण विकास भी शामिल है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली देश की अधिकांश आबादी को प्रभावित करने वाली गरीबी, बेरोजगारी तथा सामाजिक पिछड़ेपन की समस्या को दूर करने के लिए उपयुक्त नीतियां तथा कार्यक्रम अपनाए गए हैं। दरअसल ये ही वे बाधाएं हैं जो हमारे गांवों के विकास का रास्ता रोके हुए हैं। वित्तमंत्री ने इनको सुलझाने के लिए नीतियों में बदलाव का जो संकेत अपने बजट भाषण में दिया है, उससे देहात के लोगों के जीवन में नये सवेरे की उम्मीद की जा सकती है।

डाक्टर मनमोहन सिंह ने ग्रामीण विकास की नीतियों में परिवर्तन का संकेत देने के साथ-साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों में भारी बढ़ोत्तरी कर एक ठोस शुरूआत भी की है। अगले वित्त वर्ष में उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए 70 अरब 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो वर्ष 1993-94 के मुकाबले 20 अरब रुपये अधिक है। वर्ष 1992-93 में ग्रामीण विकास के लिए 31 अरब रुपये की निर्धारित राशि के मुकाबले 1994-95 का प्रस्तावित खर्च उसके दो गुने से अधिक है जो कि काफी महत्वपूर्ण बात है।

ग्रामीण विकास के खर्च में वृद्धि के साथ-साथ इस क्षेत्र से संबद्ध विभिन्न कार्यक्रमों के लिए धनराशि बढ़ायी गयी है। गांवों की आज की एक बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। जमीन पर बोझ इतना बढ़ता जा रहा है कि कृषि लाभप्रद व्यवसाय नहीं रह गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग-धन्धों की कमी से समस्या और जटिल होती जा रही है। हर साल लाखों लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए बेरोजगारी की समस्या सुलझायी जा सकती है। इसी तरह का एक कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना है। इसके लिए 1994-95 के बजट में 38 अरब 55 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो 1993-94 के लिए निर्धारित 33 अरब 6 करोड़ रुपये के मुकाबले 5 अरब 49 करोड़ रुपया ज्यादा है। वित्तमंत्री के अनुसार इस राशि से साल में एक अरब 15 करोड़ श्रम दिवसों के बराबर रोजगार के अवसर जुटाए जा सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार से संबंधित एक अन्य कार्यक्रम पिछले साल 15 अगस्त को लागू किया गया था। सुनिश्चित रोजगार योजना नाम के इस कार्यक्रम को देश के 1,752 विकास खंडों में लागू किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम पर 6 अरब रुपये खर्च किये गये जबकि अगले साल इस पर खर्च की जाने वाली राशि बढ़ाकर दुगनी यानि 12 अरब रुपये कर दी गयी है। निश्चय ही इससे गांवों के लोगों को फायदा होगा।

उद्योग, सेवा तथा व्यावसायिक उद्यमों के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की "प्रधानमंत्री की

रोजगार योजना'' पिछले वर्ष गांधी जयंती पर शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत सात लाख छोटे उद्यमों की स्थापना कर देश के लगभग दस लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। चालू साल में इसे शहरी इलाकों में चलाया जा रहा है जबकि अगले वित्त वर्ष में समूचे देश में इसके विस्तार की योजना है। इसके लिए बजट में 1 अरब 45 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्रामीण विकास से घनिष्ठ रूप से जुड़ा क्षेत्र है कृषि। इसके लिए 1994-95 के बजट में 20 अरब 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। स्वाभाविक है कि इससे देश में कृषि के साथ-साथ ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। देश में बागवानी के विकास की व्यापक संभावना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आठवीं योजना में इस पर विशेष बल देने का फैसला किया है। इसी के तहत बागवानी के लिए वार्षिक योजना खर्च 42 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। चालू वित्त वर्ष में बागवानी के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपये निर्धारित थे जबकि अगले साल यह राशि बढ़कर 1 अरब 84 करोड़ रुपये हो जाएगी।

कृषि के विकास में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश में कृषि उत्पादकता के निम्न स्तर का एक कारण यह भी है कि हम आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के उपयोग में पीछे हैं। भारत जैसे देश में जहां जल संसाधन सीमित हैं तथा सिंचित क्षेत्र काफी सीमित है, सिंचाई की ''ड्रिप'' प्रणाली काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है।अगले वर्ष के बजट में ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 45 करोड़ रुपये रखे गये हैं। हालांकि देश के आकार को ध्यान में रखते हुए यह राशि पर्याप्त नहीं है, फिर भी सरकार ने इस क्षेत्र में पहल की है, इसलिए इसका स्वागत होना चाहिए।

भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। इन लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम है इसलिए सरकार इन्हें उचित दर पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए अनाजों आदि की कीमतों पर नियंत्रण रखती है। इसके लिए सरकार की ओर से खाद्य सबसिडी के रूप में काफी बड़ी राशि दी जाती है। किसानों को भी उर्वरकों पर सबसिडी देने की व्यवस्था है। अगले वित्त वर्ष के बजट में दोनों के लिए 40-40 अरब रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा।

कृषि के विकास में सबसे बड़ी बाधा किसानों को वित्तीय संस्थाओं से समय पर पर्याप्त ऋण न मिलने की है। वित्तमंत्री के अनुसार इसका कारण बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की ऊंची ब्याज दर, संस्थागत ढांचे की कमजोरी तथा ऋण और ब्याज दर संबंधी उपयुक्त नीति का न होना है। उन्होंने इस कमी को दूर करने के लिए बजट में कई प्रस्ताव किये हैं। इनके अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी में 2 अरब रुपये की बढ़ोतरी करके उसे आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाया जा रहा है ताकि वह ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसमें से एक अरब रुपया भारतीय रिजर्व बैंक उपलब्ध कराएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कमजोरियों की वजह से भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देश में कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जिनमें से हर साल लगभग 150 घाटा दिखाते हैं। इनकी दशा में सुधार के लिए दीर्घकालीन उपायों की जरूरत है। अगले साल के बजट में इसके लिए भी व्यवस्था की गयी है। सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हाल के वर्षों में इनके द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में भारी बढ़ोतरी हुई है। 1992-93 में सहकारी संस्थाओं ने 62 अरब 95 करोड़ रुपये के ऋण दिये जबकि 1993-94 में यह राशि बढ़कर 85 अरब हो गयी। अगले वर्ष इसके 96 अरब हो जाने की संभावना है। यह वृद्धि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया तेज करने में काफी सहायक सिद्ध हो सकती है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक,नाबार्ड,सहकारी प्रणाली में सुधार करने की दिशा में प्रयत्नशील है। वित्तमंत्री के अनुसार सरकार सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय कर रही है। इनसे देश में सहकारिता आंदोलन के साथ-साथ ग्रामीण विकास के कार्यों में नई तेजी आएगी।

गांवों में रहने वाले किसानों की एक बड़ी समस्या ऋणग्रस्तता की है। कृषि के वर्षा पर निर्भर होने तथा अन्य कारणों से किसान अपने कर्ज नहीं चुका पाते हैं। इस तरह ब्याज रूप में उन पर ऋणों का बोझ बढ़ता जाता है। वित्तमंत्री ने उन्हें इससे राहत दिलाने के लिए अगले साल के बजट में 3 अरब 41 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की घोषणा की है।

इसके अलावा वित्तमंत्री ने देश में बैंकिंग प्रणाली में सुधार करने और उसे सुदृढ़ बनाने की भी अपने बजट भाषण में घोषणा की है। हालांकि सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। लेकिन

शेष पृष्ठ 9 पर

बजट : कितना ग्रामोन्मुख?

✍ रामबिहारी विश्वकर्मा

हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर हमेशा जोर दिया जाता रहा है। देश में औद्योगिक विकास की रफ्तार में काफी तेजी आई है और उसके लिए केन्द्र में सत्तारूढ़ सरकार ने पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई है। देश की आबादी का अधिकांश भाग अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहता है और वह प्रायः खेतीबाड़ी से ही अपनी आजीविका चलाता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त धनराशि का आबंटन आवश्यक है। इस बार पिछली 28 फरवरी को प्रस्तुत केन्द्रीय आम बजट में ग्रामीण विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह बात अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में ग्रामीण विकास की राशि में पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक राशि के आबंटन से स्पष्ट है। वर्ष 1994-95 के आम बजट में ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित धनराशि बढ़ाकर 70 अरब 10 करोड़ रुपये कर दी गई है जबकि 1993-94 के बजट में 50 अरब 10 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इस तरह पिछले वर्ष के मुकाबले ग्रामीण विकास के लिए 20 अरब रुपये से अधिक रकम की व्यवस्था की गई है। सरकार ने यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, ग्रामीण निर्धनता को कम करने और पूंजी-निर्माण को ध्यान में रखकर की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना किसी भी सरकार के लिए प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया है ताकि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी किसानों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है। ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने की एक स्कीम शुरू की गई है जिससे वे अपना रोजगार स्वयं शुरू कर सकें। इसके लिए युवकों को छात्रवृत्तियां और टूल किट निःशुल्क दिए जाते हैं। उद्योग, सेवा और व्यवसाय के माध्यम से देश में सात लाख छोटे उद्यम खोलने का कार्यक्रम अपनाया गया है। देश में 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की रोजगार योजना शुरू की गई थी। इसके लिए वर्ष 1994-95 में 1 अरब 45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को नई सुनिश्चित रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसे देश के 1,752 विकास खण्डों में लागू किया जा रहा है। इसके लिए 12 अरब रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि 1993-94 में इस उद्देश्य के लिए 6 अरब रुपये ही निर्धारित किए गए थे। इस प्रकार इसके लिए निर्धारित रकम में पिछले साल की तुलना में दुगुनी वृद्धि हुई है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त पुरुषों और महिलाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना प्रमुख उद्देश्य है। ऐसे 120 जिलों में जवाहर रोजगार योजना को तीव्र करने का प्रयास किया जा रहा है जहां पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जवाहर रोजगार योजना के लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में 38 अरब 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि 1993-94 के बजट में 33 अरब 6 करोड़ रुपये की ही व्यवस्था थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना एक प्रमुख आवश्यकता है। 1986 में इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पेयजल निगम बनाया गया था। इसका उद्देश्य सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की विभिन्न समस्याओं पर नियंत्रण रखते हुए गांवों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। अब इस योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना रखा गया है। इस योजना के साथ-साथ त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना शुरू की गई है। इसके लिए 1994-95 के बजट में एक अरब 50 करोड़ रुपये बढ़ा दिए गए हैं। यह भी निश्चय किया गया है कि अगले वित्त वर्ष के दौरान एक अरब 15 करोड़ श्रम दिवस के बराबर रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 23 लाख 50 हजार ग्रामीण परिवारों को सहायता दी जाएगी। इस पर 8 अरब 90 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के साथ-साथ सिंचाई का भी गहरा सम्बन्ध है। बजट अनुमानों के अनुसार 2.04 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन पानी के विभिन्न कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए बिजली बहुत आवश्यक माध्यम है। इसके लिए निश्चय किया गया है कि अगले वित्त वर्ष के दौरान 2 हजार 510 गांवों का विद्युतीकरण किया जाए और 2 लाख 27 हजार पम्पसेटों को बिजली उपलब्ध

कराई जाए। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में 3 अरब 16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ड्रिप सिंचाई के लिए 44 हजार 800 हेक्टेयर भूमि को चुना गया है। लघु सिंचाई के कार्यक्रमों पर अगले वित्त वर्ष में 65.38 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जबकि बड़ी और मझोली सिंचाई योजनाओं के लिए 21.99 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत भूमि सुधार को विशेष महत्व दिया गया है। भूमि रिकार्डो के कम्प्यूटरीकरण तथा उनको अद्यतन बनाने के लिए 39 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए संचार सम्पर्क की आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जाती रही है। इस उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रमुख गांवों को अगले दो वर्षों में सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। कई क्षेत्रों में प्रायः बाढ़ आ जाती है और उससे फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इस उद्देश्य के लिए 48 करोड़ 81 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ताकि बाढ़ नियंत्रण और जल-नियंत्रण सम्बन्धी कार्यों को निर्धारित समय के अन्दर पूरा किया जा सके। कमान क्षेत्रों के विकास के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इन सब कार्यों के लिए एक अरब 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए निर्धारित रकम में भी पर्याप्त वृद्धि की गई है। इसके अलावा दस लाख कुंओं की योजना बनाई गई है और इसे देश के 80 प्रतिशत जिलों में लागू किया जाएगा। इसका काम ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। केन्द्र सरकार ने मरुभूमि क्षेत्र विकास की भी योजना शुरू की है। इस पर केन्द्र और राज्य सरकारें 50-50 प्रतिशत के अनुपात में योगदान करेंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता रहा है। इसकी शेयर पूंजी को बढ़ाने के लिए एक अरब रुपये की व्यवस्था की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक भी नाबार्ड को लगभग इतनी ही रकम उपलब्ध करायेगा। इससे नाबार्ड की शेयर पूंजी बढ़कर तिगुनी हो जाएगी। इस तरह यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगा। लेकिन प्रायः देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का कामकाज अपेक्षित ढंग से नहीं चल रहा है। पिछले पांच वर्षों में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 150 बैंकों में घाटा रहा है। कई बैंकों ने तो अपनी इक्विटी और सुरक्षित भण्डार को भी गवां दिया है और कई बैंकों में जमा राशियों में भी हानि हो रही है। ऐसी स्थिति में इन बैंकों को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से उन्हें फिर से पुनर्गठित करना आवश्यक है। अगले वित्त वर्ष के दौरान 50 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों के कामकाज में सुधार लाने के लिए उनकी पुनर्संरचना करने का निश्चय किया गया है। अगले वित्त वर्ष के दौरान यदि इन क्षेत्रीय बैंकों के कामकाज में सुधार आ जाता है तो इनके अनुभवों से अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामों में भी सुधार लाने के लिए सूत्र मिल सकेगा। इन कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ बनाना ही प्रमुख उद्देश्य है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है क्योंकि इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विकास संभव है। 1992-93 के दौरान सहकारी समितियों के लिए 62 अरब 95 करोड़ रुपये रखे गए थे जबकि 1993-94 में यह राशि 85 अरब रुपये तक हो गई और 1994-95 के दौरान इसे बढ़ाकर 96 अरब रुपये कर दिया गया है।

कृषि के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन, डेरी विकास, मत्स्य उद्योग और वानिकी की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को डेरी उद्योग के संचालन का कार्य सौंपा गया है जो पशुपालकों को इस दिशा में अपना करोबार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन तथा योगदान करता है। यह बोर्ड 84 लाख 50 हजार दुग्ध उत्पादक परिवारों को सहायता देने के लिए अपने कार्यक्रम चला रहा है। दूध देने वाले पशुओं में प्रजनन सुधार के विभिन्न कार्यकलापों में भी यह बोर्ड योगदान करता है। इसके लिए 2.25 अरब रुपये का प्रावधान रखा गया है। अगले वित्त वर्ष के बजट में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस उद्देश्य के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को 25 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। इस रकम से जनजातीय परिवारों को 2 लाख 27 हजार बिजली के कनेक्शन दिए जाने का कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत हर घर में एक-एक बल्ब लगाया जाएगा। किसानों को चावल, गेहूं, तिलहन और दालों की फसलें उगाने के लिए फसल ऋण भी प्रदान किये जा रहे हैं। अत्यन्त छोटे किसानों को सहायता राशि का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार और 50 प्रतिशत सम्बद्ध राज्य सरकार देती है। इस प्रकार किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसानों को अपनी उपज का वाजिब लाभ मिले, इसके लिए उन्हें बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने का भी निश्चय किया गया है ताकि किसान अपनी तैयार फसलों को ऐसी मण्डी में पहुंचा सके जहां पर उन्हें अपनी फसल का लाभकारी मूल्य मिल सके। सरकार ने इसके लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार

की व्यवस्था तैयार करने का निश्चय किया है जिससे किसानों को अपनी तैयार फसल का निर्यात करने के लिए कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस कार्य के लिए सहकारी समितियों की भी सहायता ली जा रही है और उन समितियों की ऋण देने की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है।

बागवानी विकास पर भी इस बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इसके आबंटन में 42 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस प्रकार ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सरकार ने अगले वित्त वर्ष के बजट में जो प्रावधान किए हैं उससे ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रति सरकार दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है जैसा कि बजट के विभिन्न आवंटनों से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है।

103-एच, सेक्टर-4,
डी. आई. जेड एरिया, नई दिल्ली-110007

पृष्ठ 6 का शेष

यह ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो पाया है। गांवों के लोगों की अक्सर यह शिकायत रही है कि सरकारी बैंकों से कर्ज लेना बड़ा कठिन कार्य है। बैंकों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से जो कार्यक्रम शुरू किया है उसके तहत अगले वर्ष के बजट में 56 अरब रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंकों को पूंजी बाजार में शेयर बेचकर पैसा जुटाने की भी छूट देने की शुरूआत हो चुकी है। इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थिति तथा उनकी कार्यप्रणाली में सुधार होने की संभावना है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो सकेंगे।

इन सब उपायों से तो ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा फायदा मिलेगा ही, बजट में की गयी कई अन्य घोषणाओं का लाभ भी गांवों के लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए उद्योग तथा अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश पर ब्याज दरों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर 15 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दी गयी है। इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिलेगा।

बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उद्योग और व्यापार को व्यापक रियायतें दी गयी हैं। उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क, आयात-शुल्क आदि के ढांचे में परिवर्तन कर उसे काफी तर्कसंगत बना दिया गया है। इसका फायदा उत्पादन लागत में गिरावट और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी मिलेगा।

बजट में लघु उद्योग छूट योजना में जिन परिर्वतनों की घोषणा की गयी है उससे ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा होगा। अब तक 75 लाख रुपये तक की लागत पर पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयां ही मूल्य-रियायत का फायदा उठा पाती थीं। अपंजीकृत इकाइयों के लिए यह सीमा 30 लाख रुपये की थी। अब यह भेदभाव सामाप्त कर दिया गया है और पंजीकृत तथा अपंजीकृत, सभी लघु औद्योगिक इकाइयों को यह फायदा मिलने लगेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा क्योंकि इन क्षेत्रों की अधिकतर इकाइयां अपंजीकृत श्रेणी में आती हैं। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाने वालों को करों में रियायत देने की योजना की अवधि आगे बढ़ाये जाने से भी ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा होगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिक संख्या में उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकृष्ट होंगे और वहां उद्योग-धंधे लगाएंगे। इससे गावों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उनका विकास हो सकेगा। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के खर्च में वित्तमंत्री ने बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। निश्चय ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसमें भी भागीदार बनेंगे।

कुल मिलाकर 1994-95 का बजट ग्रामीण विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बजट कहा जाएगा। इसमें गांवों के विकास के कार्यक्रमों के लिए खर्च में बढ़ोतरी की गयी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में यह भावना बढ़ेगी कि नये आर्थिक माहौल में सरकार को गांवों के विकास का पूरा ख्याल है। आज दुनिया का सामाजिक-आर्थिक माहौल जिस तरह से बदल रहा है उससे यह आशंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि सरकार ग्रामीण विकास की प्राथमिकता को बदल सकती है। लेकिन अगले वर्ष के बजट से यह बात साफ हो जाती है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को अब भी पूरा महत्व दे रही है। इस क्षेत्र की प्राथमिकता और महत्व को कम करने का उसका कोई इरादा नहीं है।

बी-1/1388, बसंतकुंज,
नई दिल्ली-110070

आम आदमी और बजट

✍ सुभाष चन्द्र 'सत्य'

हर वर्ष संसद में बजट का पेश होना ऐसी घटना है जिसकी सभी वर्ग उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। वास्तव में इसके साथ लोगों की आशाएं और आशंकाएं जुड़ी होती हैं क्योंकि बजट प्रस्ताव उन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तकनीकी अर्थों में बजट केन्द्र सरकार के वार्षिक अल्प व्यय का लेखा-जोखा ही होता है परन्तु इसमें सरकार के आर्थिक चिन्तन और नीतियों की भी झलक मिलती है। केन्द्र सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण की जो प्रक्रिया प्रारम्भ की थी वह उसके बाद से पेश किए गए बजटों में परिलक्षित हुई है। 1994-95 के बजट में उस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने की सरकार की इच्छा दिखाई दी है। यद्यपि बजट से पहले कई आवश्यक वस्तुओं के सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों में वृद्धि की घोषणा के कारण निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों की बजट प्रस्तावों में उतनी रुचि नहीं रही थी। बजट पर सबकी निगाहें यह जानने के लिए लगी थीं कि उदारीकरण की नीति को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा या उसकी गति में कुछ धीमापन आएगा। विशेषकर इसलिए कि हाल में डावोस में विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आर्थिक सुधारों को सावधानी से आगे बढ़ाया जाएगा। वित्तमंत्री ने 28 फरवरी 1994 को लोक सभा में अपने बजट भाषण में जिस विश्वास के साथ कर ढांचे में भारी फेरबदल के साहसिक निर्णयों की घोषणा की, उससे साफ हो गया कि सरकार आर्थिक उदारीकरण की लगभग तीन वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गई प्रक्रिया को निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए कृत संकल्प है।

कृषि और ग्राम विकास

बजट में कर ढांचे में सुधार के उपाय मुख्यतया व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योगों से सम्बंधित हैं क्योंकि सरकार की मूल प्राथमिकता इस समय आर्थिक गतिविधियों पर पिछले कई वर्षों से कसा गया नियम-कायदों तथा करों का शिकंजा ढीला करना है। इसलिए सीमा शुल्कों तथा उत्पादन शुल्कों की दरों को कम किया गया है और करों को युक्तिसंगत बनाया गया है। अगले वर्ष के बजट में कृषि तथा ग्रामीण विकास की ओर भी समुचित ध्यान दिया गया है। खाद्यान्न तथा उर्वरक पर 8,000 करोड़ रुपये की सबसिडी के प्रावधान से यह आशंका गलत साबित हो गई है कि इस बार सबसिडी पर भारी प्रहार होने वाला है। इसके अलावा फास्फेट तथा पोटाश उर्वरकों के लिए 692 करोड़ रुपये की तदर्थ सबसिडी पहले ही दी जा चुकी है। चालू वर्ष की 9,600 करोड़ रुपये की सबसिडी से यह कुछ ही कम है। उर्वरक तथा खाद्यान्न के लिए इतनी सबसिडी की व्यवस्था से किसानों को पर्याप्त राहत मिलेगी।

बजट की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें सामाजिक क्षेत्रों के लिए चालू वर्ष की तुलना में कहीं अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 7,010 करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह राशि चालू वर्ष के प्रावधान से 40 प्रतिशत अधिक है। पिछले दो वर्षों में ग्रामीण विकास के लिए राशि दुगुनी से भी अधिक हो गई है। इससे इस आरोप का स्वतः खंडन हो जाता है कि नई अर्थव्यवस्था में ग्रामीण तथा आम आदमी के हित के विभिन्न पहलू उपेक्षित होते जाएंगे। गांवों में बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से सुनिश्चित रोजगार योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इससे 257 जिलों के 1,752 ब्लाकों में अकुशल व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा। इसी प्रकार जवाहर रोजगार योजना पर 3,855 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे तथा 115 करोड़ कार्य दिवसों का रोजगार जुटाया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सुनिश्चित रोजगार योजना के लिए 145 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिससे 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को अपना व्यवसाय स्वयं शुरू करने के लिए सहायता दी जाएगी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत साढ़े तेइस लाख ग्रामीण परिवारों को मदद देने के काम पर अगले वित्त वर्ष के दौरान 624 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इन परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के प्रयास किए जाएंगे। 2,510 गांवों में बिजली पहुंचाने तथा 2.27 लाख पंप सेटों को बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। पेय जल की समस्या वाले गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था पर 890 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है।

वित्तमंत्री जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व पर बल देते हुए अगले वित्त वर्ष में इस क्षेत्र के लिए 2,005 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया। उन्होंने 44,800 हेक्टेयर भूमि के सिंचाई की व्यवस्था करने का लक्ष्य तय किया है। एक अन्य योजना के अन्तर्गत मछली पकड़ने की 4,000 नौकाओं को मोटरचालित बनाया जाएगा तथा 8.5 लाख मछुआरों का सरकार द्वारा प्रीमियम की आदायगी करके बीमा कराया जाएगा। इन सभी प्रयासों से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसरों की व्यवस्था होगी वहां कृषि उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप किसानों

और खेतिहर मजदूरों का जीवन-स्तर बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य

मानव संसाधन विकास तथा शिक्षा देश की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की बुनियाद है। इसलिए शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले दिनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि नौंवी पंचवर्षीय योजना तक सकल घरेलू उत्पाद की 6 प्रतिशत राशि शिक्षा पर खर्च की जाने लगेगी। देश में लगभग आधी आबादी के अनपढ़ होने के तथ्य को देखते हुए यह निर्णय उचित ही है। इसी फैसले के अनुरूप वित्तमंत्री ने 1994-95 के लिए शिक्षा व्यय में 17.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। अगले वित्त वर्ष में इस मद पर 1,541 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसमें से 523 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा के लिए होंगे। शिक्षा व्यय में इतनी अधिक वृद्धि इस तथ्य की परिचायक है कि सरकार आम लोगों को साक्षर बनाकर, उन्हें विकास प्रक्रिया में सहभागी बनाने की इच्छुक है। वास्तव में साक्षरता मनुष्य को विवेकशील, समझदार तथा जागरूक बनाने के साथ-साथ उसके भौतिक और आर्थिक विकास में भी सहायक होती है। अगले वर्ष 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' योजना के अंतर्गत 14,000 विद्यालयों में तीसरे कमरे तथा तीसरे अध्यापक की व्यवस्था की जाएगी और अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन 80 जिला प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जायेंगे। पूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता से प्रोत्साहित होकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से 160 नए जिलों में यह कार्यक्रम चलाने का निश्चय किया है। हमारे देश में लड़कियों में निरक्षरता दर काफी अधिक है इसलिए लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा संस्थाओं की संख्या में अगले वर्ष 15 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है।

रोटी, कपड़ा और मकान तथा शिक्षा के बाद व्यक्ति की अगली चिंता स्वास्थ्य की होती है। वित्त मंत्री ने देश में, विशेषकर ग्रामीण तथा अर्ध शहरी इलाकों में, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और एड्स जैसी घातक बीमारियों पर नियंत्रण के कार्यक्रमों के लिए चालू वर्ष के परिव्यय की तुलना में बजट में अधिक राशि देने का प्रस्ताव किया है। स्वास्थ्य के लिए 578 करोड़ रुपये का प्रावधान है जबकि चालू वित्त वर्ष के बजट में इस मद पर 483 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार स्वास्थ्य के लिए बजट राशि में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे कुछ लोगों की यह आशंका गलत सिद्ध हुई है कि उदारीकरण तथा निजीकरण के दौर के प्रभाव में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक ध्यान नहीं देगी। इसी प्रकार परिवार कल्याण, जो देश की बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, के लिए 1,270 करोड़ रुपये की तुलना में 1,430 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अगले वर्ष 100 नए रक्त बैंक खोले जायेंगे। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए 83 करोड़ रुपये रखे गए हैं। हमारे देश में एड्स के प्रकोप में वृद्धि की आशंकाओं को देखते हुए वित्त मंत्री का यह प्रस्ताव अत्यंत उपयोगी है। इसी प्रकार कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को मजबूत करने तथा कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के काम में तेजी लाने की भी वित्त मंत्री ने चर्चा की।

समाज कल्याण

गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहे हमारे समाज में मौजूद विषमताओं का मुकाबला करने के लिए उपेक्षित वर्गों को विशेष सहायता देना आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण की विभिन्न योजनाएं चलायी जाती हैं। निजीकरण तथा उदारीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने अपने इस दायित्व को समझते हुए अगले वित्त वर्ष में सामाजिक सेवाओं तथा समाज कल्याण के प्रावधानों में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की। सामाजिक सेवाओं के लिए कुल 7,381 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कल्याण मंत्रालय के लिए 705 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जो चालू वर्ष के बजट प्रावधान से 75 करोड़ रुपये अधिक है। अगले वर्ष अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सहायता की विशेष योजना के तहत 28 लाख और परिवारों को मदद दी जाएगी। इसके अलावा मैट्रिक के बाद की छात्रवृति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के 20 लाख छात्र-छात्राओं को सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने अपनें बजट भाषण में बताया कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्थापित सरकारी निगमों की आय को करों से छूट देने का निर्णय पहले ही घोषित किया जा चुका है और इस संबंध में कानून में जल्दी से संशोधन किया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम को मिलने वाली बजटीय सहायता में लगभग दुगुनी वृद्धि की गई है। इसी प्रकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को भी अगले वर्ष अधिक धन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे इन वर्गों के कल्याण के कार्यक्रम ज्यादा कारगर ढंग से क्रियान्वित किये जा सकेंगे।

मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या हमारे देश के युवकों के स्वास्थ्य एवं चरित्र को चौपट कर रही है। इसका मुकाबला करना राष्ट्रीय दायित्व है। इस कार्यक्रम के लिए भी बजट प्रावधान

लगभग दुगुना कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष के बजट में इसके लिए 7.76 करोड़ रुपये रखे गए थे जबकि अगले वित्त वर्ष में 14.16 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

वित्त मंत्री ने वृद्धों, विकलांगों तथा पेंशनभोगी लोगों को राहत देने के अधिक उपायों की भी घोषणा की। विदेशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए ऋण लेने वाले गरीब विद्यार्थियों को ऋण की अदायगी में आयकर में 25,000 रुपये तक छूट देने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार मकान निर्माण के लिए गए ऋणों की अदायगी में कर की छूट की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। इस उपाय से वेतन भोगी लोगों को विशेष रूप से राहत मिलेगी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अपना काम धंधा करने वालों को बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक पेंशन निधि शुरू करेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजनों को 50,000 रुपये तक की आमदनी पर आय कर में 10 प्रतिशत की राहत दी जाती है जिसे अगले वित्त वर्ष में बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

करों में राहत

जैसा कि पहले बताया गया है 1994-95 के बजट की सबसे उल्लेखनीय विशेषता करों में व्यापक सुधार है। वित्त मंत्री ने करों की ऊंची दरों की बजाय अधिक लोगों द्वारा करों के भुगतान तथा कर वसूली तंत्र को आधुनिक रूप देने की नीति अपनायी है। इस नीति के परिणाम क्या मिलते हैं, यह तो भविष्य बताएगा परंतु आम जनता तथा व्यापारी वर्ग ने समान रूप से इस दृष्टिकोण का स्वागत किया है। औद्योगिक मंदी को तोड़ने तथा निर्यात में वृद्धि का उद्देश्य सामने रखते हुए वित्त मंत्री ने यद्यपि आयात तथा निर्यात शुल्कों और उत्पाद शुल्कों की दरों में कमी की है और उन्हें युक्तिसंगत बनाया है, परंतु राजस्व प्राप्ति के लिए कुछ वस्तुओं के उत्पाद शुल्क बढ़ाए हैं और कुछ नई वस्तुओं को कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है। ऐसा करते हुए उन्होंने मध्यम वर्ग तथा निम्न आय वर्गों के इस्तेमाल की वस्तुओं के प्रति नरमी के रुख का परिचय दिया है। उदाहरण के लिए हथकरघा उत्पादों, बिना ब्रांड की दवाएं, बिजली के बल्ब, साइकिल, शिशु आहार, खाद्य तेल, मसाले, जैम, जैली, चाय, काफी आदि आम खपत वाली वस्तुओं को उत्पाद कर से पूरी तरह छूट अगले वर्ष भी जारी रहेगी। इसके अलावा चीनी, माचिस, वनस्पति आदि वस्तुओं को भी उत्पाद कर से राहत जारी रखी गई है। सिगरेट के उत्पाद शुल्क में 12 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है परंतु बिना फिल्टर की 60 मि.मी. से कम लम्बाई वाली सिगरेटों के शुल्क में कटौती की गई है क्योंकि इनका इस्तेमाल कम आय वाले लोग करते हैं और साथ ही तम्बाकू उत्पादों को भी इससे राहत मिलेगी।

वित्तमंत्री ने कर सुधारों का उल्लेखनीय कदम व्यक्तिगत आयकर में राहत देने के रूप में उठाया है। आयकर में छूट की सीमा 30,000 रुपये से बढ़कर 35,000 रुपये कर दी गई है और 12 प्रतिशत का अधिभार समाप्त कर दिया गया है। साथ ही करों के स्लैब में परिवर्तन किया गया है। अब 50,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति तथा 52,000 रुपये तक की सालाना आय वाली कामकाजी महिला को आयकर नहीं देना होगा।

आयकर दरों में इस परिवर्तन से मध्यम वर्ग विशेषकर वेतनभोगी लोगों को पर्याप्त राहत मिली है।नई दरों से मिली राहत का ब्यौरा तालिका-2 में देखा जा सकता है।

बजट घाटा

इसमें कोई संदेह नहीं कि बजट में आम आदमी को राहत देने की सरकार ने ईमानदारी से कोशिश की है परंतु 6000 करोड़ रुपये का बजट घाटा और 54,915 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा चिंता का विषय है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत है। इससे मूल्य वृद्धि तथा मुद्रास्फीति की दर बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। यद्यपि वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने घाटे की इस व्यवस्था से मूल्य वृद्धि की संभावना से इन्कार किया है किन्तु यदि गैर योजना खर्च पर अंकुश लगाकर और राजस्व प्राप्ति के अतिरिक्त उपाय करके सरकारी प्राप्तियों में वृद्धि नहीं की गई तो आम आदमी को बजट में दी गई राहत व्यर्थ जाएगी क्योंकि मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप उसकी स्थिति पहल जैसे बनी रहेगी। इसलिए कर सुधारों के साथ-साथ प्रशासनिक सुधारों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और यह भी प्रबंध किया

तालिका-1
आयकर की मौजूदा तथा नई दरें

मौजूदा दरें			नई दरें		
30,000 रुपये तक	—	शून्य	35,000 रुपये तक	—	शून्य
3,0,001 से 50,000	—	20%	35,001 से 60,000	—	20%
50,001 से 1,00,000	—	30%	60,001 से 1,20,000	—	30%
1,00,000 से अधिक	—	40%	1,20,000 से अधिक	—	40%

जाना चाहिए कि उद्योगों को जो रियायतें दी जाती हैं, उनके लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने तथा औद्योगिक विकास के जरिए आर्थिक प्रगति और रोजगार के अधिक अवसर जुटाने में बजट प्रस्तावों से पर्याप्त सहायता मिलेगी परंतु वित्तीय अनुशासन और निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों तक उनके लिए निर्धारित संसाधन

आंकड़े (रुपये में) **तालिका-2** **प्रस्तावित राहत**

कुल आय	वर्तमान कर दायित्व	नया कर दायित्व	राशि	नया कर दायित्व वर्तमान के % में
35000	1000	शून्य	1000	100
40000	2000	1000	1000	50
50000	4000	3000	1000	25
60000	7000	5000	2000	28.6
75000	11500	9500	2000	17.4
100000	19000	17000	2000	10.5
1,20,000	30240	23000	7240	23.1
150000	43680	35000	8680	19.9
200000	66080	55000	11080	16.8
500000	200480	175000	25480	12.7

पहुंचाने की पक्की व्यवस्था किए बिना लोगों को सुखी बनाने तथा देश को विश्व में ऊंचा स्थान दिलाने की वित्त मंत्री की आशा और कामना पूरी कर पाना कठिन होगा।

1370, सेक्टर-12,
आर. के. पुरम,
नई दिल्ली–110022

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता:

व्यापार व्यवस्थापक
प्रकाशन विभाग
पटियाला हाऊस
नई दिल्ली-110001

बजट से झांकता, मुस्काता किसानी चेहरा

✍ सुनील अरोड़ा

नए वित्त वर्ष का बजट उद्योगों को मंदी के दौर से निकाल कर उन्हें विकास की राह पर आगे ले जाने तथा इसके लिए पूंजी निवेश की सुविधाएं जुटाने के साथ-साथ खेत खलिहानों में नया जीवन लाने का एक संतुलित और विकासमूलक प्रयास है। इससे किसानी चेहरा साफ उभरता-झलकता दिखाई देता है। यह चेहरा भी कोई गमगीन, उदास और हताश नहीं, बल्कि भविष्य के प्रति पूरी आस्था, उत्साह और ऊर्जा संजोए हुए है। 1994-95 का बजट कृषि जगत और कृषक जीवन में खुशियां उडेलने की अनेक परियोजनाओं और उन्हें मूर्तरूप देने के कार्यों का लेखा जोखा है। इसमें खेतों में पैदावार बढ़ाने, उपज और कृषि जन्य पदार्थों को परिशोधित कर उन्हें बाजार में लाने और स्पर्धा लायक बनाने, इसके लिए समूचे देश को साझा बाजार बनाने, कृषि आधारित कुटीर और लघु उद्योगों के विस्तार को गति देने तथा इन सब कार्यों के लिए कर्ज देने की योजना सुचारु बनाने की स्पष्ट झलक है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्रामीण बैंकों को उबारने, सहकारी ऋण संस्थाओं के तंत्र को मजबूत करने तथा इन सब के ऊपर ग्रामीण विकास कार्यों को मूर्तरूप देने में ग्रामवासियों के लिए रोजगार के नए-नए अवसर जुटाने का स्वर भी साफ उभरता दिखाई देता है। इसका ठोस प्रमाण यह है कि जहां समूचे ग्रामीण विकास के लिए बजट राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, वहां कृषि की मद के लिए 2,005 करोड़ रुपए की विशाल व्यय राशि निर्धारित की गई है। जहां तक केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के परिव्यय का संबंध है कृषि और सहकारिता की राशि पिछले बजट की 1,330 करोड़ रुपये से 75 करोड़ रुपये बढ़ाकर 1,405 करोड़ रुपये तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा की राशि 250 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये बढ़ा 275 करोड़ रुपये कर दी गई है। कृषि की ओर निरंतर अधिक ध्यान केन्द्रित करते जाने से प्राप्त खाद्य स्वालंबन, अनाज के विशाल भंडारों के साथ ही संतोषजनक विदेशी मुद्रा भंडार के बलबूते पर देश की अर्थव्यवस्था को सही मार्ग पर ले जाने के लिए राजकोषीय घाटे जैसे कुछ जोखिम उठाए गए हैं। कृषि क्षेत्र की दृढ़ता और स्थिरता के स्पष्ट लक्षण 1993-94 के वर्ष में देखने में आए। एक जनवरी 1994 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भंडारों में दो करोड़ 30 लाख टन अनाज था। पिछले सात वर्षों में अनाज का इतना भंडारण कभी नहीं हुआ। अगर कभी किसी प्राकृतिक विपदा के कारण फसल ठीक न हो तो इस भंडार की सहायता से संकट पर काबू पाया जा सकता है।

इस बार के बजट की यह बात अनायास अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कर लेती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को अधिक समर्थन प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण विकास की समग्र तस्वीर में नए खुशनुमा रंग भरने की भरपूर कोशिश की गई है। देहाती इलाकों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा हों और वहां भी पूंजी का निर्माण हो तथा गरीबी का अभिशाप अधिक से अधिक दूर हो, इन सब के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए व्यय राशि 20 अरब रुपये बढ़ा दी गई है। पिछले बजट में यह 50 अरब 10 करोड़ रुपये थी और नए बजट में 70 अरब 10 करोड़ रुपये रखी गई है। दूसरे शब्दों में पिछले वर्ष की निर्धारित राशि से यह 40 प्रतिशत अधिक है। यह बढ़ी हुई राशि इस दृष्टि से और भी उल्लेखनीय है कि दो वर्ष पहले अर्थात 1992-93 के बजट अनुमानों में ग्रामीण विकास की मद में 30 अरब 10 करोड़ रुपये रखे गए थे। अब यह राशि उससे दुगुनी से भी अधिक निर्धारित की गई है। कृषि क्षेत्र की विकास गाथा की एक अन्य ध्यान आकृष्ट करने वाली विशेष बात यह है कि बागवानी के विकास के लिए पहले से 42, प्रतिशत अधिक राशि निर्धारित की गई है। पिछले बजट की एक अरब 30 करोड़ रुपये की राशि को नए बजट में बढ़ाकर एक अरब 84 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्तमान आठवीं योजना में फूलों, फलों, सब्जियों, मसालों और काजू आदि बागवानी के अंतर्गत आने वाली अन्य फसलों के लिए दस अरब रुपये रखे हैं जो सातवीं योजना में इस मद की राशि से बहुत अधिक हैं। निर्यात में बागवानी के बढ़ते महत्व को देखते हुए बजट में की गई वृद्धि तार्किक ही कहलायेगी। आज भारत, चीन और ब्राजील के बाद सबसे अधिक फल और सब्जियां उगाता है। लेकिन बागवानी की अलग-अलग फसलों की उत्पादकता और उपज की गुणवत्ता के मामले में हम अनेक देशों से पिछड़े हुए हैं। दूसरे, मसालों, काजू और हाल में अंगूरों को छोड़ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारे बागवानी के उत्पादों का भाग बहुत कम है। खेतों में पानी जमा न होने देने या फिर उसे व्यर्थ न जाने देने के लिए

ड्रिप सिंचाई की योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना को अधिक कारगर और सटीक बनाने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ाने का एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा जिस पर पहले से 45 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए जायेंगे। यहां यह प्रश्न उठता है कि सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अनाज उत्पादन में बढ़ोत्तरी तो ला रही हैं, लेकिन अगर अनाज को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने की छूट नहीं होगी तो अनबिके अनाज के सड़ने गलने या फिर किसानों को अधिक दाम न मिलने की आशंका रहेगी। ऐसी स्थिति में अनाज की आवाजाही पर से अंकुश क्यों न उठाए जाए? इसीलिए किसानों को अपनी उपज की अधिक से अधिक कीमत वसूल करने और मुनाफा कमाने के अवसर देने के उद्देश्य से उन्हें देश के अंदर कहीं भी माल बेचने और यहां तक कि निर्यात करने की भी सुविधा प्रदान की जायेगी। इसके रास्ते से सभी अड़चनें दूर करने का प्रयास किया जायेगा। अनाजों और अन्य कृषि वस्तुओं को देश के अंदर लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंध बिल्कुल हटा लिए जायेंगे। तब किसान सारे राष्ट्र को एक ही बाजार बना देने का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें निर्यात के लिए भी अधिकाधिक छूट रहेगी। दूसरे शब्दों में किसान निर्यात के राष्ट्रीय प्रयास में पहले से कहीं अधिक सहयोग दे सकेंगे और साथ ही निर्यात के अवसरों का उपयोग करके मुनाफा कमा सकेंगे। जहां तक स्वयं ग्रामीणों के पीने के पानी की बुनियादी आवश्यकता पूरी करने का संबंध है, देहाती इलाकों में पानी की सप्लाई कार्यक्रम के लिए राशि में डेढ़ अरब रुपये अधिक का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल स्कीम भी शामिल है।

बजट तैयार करते समय वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने अपने सामने जिन छह कार्यों को प्रमुख रूप से रखा उनमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक पिछड़ेपन की समस्याओं का समाधान और बैंक प्रणाली में सुधार भी शामिल है। जहां तक देहाती इलाकों में बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को जिस नई सुनिश्चित रोजगार आश्वासन योजना की घोषणा की थी, उसे तेजी से मूर्त देने के लिए इस मद की राशि दुगनी कर दी गई है। उद्देश्य यह है कि जिन 1,752 खंडों में यह योजना लागू है उनमें बेकार पड़ी जनशक्ति को कैसे अधिक से अधिक राष्ट्र निर्माण कार्यों में लगाया जाए। 1993-94 में इस योजना के लिए 6 अरब रुपये निश्चित किए गए थे। अब यह राशि बढ़कर 12 अरब रुपये कर दी गई है। इसी तरह जवाहर रोजगार योजना के लिए भी पिछले बजट की राशि की तुलना में नए बजट में 5 अरब 49 करोड़ रुपये की राशि बढ़ाकर रोजगार दिलाने के काम को प्राथमिकता प्रदान की गई है। 1993 के बजट में इस योजना के लिए 33 अरब 6 करोड़ रुपये नियत किए गए थे। अब यह राशि बढ़ाकर 38 अरब 55 करोड़ रुपये कर दी गई है। अनुमान है कि 1994-95 के वर्ष में 115 करोड़ मानव दिवसों का नया रोजगार उपलब्ध कराकर करोड़ों व्यक्तियों के अभिशप्त जीवन को जीने लायक बना दिया जायेगा। प्रधानमंत्री की योजना पर पिछली दो अक्तूबर को गांधी जयंती पर अमल आरंभ किया गया था और यह शहरी इलाकों तक ही सीमित थी। योजना के तहत छोटे-छोटे या यूं कहें नन्हें-नन्हें उद्यम स्थापित करके दस लाख शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार पर लगाने का लक्ष्य रखा गया था। अब नए वित्त वर्ष में इस योजना को सारे देश में लागू किया जायेगा। परिणामतः इस योजना के जरिए न केवल शहरों बल्कि गांवों में भी सही काम न मिलने पर निराशा का जीवन बिताने वाले युवकों के जीवन में एक नया स्पंदन और एक नई चमक आ जायेगी। इस समूची योजना पर 1994-95 में एक अरब 45 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

चाहे कल कारखाने हों या खेत खलिहान, उनमें उत्पादन बढ़ाने या उनका विस्तार करने के लिए कर्ज की आवश्यकता बढ़ती है। यह कर्ज महाजनों की बजाए बैंकों, सहकारी संगठनों या अन्य वित्तीय संगठनों से मिले तो उस पर कम ब्याज देना पड़ता है। कारण कृषि के लिए संस्थागत ग्रामीण ऋणों का समुचित प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में प्रायः एक सुखद भूमिका निभाता है। इसके बावजूद गांव वालों की जरूरतों को देखते हुए ऋण प्रवाह बहुत कम है।

अब नए बजट में ग्रामीण ऋणों में दीर्घकालीन सुधार के आधार को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ग्रामीण ऋण देने वाले सर्वोच्च संगठन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड की शेयर पूंजी में एक अरब रुपये सरकार और इतनी ही राशि रिजर्व बैंक देगा। इस तरह देहाती क्षेत्र के इस शीर्ष बैंक की शेयर पूंजी लगभग तिगुनी हो जायेगी और वह देहाती ऋण व्यवस्था को मजबूत बनाने में सुदृढ़ योगदान करने के साथ साथ अन्य ऋण संगठनों को दिशा निर्देश और नेतृत्व प्रदान करेगा।

देहाती कर्ज व्यवस्था की एक चिंताजनक बात यह भी रही है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति कमजोर चली आ रही है। 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से सिर्फ 46 को छोड़कर बाकी सब पिछले पांच वर्षों से घाटा उठाते चले आ रहे हैं। बहुत से बैंकों की तो इक्विटी और आरक्षित पूंजी भी समाप्त हो गई है। यह स्थिति ग्रामीण बैंकों के स्वास्थ्य के लिए घातक है। इन बैंकों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए ढांचे में सुधार के दीर्घकालीन उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ कदम उठाए हैं जिससे बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके और ऋण देने के काम-काज में लचीलापन भी आ सके। नए वित्त वर्ष में कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 50 की संरचना को व्यापक रूप से सुधारा जायेगा, उन्हे नई पूंजी दी जायेगी और उनकी बैलंस शीट को सुधारा जायेगा। इन 50 बैंकों को वित्तीय समर्थन देने तथा उनके ढांचे को ठीक ठाक करने में जो अनुभव प्राप्त होगा, वह दूसरे देहाती बैंकों की हालत सुधारने में मार्गदर्शक का काम करेगा। तो भी यह पूरा कार्यक्रम तभी सफल होगा जब राज्य सरकारें, शेयर पूंजी वाले प्रायोजक बैंक और ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी सभी पूरी तरह सहयोग का हाथ बढ़ाएं। इस सारे काम का उद्देश्य यह है कि कमजोर और रुग्ण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय दृष्टि से मजबूत हों और विकेंद्रित ग्रामीण बैंकिंग का कारगर साधन बनकर किसानों के जरूरत के वक्त काम आयें और उनकी वित्तीय कठिनाइयां दूर करने में सही माने में सहायक हों, वरना किसानों को महाजनों के चंगुल में फंसने में देर नहीं लगती। एक और बात, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी ऋण ढांचा जितना अधिक सुदृढ़ होगा, उतनी अधिक कारगर भूमिका वह गांवों और कृषि के विकास में निभाने में समर्थ होगा। इसीलिए सहकारी ऋण संस्थाओं के जरिए कर्ज देने की राशि निरंतर बढ़ती जा रही है। 1992 में सहकारी संस्थाओं ने 6,295 करोड़ रुपये के ऋण दिए जिनके 1993-94 के दौरान बढ़ कर 85 अरब रुपये हो जाने का अनुमान है। अब यह राशि और भी बढ़ाकर 96 अरब रुपये कर दी जायेगी। ऐसी स्थिति में किसानों के महाजनों के झांसे में आने की रही सही आशंका भी समाप्त हो जायेगी। इन सहकारी ऋण-संस्थाओं को अधिक मजबूत बनाने के लिए कई उपाए किए जा रहे हैं। राज्य और जिला सरकारी बैंकों और संबद्ध राज्य सरकारों के सहयोग से नाबार्ड सहकारी कर्ज प्रणाली को सुधारने और उसे सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठायेगा।

1994-95 के बजट के साथ अगर हम किसानों को रबी और खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य दिलाने, चुनींदा जिलों में ग्राम उद्योगों का विकास करने, कृषि, बागवानी, वन विकास तथा मुर्गी पालन आदि में प्रयुक्त मशीनों के आयात शुल्कों में कमी करने, ड्रिप सिंचाई के काम पर 50 प्रतिशत की विशेष सबसिडी देने, अनाजों और तिलहनों के अधिक उपज देने वाले, संकर और अन्य बीज उपलब्ध कराने, देश के विभिन्न जिलों में कृषि विकास केन्द्रों के खोलने तथा कृषि अनुसंधान के लिए व्यय राशि को निरंतर बढ़ाने पर ध्यान दें तो हम पायेंगे कि कृषि क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाया जा सकता है। कृषि कर्म को लाभकारी बनाने की योजनाओं की कमी नहीं है। इनके लिए पूंजी निवेश की भी कमी नहीं है, कमी है तो संकल्प की या योजनाओं को दृढ़ निश्चय के साथ मूर्त रूप देने की। यदि ऐसा हो जाए तो हम प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता में पिछड़ेपन को कोसों पीछे छोड़कर विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं।

268, सत्यनिकेतन,
मोतीबाग, नानकपुरा
नई दिल्ली - 21

लेखकों के अनुरोध

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, कविता, संस्मरण, लघुकथा, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि रचनाएं टाइप कराकर दो प्रतियों में भेजिये। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होगा, उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा अपना पता लिखा लिफाफा लगाना न भूलें। विशेष अवसरों के लिए लेख कम से कम दो माह पहले भेजें। सभी रचनाएं संपादक, 'कुरुक्षेत्र', 467, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001 के पते पर भेजें।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समस्याएं

✍ डा० आनन्द तिवारी

भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। आबादी का लगभग दो तिहाई भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। यदि आबादी के उस भाग का आर्थिक-सामाजिक स्तर ऊंचा हो जाता है तो भारत का विकास हो जायेगा।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं उनका मूल्यांकन

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जी के जन्म दिवस से हुआ। इस दिन से सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई। वस्तुतः यह योजना अलबर्ट मेयर के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 1948 में क्रियान्वित की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण जनता को स्वावलंबी तथा आत्म निर्भर बनाना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये एक ओर जहां ग्रामीण विकास हेतु सभी अधोसंरचनात्मक सुविधाएं यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन व समाज कल्याण आदि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया वहीं दूसरी ओर कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा ग्राम्य ओद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना भी प्रमुख लक्ष्य था। यद्यपि इस योजना को लागू करने के पश्चात अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास तथा कृषि उत्पादकता में कुछ वृद्धि हुई किंतु इस योजना में ग्रामीण जन समुदाय की भागीदारी अपेक्षित रूप में सुनिश्चित नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त इस योजना का लाभ भूमिहीन तथा सीमांत कृषकों की अपेक्षा सम्पन्न कृषक वर्ग को मिला।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण जन समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा ग्राम्य विकास हेतु सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के उद्देश्य से 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर पं. जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की घोषणा की। पंचायती राज के प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, ग्रामोद्योगों का विकास, उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का पूर्णतया उपयोग करना, कमजोर ग्रामीण वर्ग की मदद करना, सहकारी संस्थाओं का विकास करना, स्वयंसेवी संगठनों को गतिशील बनाना आदि थे। समिति की सिफारिशों पर ग्राम्य सभा तथा पंचायतें ग्राम्य स्तर पर, पंचायत समितियां ब्लॉक स्तर पर तथा जिला परिषदें जिला स्तर पर स्थापित की गईं।

सन् 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम, गहन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं उन्नत बीज विकास कार्यक्रम लागू किए गए तथा हरित क्रान्ति के अंतर्गत उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा उपकरणों को शामिल किया गया। फलतः कृषि उत्पादकता में अपूर्व वृद्धि हुई जिससे खाद्यान्न के संबंध में हम आत्मनिर्भर हो गए। किन्तु हरित क्रान्ति के कार्यक्रमों में तीन कमियां सामने आयीं, एक तो हरित क्रान्ति में सीमित फसलों (विशेषकर गेहूं और चावल) का उत्पादन बढ़ा। दूसरे हरित क्रान्ति कार्यक्रम का लाभ उन राज्यों को मिल सका जिनमें सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त थीं यथा पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान को। तीसरे इस कार्यक्रम का बड़ा दोष यह रहा कि उन्नत बीज, महंगे उर्वरक, कृषि उपकरण और सिंचाई सुविधाओं का लाभ सम्पन्न तथा धनी कृषि वर्ग ले सके। भूमिहीन तथा खेतिहर कृषकों को इस कार्यक्रम का कोई लाभ नहीं मिल सका।

चौथी योजना में क्षेत्र विशेष की जरूरतों तथा संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए, कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुक्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, गंगा मैदानी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखोन्मुखी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किये गये। इन कार्यक्रमों का लाभ क्षेत्र-विशेष को अवश्य मिला किन्तु छोटे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। भूमिहीन तथा साधनहीन ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दो कार्यक्रम क्रमशः लघु कृषक विकास कार्यक्रम तथा सीमांत कृषक विकास कार्यक्रम देश के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किये गये। गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अंत्योदय कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसके अतिरिक्त समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिला, ब्लॉक तथा ग्रामीण प्रशासनिक तंत्र में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला वर्ग को व्यवसाय हेतु परिसंपत्तियां उपलब्ध कराना था। ग्रामीण

रोजगार में वृद्धि करने के उद्देश्य से ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार नकदी योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और जवाहर रोजगार कार्यक्रम चलाये गये।

जिस ग्रामीण विकास की बात हम विगत चार दशकों से कर रहे हैं वह विकास अभी तक नहीं हो सका है। ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की कई समस्यायें हैं जिन पर विचार तथा चिंतन करना होगा।

क्रियान्वयन की समस्याएं

स्थानीय जनता की भागीदारी न होना : ग्रामीण विकास के कार्यक्रम केन्द्र, राज्य अथवा जिला स्तर पर बनाये जाते हैं। इसलिए इन कार्यक्रमों में प्राथमिकताओं का निर्धारण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होता है। यदि इन योजनाओं को स्थानीय जनता की सहायता से बनाया जाए तो न केवल इन कार्यक्रमों में स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी अपितु स्थानीय संसाधनों के अनुरूप प्राथमिकताओं तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जा सकेगा।

प्राथमिक सर्वे का कार्य शत-प्रतिशत सही नहीं किया जाना : प्रायः देखा गया है कि ग्रामीण विकास हेतु बनायी गई योजनाओं का लाभ गरीब तथा उपेक्षित वर्ग को न मिलकर सम्पन्न तथा धनी वर्ग को मिल जाता है। इसके मूलतः दो कारण होते हैं। एक तो सर्वेयर ईमानदारी से सर्वे कार्य नहीं करता है। राजनीतिक दबाव तथा आर्थिक प्रलोभन के कारण वह साधन संपन्न वर्ग को गरीबी रेखा के नीचे दिखा देता है। दूसरे ग्रामीण जन समुदाय की निरक्षरता के कारण सही आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाते। इससे सिद्ध होता है कि जब योजना के लिए लाभार्थियों का सही चयन नहीं होता तो योजना के सफल होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं।

कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार की कमी : ग्राम्य विकास के लिये बनायी गयी योजनाओं की भली भांति जानकारी ग्रामीण लाभार्थियों को तब मिलती है जबकि उन्हें उस योजना या कार्यक्रम के तहत वित्तीय मदद मिलती है। लेकिन न तो उन्हें वित्तीय मदद के उपयोग हेतु निर्देश दिये जाते हैं और न ही इस संबंध में कोई जवाबदेही सौंपी जाती है। फलतः वे लोग वित्तीय मदद का उपयोग उत्पादक कार्यों में नहीं करते हैं। अनुदान को सरकार द्वारा दिये गये दान के रूप में मानकर उसका दुरूपयोग करते हैं।

साध्य तथा साधन में अंतर नहीं : ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की बुनियादी कमी यह है कि इन कार्यक्रमों में अब तक साधन तथा साध्य में अंतर नहीं किया जा सका है। यदि साधन को साध्य मान लिया जाए तो अंतिम उद्देश्य की पूर्ति कदापि संभव नहीं है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लाभार्थियों को आर्थिक मदद चाहे वित्तीय रूप में अथवा भौतिक परिसंपत्तियों के रूप में दी जाती है वह वस्तुतः लाभार्थी की आर्थिक स्थिति को सुधारने का साधन मात्र है जबकि सरकारी एजेन्सियां उसे अपना साध्य मान लेती हैं। साध्य तो वह होगा जिससे लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए।

सरकारी तंत्र में समन्वय का अभाव : ग्रामीण विकास को समुचित गति प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रशासनिक तंत्र के विकेन्द्रीकरण का कदम सराहनीय है। जिला, तहसील, ब्लॉक तथा ग्राम्य स्तर पर क्रमशः जिला ग्रामीण प्राधिकरण एजेन्सी, ब्लाक एजेन्सी, ग्राम्य सचिवालय आदि का गठन किया है किन्तु सभी इकाइयां प्रबंध के 'एक उद्देश्य हेतु सामूहिक प्रयत्न' सिद्धांत को पूरा करने में असफल रही हैं। इसलिए सरकारी तंत्र में समन्वय का अभाव इन योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रमुख बाधा है।

कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जल्दबाजी : कई ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऐसे बनाये जाते हैं जिनको देखकर लगता है कि उन कार्यक्रमों के माध्यम से केवल लक्ष्यों तथा आंकड़ों की पूर्ति की जाती है। शिशु रक्षक या टीकाकरण मेले की भांति ऋण मेले लगाये जाते हैं जिनमें लाभार्थियों से आवेदन बुलाये जाते हैं, छंटनी की जाती है और ऋण स्वीकृत करके चेक दे दिया जाता है। यह एक चिंताजनक पहलू है कि ये ऋण मेले गरीबी उन्मूलन में कहां तक सहायक सिद्ध होंगे।

अधोसंरचानात्मक सुविधाओं का विकास न होना : अधोसंरचानात्मक सुविधाओं के अंतर्गत मानवीय संसाधन विकास से संबंधित सभी सुविधाएं जैसे यातायात, विद्युत, संचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आवास आदि सेवाएं आती हैं। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के नाम पर विद्यालय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य जिन गांवों में खुले हैं वे अक्सर बन्द रहते हैं। इनमें पदस्थ शिक्षक व चिकित्सक मुख्यालय में नहीं रहते हैं जिसका कारण यह है कि न तो अच्छी आवास की सुविधा मिल पाती है और न ही यातायात, विद्युत, संचार तथा बैंक आदि की सुविधायें मिल पाती हैं। यदि इन सुविधाओं का यथोचित

विकास ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाता है तो नीतियों का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से हो सकेगा।

सभी क्षेत्रों के लिये एक समान योजना बनाना उचित नही : राज्य सरकारें सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक समान योजनाएं बनाती हैं। किन्तु प्रत्येक क्षेत्र विशेष की भौगोलिक, प्राकृतिक, आर्थिक दशा अन्य क्षेत्रों से भिन्न होती है। यद्यपि कई समस्याएं सभी क्षेत्रों में एक जैसी हो सकती हैं किन्तु फिर भी क्षेत्र विशेष की समस्याओं को दृष्टिगत रखकर बनायी गयी योजनाएं अधिक अच्छे ढंग से क्रियान्वित हो सकती हैं।

क्रियान्वित योजनाओं का सतत मूल्यांकन न होना : ग्रामीण विकास की प्रत्येक योजना का उद्देश्य निचले स्तर के ग्रामीणों का आर्थिक सामाजिक स्तर सुधारना होता है। साथ ही यथासंभव रोजगार के अवसर उत्पन्न करना होता है किन्तु योजना के क्रियान्वयन के बाद मानीटरिंग तथा सतत मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इस कारण क्रियान्वयन प्रभावकारी नहीं हो पाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता का अभाव : किसी समाचार पत्र एवं पत्रिका में जो स्थान नगरीय समाचारों का होता है वह स्थान ग्रामीण समाचारों का नहीं होता जिसका कारण ग्रामीण रिर्पोटिंग का कम होना है। यदि ग्रामीण रिर्पोटिंग के माध्यम से ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति तथा उनके विकास हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी जन सामान्य को दी जाय तो काफी लाभकारी रहेगा।

प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव :

(1) ग्रामीण नियोजन का स्वरूप बदलना होगा। अब तक नियोजन ऊपर से नीचे की ओर होता था किंतु अब स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नीचे से ऊपर की ओर नियोजन करना होगा।

(2) ग्रामीण नियोजन की सफलता हेतु ईमानदार, योग्य तथा प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता है जो वास्तव में ग्रामीण विकास में रुचि रखते हों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहना पसंद करते हों।

(3) कार्यक्रमों का सतत मूल्यांकन किया जाए और आवश्यक हो तो उनमें संशोधन किया जाए।

(4) विशेष योजनाओं के अंतर्गत चुने गये लाभार्थियों की आर्थिक मदद, जहां तक संभव हो उनकी सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भौतिक परिसंपत्तियों के रूप में की जाए।

(5) ग्रामीण विकास इस प्रकार हो कि ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तन न आए।

निसंदेह उक्त कदम कठिन अवश्य हो सकते हैं किंतु असंभव नहीं। यदि हम वास्तव में ग्रामीण विकास करना चाहते हैं तो इस हेतु संकल्प, निष्ठा, ईमानदारी व त्याग की भावना स्वयं में पैदा करनी होगी।

सहायक प्रोफेसर
268, इंदिरा कालोनी, सागर

बाल भारती

बच्चों की यह आकर्षक मासिक पत्रिका हिन्दी में प्रकाशित होती है। इसमें सचित्र कहानियां और ज्ञानवर्धक लेख तथा अन्य सामग्री प्रकाशित की जाती है।

चन्दे की दरें

एक प्रति	3.00
वार्षिक	30.00
द्विवार्षिक	54.00
त्रिवार्षिक	72.00

सन् 2000 तक सबको शिक्षा का लक्ष्य : सम्भव है बशर्ते...

✍ डा. मुन्नीलाल

विश्व की तीन चौथाई आबादी वाले नौ देशों का सन् 2000 तक 'सबको शिक्षा' से सम्बद्ध सम्मेलन विगत दिनों अशिक्षा की समाप्ति के निर्णय के साथ समाप्त हो गया। सर्वसम्मति से स्वीकृत 'दिल्ली घोषणा' में वर्तमान शिक्षा-पद्धति में बुनियादी सुधार की आवश्यकता भी महसूस की गयी लेकिन यह निश्चित नहीं हो सका कि मौजूदा हालात में यह सुधार कैसे सम्भव है। यह विदित हो कि विश्व की 70 प्रतिशत अशिक्षित आबादी इन्हीं नौ देशों में बसती है।

शिक्षा विकास का अपरिहार्य अंग है। यह विकास के लिए आवश्यक और सहायक साधन है। शिक्षा को विकास से उसी तरह पृथक नहीं किया जा सकता, जिस तरह दूध को सफेदी से। शिक्षा के फलस्वरूप सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, जो विकास के जनक हैं। शिक्षा के माध्यम से ही आधुनिकीकरण के लिए वांछित परिवर्तनों को लाया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से किसी भी संदेश को जन-सामान्य तक पहुंचाया जा सकता है। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए अरस्तू ने कहा था "किसी भी देश का भाग्य उसके युवकों की शिक्षा पर निर्भर करता है।" प्रो. गुन्नार मिर्डल ने इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा है, "बहुत बड़ी जनसंख्या को निरक्षर छोड़कर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम शुरू करने की बात मुझे निरर्थक मालूम पड़ती है।"

मलयेशिया का उदाहरण

भारत की तुलना में मलयेशिया में साक्षरता दर तेजी से बढ़ी है। भारत शिक्षा पर कुल व्यय का सिर्फ 2.5 प्रतिशत व्यय करता है, जबकि मलयेशिया 14.4 प्रतिशत। मलयेशिया में खुशहाली बढ़ रही है। भारत की तुलना में वह डेढ़ गुना अधिक निर्यात करता है। मलयेशिया इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा का विकास देश की बहुमुखी प्रगति का अविच्छिन्न कारक है।

भारत की स्थिति

सन् 1991 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु के 33.29 करोड़ लोग निरक्षर हैं जबकि 1981 की जनगणना के अनुसार ऐसे निरक्षरों की संख्या 30.53 करोड़ थी। भारत की सर्वाधिक आबादी गांवों में रहती है और गांवों में निरक्षरता सर्वाधिक है। 1951 में साक्षरता 18.33 प्रतिशत थी जो 1991 में बढ़कर 52 प्रतिशत हो गयी। भारतीय साक्षरता के सम्बन्ध में यह अन्तर्विरोध है कि एक तरफ जहां साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी तरफ आबादी बढ़ने के कारण निरक्षर लोगों की संख्या बढ़ रही है।

महिलाओं की साक्षरता कितनी?

भारत में 1991 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ 56 लाख महिलाएं निरक्षर हैं जबकि 1981 में 24 करोड़ 16 लाख महिलाएं निरक्षर थीं। अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति और भी खराब है। सम्पूर्ण भारत में कुल साक्षरता दर लगभग 52 प्रतिशत है जिसमें महिला साक्षरता दर 39.29 प्रतिशत है अर्थात लगभग 61 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित हैं। विभिन्न राज्यों में महिलाओं की साक्षरता दर भिन्न-भिन्न है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल में 86.13 प्रतिशत है। बिहार में 22.29 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 25.31 प्रतिशत, राजस्थान में 20.44 प्रतिशत और मध्यप्रदेश में 28.85 प्रतिशत है।

संविधान निर्माताओं की इच्छा

साक्षरता के सम्बन्ध में उपर्युक्त स्थिति तब है जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में उल्लेख है "संविधान लागू होने से 10 वर्ष के भीतर सरकार 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगी।" इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा-संस्थाओं की संख्या और उनमें अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। लेकिन वास्तविकता यह है कि संविधान की व्यवस्था और 1960 तक सबको प्रारम्भिक शिक्षा की वचनवद्धता पर बार-बार जोर देने के बावजूद भारत आज भी इस महत्वाकांक्षी योजना से मीलों दूर है। इस कटु सत्य को सममूर्ति आयोग ने भी स्वीकार किया है, जिसका गठन "राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986" की रिपोर्ट की समीक्षा हेतु किया गया था।

भगोड़े छात्रों की संख्या

अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण यह बताता है कि प्राथमिक स्कूलों में 51 प्रतिशत बच्चे अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़कर

अशिक्षितों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं तथा 30 से 35 प्रतिशत बालक ही पहली से पांचवीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं।

शिक्षा उपमन्त्री सुश्री शैलजा के अनुसार, "प्राइमरी स्कूलों में 49 प्रतिशत बच्चे गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। आठवीं तक आते-आते 60 प्रतिशत लड़के और लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। 10वीं कक्षा तक तो 73 प्रतिशत लड़के और 90 प्रतिशत लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं।

सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण में की गयी घोषणा के अनुसार, भारत की 94.6 प्रतिशत ग्रामीण आबादी हेतु एक कि.मी. के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय तथा 83.39 प्रतिशत ग्रामीण आबादी हेतु तीन कि.मी. में एक मिडिल स्कूल उपलब्ध हो गया है। इन स्कूलों में 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के 99.6 प्रतिशत बच्चों की भर्ती का दावा भी किया गया है। लेकिन कितने छात्र भर्ती के बाद स्कूलों में पढ़ते रहते हैं और कितने पढ़ाई बन्द कर देते हैं, इस पर सर्वेक्षण में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि पढ़ाई छोड़ देने वाली दर अभी भी बहुत ऊंची बनी हुई है।

1981-82 में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 84 प्रतिशत थी जबकि 1991-92 में 40 प्रतिशत रही।

प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति

1951 में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 2,09,671 थी जो बढ़कर 1991-92 में 5,85,786 हो गयी लेकिन इन विद्यालयों की स्थिति निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है:

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एन. सी. ई. आर. टी., द्वारा तैयार एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश के जो स्कूल या सरकारी शैक्षिक संस्थाएं हैं, उनकी हालत का अंदाजा इस प्रकार लगाया जा सकता है कि इनमें से लगभग–

- 50 प्रतिशत से अधिक स्कूलों के पास इमारतें नहीं हैं।
- 40 प्रतिशत के पास फर्नीचर और ब्लैक बोर्ड नहीं हैं।
- 54 प्रतिशत स्कूलों में पीने की पानी की सुविधाएं नहीं हैं।
- 85 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है।
- 35 प्रतिशत स्कूलों में एक ही शिक्षक है और कोर्स की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं।

शिक्षा पर व्यय कितना?

भारत में विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना में बजट का बहुत कम हिस्सा व्यय किया जाता है। भारत में शिक्षा पर व्यय कुल व्यय का सिर्फ 2.5 प्रतिशत किया जाता है।

यदि हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा बजट पर नजर डालें तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। शिक्षा पर कुल बजट का पहली पंचवर्षीय योजना में 7.6 प्रतिशत, दूसरी योजना में 5.8 प्रतिशत, तीसरी योजना में 6.8 प्रतिशत, चौथी योजना में 5 प्रतिशत, पांचवीं योजना में 3.4 प्रतिशत, छठी योजना में 2.6 प्रतिशत और सातवीं योजना में 2.5 प्रतिशत व्यय किया गया और अब प्रधानमन्त्री श्री नरसिंह राव ने सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 6 प्रतिशत अंश खर्च करने की घोषणा की है।

यह विडम्बना ही है कि भारत में शिक्षा पर किए जाने वाले 50 प्रतिशत खर्च उच्च शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले सिर्फ 10 प्रतिशत लोगों पर होता है। यूनिसेफ के अनुसार, "भारत में जितनी लागत से 60-70 बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है उतनी है लागत से यहां एक विश्वविद्यालय छात्र तैयार होता है।

लक्ष्य सम्भव है बशर्ते

यदि सरकार 'सन् 2000 तक सबको शिक्षा' का लक्ष्य पाना चाहती है तो अविलम्ब निम्न कदम उठाने होंगे:

- जनसंख्या नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करके जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण लगाया जाए।
- शिक्षा व्यवस्था के मौजूदा ढांचे में सुधार किया जाए।
- प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय में वृद्धि की जाए।
- सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं अध्यापक वर्ग प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय का ईमानदारी से प्रयोग करें।
- समाज के सम्पन्न एवं बुद्धिजीवी वर्ग आगे आकर प्राथमिक स्कूलों के विकास हेतु सहयोग करें।
- ऐसी शिक्षा पद्धति लागू की जाए जो कि एक तरफ तो प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की जरूरतों को पूरी कर सके और दूसरी तरफ उच्च शिक्षा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं अपने ही स्रोतों एवं संसाधनों से कर सके।

निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि उपर्युक्त सुझावों के आधार पर 'सन् 2000 तक सबको शिक्षा' के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है अन्यथा इस संकल्प की भी वही हालत होगी जो "संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सरकार 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने" के प्रावधान की हुई है।

सी. 15/54,
माताकुण्ड,
वाराणसी (उ०प्र०)

बकरी पालन - एक लाभप्रद व्यवसाय

✍ गंगा शरण सैनी

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां के लोग गांवों में रहकर कृषि और कृषि से जुड़े अन्य कार्य जैसे पशु पालन, कुटीर उद्योग और ऐसे ही अन्य कार्यों से अपनी आजीविका कमाते हैं वहां समय-समय पर दैवी प्रकोप से प्रभावित होने के कारण भूमि, श्रम, पूंजी और प्रबंध आदि साधनों की सदैव ही कमी रहती है। अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी और यातायात के साधनों की कमी के कारण ग्रामीणों का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। भूमि के बंटवारे से जोतों के छोटा हो जाने से परिवार का भरणपोषण करने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में परेशानी से बचने के लिए पशु पालन के एक महत्वपूर्ण अंग बकरी पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर आर्थिक समस्या का समाधान किसी हद तक किया जा सकता है।

बकरी को गरीब की गाय की संज्ञा दी जाती है क्योंकि गरीब व्यक्ति गाय भैंस नहीं खरीद सकता है और उनको पालना भी कोई सरल कार्य नहीं है। जबकि बकरी उनकी अपेक्षा कम कीमत में मिल जाती है और उसकी देखभाल पर काफी कम खर्च आता है। बकरी ऐसी भूमि पर चर सकती है, जहां ऊंट के सिवाय अन्य किसी भी पशु का निर्वाह असंभव है। बकरी से मांस, दूध व ऊन की तो उपलब्धि होती ही है साथ ही उनकी मैंगनों से उत्तम खाद का निर्माण होता है।

अपनी उत्पादकता, छोटे शरीर और रहने के लिए सीमित आवश्यकताओं के कारण बकरी पालन कम पूंजी से शुरू किया जा सकता है।

भारत में तीन से पांच हजार मीटर ऊंचाई वाली बर्फीली पहाड़ियों से लेकर गर्म रेगिस्तानी मरुस्थल तक बकरियों की लगभग 17 नस्लें पाई जाती हैं। इनमें से अधिकांश नस्लें दूध या मांस के लिए उपयुक्त होती हैं, परंतु कुछ महंगे गर्म कपड़े बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रकार के सुंदर रेशों जैसे पश्मीना और मोहर उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा गद्दी और कश्मीरी नस्ल की बकरियां ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में समान ढोने के काम में लाई जाती हैं। भारत में जमुनापारी, बीतल, बरबरी, कच्छी, सुरती, उस्मानाबादी, काली और भूरी बंगाली, मालावारी, उत्तर गुजरात (मारवाड़ी) मेहराना, जालबाड़ी गद्दी पश्मीना और कश्मीरी पश्मीना जाति की नस्लें अधिक प्रसिद्ध हैं। भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली बकरियों की नस्लें और उनकी उपयोगिता का उल्लेख सारणी - 1 में किया गया है।

सारणी-1

भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली बकरियों की नस्लें और उनकी उपयोगिता

क्रम सं.	नस्ल	भौगोलिक क्षेत्र	उपयोगिता
1.	असम हिल	खासी, नगालैंड, असम की लुरमई पहाड़ियां	मांस उत्पादन
2.	बीतल	गुरुदासपुर (पंजाब)	दूध व मांस उत्पादन
3.	बरबरी	मूलतः बारबारा (पूर्वी अफ्रीका) भारत में आगरा मंडल (उत्तर प्रदेश)	दूध उत्पादन
4.	सिरोही	सिरोही (राजस्थान) और गुजरात	दूध उत्पादन
5.	सुरती	नासिक, सूरत, खानदेश	दूध उत्पादन
6.	चीगू	ऊपरी कश्मीर घाटी और भारत तिब्बत की ऊंची पहाड़ियां	मांस व पश्मीना उत्पादन
7.	जमुनापारी	इटावा (उत्तर प्रदेश) चम्बल और जमुना के मध्य भाग	दूध व मांस उत्पादन

8.	जालबाड़ी	जालाबाड़ (गुजरात)	दूध उत्पादन
9.	कश्मीरी पश्मीना	कश्मीर, तिब्बत, हिमाचल प्रदेश	मांस व पश्मीना उत्पादन
10.	उस्मानाबादी	उत्तरी केरल	दूध उत्पादन
11.	गद्दी	कांगड़ा और कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)	सामान की ढुलाई और बालों के लिए
12.	गंजन	दक्षिणी उड़ीसा	मांस व दूध उत्पादन
13.	मारवाड़ी	मारवाड़ (राजस्थान) मेहसाना (उत्तरी गुजरात)	दूध उत्पादन

अतः बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक कृषक को सर्वप्रथम क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों एवं उपलब्ध साधनों का अवलोकन करना चाहिए और इन्हीं के आधार पर बकरी की उपयुक्त नस्ल का चयन करना चाहिए।

परिस्थितियों के अनुसार चयन

बकरियों का उत्पादन उनकी नस्ल पर निर्भर करता है। किस क्षेत्र में किस नस्ल की बकरी पाली जाए यह उस क्षेत्र की जलवायु, उपलब्ध साधनों और उद्देश्य पर निर्भर करता है। पर्वतीय क्षेत्रों में बकरियों को बोझा ढोने के काम में लाया जाता है और इनसे प्राप्त बाल विश्व के अन्य देशों में पाली जानी वाली बकरियों के बालों से उत्तम कोटि के होते हैं जिनसे वस्त्र एवं जरूरत का अन्य सामान बनाया जाता है जबकि मैदानी क्षेत्रों में बकरियों को मांस व दूध के लिए पाला जाता है। इनसे प्राप्त उत्पादों को विभिन्न रूपों में आवश्यकतानुसार परिवर्तित करके मानव अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं। देश की राष्ट्रीय आय में भी बकरी पालन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का सस्ता सुलभ साधन भी है।

अच्छी उत्पादन क्षमता वाली बकरियों का चयन उनके गुणों के आधार पर किया जाता है जैसे अच्छी दुधारू बकरी का माथा लंबा और मध्यम चौड़ाई का, थूथन सुविकसित, नथूने नुकीले और माथे पर घने बाल नहीं होते। इनकी आंखें कड़ी, चमकीली एवं सिधाई लिए होती हैं, गर्दन लंबी, पतली और शरीर से इस प्रकार जुड़ी होती है कि इसमें कोई जोड़ प्रतीत नहीं होता है। दुधारू बकरियों की छाती मध्यम और चौड़ी, अगली टांगे सीधी और मजबूत होती हैं। इसकी पसलियां उभरी और पीछे के घुटने थोड़े झुके हुए होते हैं। अयन पेट के काफी आगे तक बढ़ा हुआ पिछली टांगों के बीच होता है। अयन की त्वचा का कुछ भाग अक्सर कोमल रोमों से आच्छादित रहता है। यह छूने में मुलायम और दूध निकालने के बाद काफी छोटा दिखाई देता है। थन लम्बे, दूर दूर और नीचे की ओर नोकदार होते हैं। दुधारू बकरियों की एक विशेषता यह होती है कि उसकी चमड़ी कोमल, चमकीली, लोचदार और ढीली होती है। अतः बकरियों की नस्ल के चयन के समय इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।

बकरियों के लिए चारा दाना

छोटे या भूमिहीन कृषकों अथवा मजदूरों के परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक या दो बकरी पालते हैं। आमतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बकरियां केवल चराई पर ही निर्भर करती हैं, बकरियों के चारे दाने के संतुलन पर बकरी पालकों का ध्यान कभी नहीं जाता है। परंतु यदि व्यावसायिक बकरी पालन शुरू किया जाये तो अधिकतम दूध व मांस उत्पादन के लिए बकरियों के चारे दाने की समुचित और संतुलित मात्रा में व्यवस्था करना नितांत आवश्यक कार्य हो जाता है।

यदि बकरियों को थान पर रखकर पालना है तो चारे दाने में नियमित रूप से परिवर्तन करते रहना चाहिए। चारा दाना साफ हो, खाने की नादें और स्थान स्वच्छ हो, दाने के साथ हरी पत्तियां या घास भी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में चारा दाना देने पर बकरियां अपना चारा अधिक खराब करती हैं। बकरी को गीली घास या पत्तियां कभी न दें। यदि उन्हें देना आवश्यक हो तो उन्हें सदैव सुखा कर ही दें।

यदि बकरी चराई पर ही निर्भर है तो इसे नियमित रूप से दाना अवश्य देना चाहिए। दुधारू बकरियों को दुग्ध उत्पादकता के आधार पर चने का दाना, चूनी गेहूं की भूसी, मक्का का दलिया और खली निम्न मिश्रणों में देनी चाहिए:

1.	चने का दलिया	2/3 भाग
2.	गेहूं की भूसी	1/3 भाग

या	
गेहूं की भूसी	25 प्रतिशत
मक्का का दलिया	50 प्रतिशत
अलसी की खली	25 प्रतिशत
या	
3. गेहूं की भूसी	25 प्रतिशत
जौ का दलिया	50 प्रतिशत
खली	25 प्रतिशत

उक्त मिश्रण दुग्धावस्था में लगभग 400-500 ग्राम प्रतिदिन और दूध न देने की अवस्था में 200-250 ग्राम प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। दाने के मिश्रण में एक प्रतिशत नमक भी देना अनिवार्य है।

बकरियों के लिए आवास व्यवस्था

व्यावसायिक स्तर पर बकरी पालन के लिए उनके रखने के स्थान का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बकरी पालन के लिए स्थान का चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह स्थान दलदली जमीन, नदी के किनारे और तालाब के समीप नहीं होना चाहिए। आवास के लिए पक्के जालीदार घर या कच्चे औसरे बनाये जा सकते हैं। दो बकरियों के परिवार हेतु तीन मीटर लंबा और डेढ़ मीटर चौड़ा स्थान पर्याप्त होता है। इसमें कुछ भाग खुला और कुछ छत वाला होना चाहिए। ध्यान रहे कि कांटेदार तारों का उपयोग बाड़ा बनाने के लिए कभी भी न करें। यदि स्थानीय जलवायु शुष्क हो तो लंबाघर या औसरे तैयार किये जा सकते हैं। नर, मादा, बच्चों और रोगी बकरियों के लिए अलग-अलग बाड़ा तैयार करना चाहिए।

बकरी के बच्चों की देखभाल

बकरी पालन में अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु बच्चों की समुचित देखभाल और उनका रख-रखाव अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। प्रायः अन्य आयु की बकरियों की अपेक्षा बच्चों में मृत्युदर काफी अधिक होती है, इसलिए बकरी के बच्चों का जन्म से ही ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है। यदि बच्चे स्वस्थ एवं बलवान पैदा होते हैं, तो वे तुरंत ही खड़े होकर मां के थन चूसना शुरू कर देते हैं, यदि वे ऐसा न करें तो उनके मुंह में थन लगाकर उन्हें मां का दूध पिलाना चाहिए। यह इसलिए अनिवार्य है कि जन्म के तुरंत बाद मां का दूध बच्चों को रोग निरोधक क्षमता प्रदान करता है। जब बच्चे दो सप्ताह के हो जायें तब उन्हें थोड़ा-सा चारा या पत्तियां खाने को देनी चाहिए और दो तीन महीने की आयु में मां का दूध पिलाना बंद कर देना चाहिए और उन्हें चराई के लिए जंगल में भेजना चाहिए।

बकरियों के रोगों की रोकथाम

बकरियों में मृत्यु दर अन्य पशुओं की तुलना में अधिक होती है। इस कारण से अधिकांश बकरी पालक बकरी पालने से घबराते हैं। यदि बकरी पालक कुछ रोग निरोधक बातों का ध्यान रखें, तो बकरियों की मृत्यु दर में काफी हद तक कमी की जा सकती है।

स्वस्थ बकरियों के लिए उनका प्रतिदिन निरीक्षण करना नितांत आवश्यक है। स्वस्थ बकरी काफी चपल, चंचल और उछलती कूदती है। इसके लिए विपरीत रोगी बकरी सुस्त अकेली और एकांत स्थान में रहना पसंद करती है। इस प्रकार रोगी बकरियों को सुगमता से छांटा जा सकता है। रोगी बकरियों को स्वस्थ बकरियों से अलग रखें और उन्हें चरने के लिए न भेजें। उनका तुरंत निरीक्षण करें, पशु चिकित्सक के आने तक इनका ज्वर, घाव, अपच या ऐसे अन्य लक्षणों के लिए निरीक्षण और प्राथमिक उपचार किया जाना नितांत आवश्यक हो जाता है।

बकरियों का ज्वर मापने के लिए मनुष्य के काम में आने वाला थर्मामीटर ही प्रयुक्त होता है। यदि किसी प्रकार की बकरी का तामपान 31.99 से. ग्रेड से अधिक है तो वह ज्वरग्रस्त है। ऐसी बकरियों को 3-5 मि. लि. नोवाल्जीन या पैरासिटामोल का इन्जैक्शन दिया जाना चाहिए।

बकरियों के घावों को पोटाश (लाल दवा) फिटकरी या एक्रीप्लेनिन (0.02 प्रतिशत घोल) से पहले साफ कर लें फिर उसमें फ्यूरासिन लारेक्सन या एन्टीसैप्टिक मरहम लगाकर पट्टी कर देनी चाहिए। ऐसा करने से कुछ दिनों में घाव ठीक हो जायेंगे।

संक्रामक रोगों से बकरियों की रक्षा के लिए पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार बकरियों को रोग निरोधक टीके भी नियमानुसार लगवाते रहना चाहिए, ताकि वे स्वस्थ रहें और उनसे दुग्ध और मांस उत्पादन अधिक मिल सके।

बकरियों को रोगों के अलावा कीट भी काफी क्षति पहुंचाते हैं। अतः उनकी रोकथाम की ओर भी बकरी पालकों को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए ताकि वे स्वस्थ रहें। बकरियों से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए उन्हें बाह्य और अन्तः परजीवियों की रोकथाम के लिए 0.1-0.2 प्रतिशत मैलाथियान का घोल शरीर पर दो तीन बार लगाना चाहिए।

इस व्यवसाय को सुगमता से प्रारंभ किया जा सकता है। महिलाएं, वृद्ध, बच्चे जो कोई भी अन्य कार्य करने में सक्षम न हो, वे आसानी से इसे शुरू कर सकते हैं। ग्रामीणों और कृषकों को बकरी पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने से ही लाभ है, क्योंकि बकरियां पहली बार में कम उम्र में ही बच्चा देती हैं। वर्ष में दो बार बच्चे देने और एक बार में औसत दो बच्चों को एक साथ पैदा करने की क्षमता के कारण इनसे लाभ ही लाभ है। इनका गर्भकाल भी अन्य पशुओं की अपेक्षा कम समय का होता है, दुग्ध एवं मांस का उत्पादन अन्य पशुओं की अपेक्षा ये अपने जीवन काल में अधिक करती हैं।

देश व विदेश द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के फलस्वरूप विभिन्न परियोजनाएं भिन्न-भिन्न अनुसंधान संस्थानों पर और अधिक विशेष ध्यान देने और इनके समुचित विकास के लिए चलाई जा रही हैं। इस दिशा में केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा (उत्तर प्रदेश) का अनुसंधान कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह संस्थान बकरियों के सर्वांगीण विकास में सतत तत्पर है और वहां पर बकरियों के समुचित विकास व भविष्य की संभावनाओं का पता अनेक अनुसंधानों व शोध कार्यों द्वारा किया जा रहा है।

व्यवसाय के रूप में बकरी पालन करने के लिए कम से कम 20 बकरी और एक बकरे से शुरूआत करनी चाहिए। सरकार भी अनेक योजनाओं द्वारा बकरी पालकों को समय-समय पर सहायता करती है। इस प्रकार सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर बकरी पालन का धंधा प्रारंभ किया जा सकता है जिससे न केवल, मांस और दूध उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि बकरी पालकों की आमदनी में वृद्धि भी होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

संयुक्त संपादक,
फसल संदेश,
1023, टाइप 4 एन. एच. 4,
फरीदाबाद - 121001

लघु कथा

कीमत

✍ हरीश कुमार 'अमित'

"ओहो भैया, पैसे तो मैं घर ही भूल आया" सब्जियां तुलवाकर सब्जी वाले को पैसे देने के लिए कोट की जेब में हाथ डालते ही मेरे मुंह से निकल पड़ा।

"ठीक है, पैसे लेकर आओ तो ले जाना।" कहते हुए सब्जी वाले ने तराजू के पलड़े वाली सब्जी उस सब्जी के ढेर की तरफ उछाल दी थी। उसके बाद मेरे लिए तोली गई दूसरी सब्जियों के लिफाफों को भी खोल-खोलकर वह अलग-अलग ढेरों में मिलाने लगा था।

वापस अपने घर की तरफ जाते वक्त मुझे यह भी सुनाई पड़ा, "आ जाते हैं टेम खराब करने।"

गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, पर यह सोचकर कि इस आदमी से सब्जियां तुलवाई थीं, सो अब इसी से खरीदनी चाहिए, घर से पैसे लेकर थोड़ी देर बाद में फिर उसी सब्जी वाले के पास आ गया था। कुछ जल्दी थी, इसलिए इस बार मैं अपने स्कूटर पर आया था। सब्जियां दोबारा तुलवाकर उसे पैसे देने के लिए जब मैंने अपने कोट की जेब से पर्स निकाला, तो उसमें से झांक रहे सौ-सौ के काफी सारे नोट देखकर वह कहने लगा, "ऐसी क्या बात थी साहब, आप सब्जी ले जाते, पैसे तो आते रहते।"

20 बी/32 बी, तिलक नगर,
नई दिल्ली - 110018

हस्तशिल्प उद्योग : स्वरोजगार में सहायक

✍ प्रवीण कुमार मल्लिक

वर्तमान समय में रोजगार के लिए नित्य बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और इसके सीमित अवसरों के कारण दिन-प्रतिदिन समाज में बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़ती समस्या का कारण युवाओं का मुख्य रूप से सरकारी नौकरियों एवं बड़े उद्योगों की ओर आकर्षित होना है। इसके समाधान के रूप में हस्तशिल्प जैसे लघु एवं कुटीर उद्योग एक सशक्त उपाय हो सकता है।

राजकोषीय आयोग के अनुसार जब किसी औद्योगिक इकाई में केवल परिवार के सदस्य ही काम करते हैं, तो वह 'कुटीर उद्योग' होता है जबकि लघु उद्योग में 10 से 50 मजदूरों द्वारा पारिश्रमिक के बदले सेवा प्राप्त की जाती है। औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 के तहत इन औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंसिंग से मुक्त रखा गया है। इन्हीं उद्योगों में हस्तशिल्प उद्योग भी एक है।

प्राचीन काल से ही भारत का हस्तशिल्प उद्योग विश्वविख्यात रहा है। ढाका की मलमल, कश्मीर की शालें, लखनऊ का चिकेन, मिर्जापुर के कामदार धातु के बर्तन, बनारस की साड़ियां और कालीन का शुरू से ही विदेश व्यापार में विशेष स्थान रहा है। आज भी विदेशी मुद्रा अर्जन की दृष्टि से देश की अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हीरे-जवाहरातों को छोड़कर हस्तशिल्प की अन्य वस्तुओं के निर्यात का मूल्य 1985-86 में लगभग 500 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 1991-92 में लगभग 1900 करोड़ रुपये हो गया।

रोजगार की दृष्टि से तो यह उद्योग बहु आयामी है। इस समय हस्तशिल्प उद्योग के क्षेत्र में करीब 40 लाख कारीगरों को रोजगार मिला हुआ है। बड़े उद्योग प्रायः पूंजी प्रधान होते हैं इसलिए उनमें प्रति श्रमिक उत्पादकता अधिक रहने के साथ-साथ आर्थिक निवेश भी अधिक होता है। इसके विपरीत, लघु और कुटीर उद्योग श्रम प्रधान होते हैं। इसलिए उनमें रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता बड़े उद्योगों की अपेक्षा कहीं ज्यादा होती है। चूंकि भारत में प्रायः पूंजी की कमी और श्रम का आधिक्य है, इसलिए रोजगार उपलब्ध कराना हस्तशिल्प उद्योग के समर्थन में सबसे महत्वपूर्ण तर्क है।

कुटीर उद्योगों को शुरू करने में बहुत थोड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। मात्र 700-800 रुपये तक की पूंजी से ही कोई शिल्पी परिवार धंधा शुरू कर सकता है। जैसे– मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने बनाना, लकड़ी के छोटे-छोटे खिलौने बनाना, शादी ब्याह, भोज व दुकान आदि में प्रयोग किये जाने वाले पत्तल और दोने बनाना, टोकरी बुनना, बेंत का काम करना, हाथ का पंखा बनाना, लाख की चूड़ियां बनाना, छोटी-मोटी सजावटी वस्तुएं बनाना, वाल हेंगिंग बनाना, फूलों के गुलदस्ते व माला बनाना। इस उद्योग के लिए स्थान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। घर-आंगन ही इसका कारखाना होता है और परिजन ही मजदूर-मालिक। इससे परिवार के सभी सदस्यों को स्वतः रोजगार की प्राप्ति होती है। फलतः परिवार की आय में भी पर्याप्त वृद्धि होती है। इस प्रकार इससे राष्ट्रीय आय का बेहतर ढंग से वितरण होता है। साथ ही उद्योगों का क्षेत्रीय विकेन्द्रीकरण भी होता है जिससे उद्योगों की क्षेत्रीय असमानता एवं शहर की ओर बढ़ती पलायनवादी भीड़ को रोका जा सकता है।

हस्तशिल्प उद्योगों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यथा–पूंजी की कमी, कच्चे माल एवं विपणन की समस्या आदि। इन समस्याओं से उद्योग के संरक्षण एवं उसके संवर्द्धन के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम समय-समय पर उठाये जाते रहे हैं। इस उद्देश्य से 1947 में ही कुटीर उद्योग बोर्ड का गठन किया गया, जिसके तहत एक अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड भी स्थापित किया गया।

ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैले हुए छोटे ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1978 में केन्द्र सरकार द्वारा जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम प्रायोजित किया गया। इसके तहत उद्यमी को पूंजी निवेश से पूर्व, पूंजी निवेश के समय और उसके पश्चात् यथासंभव सभी आवश्यक सेवाएं और सहयोग जिला स्तर पर उपलब्ध कराया जाता है– यथा साख, कच्चे-माल की खरीददारी, प्रशिक्षण, विपणन आदि की व्यवस्था। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में ऐसे उद्योगों की स्थापना पर अधिक जोर दिया जाता है, जिनसे इन इलाकों में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा किए जा सकें। जिला उद्योग केन्द्र 18 से 35 वर्ष तक की उम्र के दसवीं कक्षा तक पढ़े शिक्षित

(शेष पृष्ठ 30 पर)

ग्रामीण विकास में पवन ऊर्जा आपरेटरों का योगदान

✍ पी. आर. त्रिवेदी

पृथ्वी पर पवन का असीमित एवं कभी समाप्त न होने वाला भण्डार उपलब्ध है जो कि प्रकृति की अनुपम देन है। विश्व के अनेक देशों में इस प्राकृतिक ऊर्जा के संसाधन का भरपूर दोहन कर ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। भारत में भी पवन ऊर्जा दूरस्थ क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों एवं समुद्री तटीय क्षेत्र के लोगों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में क्रान्तिकारी भूमिका निभा सकती है। देश में पवन ऊर्जा कार्यक्रम "वाटर पम्पिंग", "बैटरी चार्जिंग" एवं "पावर जेनरेटिंग" के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए देश के तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर पवन संसाधन का उपयोग करते हुए ऊर्जा संरक्षण, विपणन एवं संग्रहण का कार्य कर न केवल ग्रामीण विकास में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं बल्कि इसे आय का साधन भी बना सकते हैं। वर्तमान में देश के अनेक क्षेत्रों में लगभग 43 मेगावाट पवन शक्ति क्षमता की स्थापना की जा चुकी है जिसमें निजी क्षेत्र की 6.5 मेगावाट क्षमता शामिल है।

बाड़मेर जैसे विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र के लगभग 28 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लगभग 1639 गांवों में 14 लाख से ज्यादा की आबादी बसती है। इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 13 लाख व्यक्ति निवास करते हैं। जिले के विशाल भू-भाग के ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-दूर स्थिति ढाणियों में एक-एक या दो-दो परिवार निवास करते हैं। इस प्रकार की प्रकृति, बसावट और मरुस्थलीय क्षेत्र में आम ग्रामीण तक सामान्य सुविधाएं जुटा पाना सरकार के लिए कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। इन क्षेत्रों की सबसे प्रथम जरूरत पेयजल और ऊर्जा की है जिनमें पेयजल की आपूर्ति भी ऊर्जा की कमी के कारण अनेक स्थानों पर पूरी नहीं की जा सकती है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक, अभियांत्रिकी या विज्ञान स्नातक छात्रों को यदि पवन संसाधन द्वारा पवन चक्की के माध्यम से ऊर्जा के उत्पादन, संरक्षण, विपणन एवं संग्रहण के लिए उत्प्रेरित किया जाए तो न केवल इन युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों की ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी की जा सकेगी।

बाड़मेर जिले के मरुस्थलीय गांवों एवं ढाणियों में 'पवन ऊर्जा' का उत्पादन एवं उपयोग आरम्भ हो जाने से स्थानीय ग्रामीणों की अनेक समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और साथ ही ग्रामीण विकास भी होगा। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्ष भर तेज हवाएं एवं आंधियां चलती रहती हैं जिसका लाभ उठाते हुए "पवन चक्की आपरेटर" अपने यंत्रों के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन कर इसे अपनी आय का जरिया बना सकते हैं। इस पवन ऊर्जा के आधार पर कुएं से पानी निकालने, बैटरी चार्जिंग एवं विद्युत उत्पादन का कार्य आसानी से किया जा सकता है।

आठवीं योजना के अन्तर्गत देश में निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए एक सौ मेगावाट ऊर्जा के अतिरिक्त क्षमता की स्थापना की योजना प्रस्तावित है। निजी क्षेत्र के पवन ऊर्जा कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक एवं आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकारें विशेष प्रयास कर रही हैं। इन सरकारों ने "पवन विद्युत जनरेटर" के स्वदेशी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने पर विशेष बल दिया है।

उल्लेखनीय है कि देश में लगभग एक दशक पूर्व संमुद्री किनारे वाले क्षेत्रों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत पवन ऊर्जा की महत्ता ध्यान में लाई गई। प्रकृति ने हमें शुद्ध, विश्वसनीय, मूल्य प्रभावित एवं मानव समुदाय के लाभार्थ प्रचुर मात्रा में वायु एवं उसके वेग का अथाह भण्डार दिया है। वर्ष 1992 तक देश में पवन ऊर्जा आधारित 151 "डीप विण्ड पम्प" स्थापित किये जा चुके थे तथा 89 पम्पों का कार्य प्रगति पर था। इनमें से राजस्थान में 19 पम्प स्थापित किए गए। एक सर्वे के मुताबिक देश के "राष्ट्रीय पवन शक्ति कार्यक्रम" के तहत 99 मेगावाट क्षमता निर्धारित है जिसमें से 36.5 मेगावाट के "प्रदर्शन प्रोजेक्ट" स्थापित किये जा चुके हैं तथा 14 मेगावाट के प्रदर्शन प्रोजेक्ट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। देश में 303 "पवन विद्युत जनरेटर" स्थापित हैं जिनका इकाई आकार 55-300 किलोवाट है। "प्रदर्शन प्रोजेक्ट" से अप्रैल 92 से अगस्त 93 की अवधि के मध्य तक 3.03 करोड़ यूनिट का उत्पादन किया गया।

देश में "पवन विद्युत जेनरेटर" के लिए सरकार ने कई लाभदायक प्रोत्साहन निर्धारित कर रखे हैं। कस्टम की एक

अधिसूचना के अनुसार जेनरेटर के उत्पादकों एवं निर्माताओं द्वारा लगभग दस कलपुर्जों को बिना ड्यूटी आयात किया जा सकता है। इस क्षेत्र में स्वदेशी यन्त्रों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक अवरोध को कम करते हुए पूरे पवन टरबाईन की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत कस्टम शुल्क में रियायत का प्रावधान किया गया है। इन संयंत्रों की स्थापना पर एक वर्ष के लिए करों में छूट का प्रावधान भी किया गया है। वाणिज्य कर एवं उत्पाद शुल्क में छूट तथा "इन्डियन रिन्यूरबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी' के माध्यम से विभिन्न रियायतों सहित वित्तीय सहायता की सुविधा भी उद्यमियों को सुलभ करवाई जाती है। कुछ राज्यों में ऊर्जा बैंकिंग एवं ऊर्जा क्रय करने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा प्रदत्त है। ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों का उपयोग करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कम्पनी अधिनियम के तहत सरकारी कम्पनी के रूप में "भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी" पंजीकृत की है। यह कंपनी गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, कीमतों में रियायत तथा आयकर, बिक्री कर, केन्द्रीय उत्पादक शुल्क एवं सीमा शुल्क में छूट की विशेष सुविधाएं प्रदान करवाती है।

पवन ऊर्जा का औसत वार्षिक आउट पुट 4,00,000 किलोवाट है। यह 120-200 टन कोयले का विकल्प है। इसके अतिरिक्त 200 किलोवाट का "पवन विद्युत जनरेटर" 2 से 3.2 टन सल्फर डाई आक्साईड, 16-18 टन धातु का मल, 1.2 से 2.04 टन नाईट्रोजन आक्साईड, 300-500 टन कार्बन डाई आक्साईड तथा वायुमण्डल में उड़ने वाली राख के प्रदूषण से प्रतिवर्ष हमें मुक्त रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पवन ऊर्जा न केवल हमारे कोयला भण्डार को बचाती बल्कि प्रदूषण से भी मुक्त रखती है।

देश की एक निजी कम्पनी "आर.आर.बी. कन्सल्टेन्ट्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड" ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में आदर्श प्रस्तुत किया है तथा वर्तमान में 12 राज्यों में करीबन 125 से अधिक पवन जेनरेटर स्थापित किये हैं। इन वायु शक्ति केन्द्रों पर लगभग 18 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कार्यरत एक सिद्धहस्त अभियन्ता पद्मश्री राजेश बख्शी के अनुसार देश में वायुशक्ति से 25 हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादित करने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि थोड़े से तकनीकी ज्ञान के आधार पर एवं चार माह की अल्प अवधि में पवन टरबाईनें स्थापित की जा सकती है जिसके माध्यम से 85 पैसे प्रति यूनिट लागत पर विद्युत उत्पादन सम्भव है। लगभग 20 वर्ष तक चलने वाले वायुशक्ति केन्द्र की स्थापना लागत लगभग 11 हजार रुपये तक आंकी गई है। श्री बख्शी द्वारा शीघ्र ही 30 मेगावाट पवन विद्युत उत्पादन स्तर हासिल करने की योजना है। इनकी एक कम्पनी आर.आर.बी. वेस्टास भी है जो कि हालैण्ड के सहयोग से पवन टरबाईनों के निर्माण में सक्रिय है। इस कम्पनी का सबसे आलीशान एवं महत्वाकांक्षी पवन ऊर्जा केन्द्र पोरबन्दर से कुछ किमी दूर लाम्बा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। इस मेगावाट क्षमता वाला यह पवन शक्ति आधारित उद्यम एशिया का सबसे बड़ा वायुशक्ति केन्द्र है। पवन चक्कियों वाले देश हॉलैण्ड के सबसे बड़े पवन ऊर्जा केन्द्र की क्षमता के मुकाबले यह केन्द्र मात्र दो मेगावाट नीचे है। लगभग 18 करोड़ रुपये की लागत वाला यह केन्द्र प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों का कारोबार करता है तथा यहां तैयार की गई बिजली गुजरात राज्य का बिजली बोर्ड क्रय करता है।

देश एवं राजस्थान राज्य में विद्युत संकट हमेशा बना रहता है तथा राजस्थान के पिछड़े दूरस्थ क्षेत्रों में आगामी कई वर्षों तक इस सुविधा का पहुंचना काफी मुश्किल लगता है। ऐसे हालातों से उबरने के लिए गांव में पवन ऊर्जा संयन्त्रों के आपरेटरों के आगे आने की काफी आवश्यकता है जो कि ऊर्जा की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हुए स्वयं रोजगार की प्राप्ति कर सकें। इन युवा आपरेटरों को स्थानीय आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक, अभियान्त्रिकी एवं विज्ञान कॉलेजों में अपरम्परागत ऊर्जा विषयों में तथा ट्रेडों में प्रशिक्षित कर तैयार किया जा सकता है तथा स्वरोजगार योजना के माध्यम से ये संयन्त्र लगाने के लिए उत्प्रेरित किया जा सकता है। जब ये आपरेटर ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन शुरू कर देंगे तब उन्हें सरकारी स्तर पर ऊर्जा विपणन की सुविधा प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा एवं रोजगार दोनों संकट समाप्त हो सकते हैं।

हनुमान मंदिर के पीछे,
सदर बाजार,
बाड़मेर (राजस्थान)

घातक है बैलगाड़ियों की बेहतरी में बेपरवाही

डा. राधा मोहन श्रीवास्तव

बैलगाड़ियां न केवल परिवहन का सस्ता साधन हैं बल्कि आम ग्रामीणों की सवारी भी हैं। भारत में लगभग सवा करोड़ लोगों को बैलगाड़ी के कारण अंशकालिक और कुछ हद तक पूर्णकालिक रोजगार मिला हुआ है। यह देश के दूरदराज इलाकों में उपलब्ध एक मात्र परिवहन माध्यम भी है। यही कारण है कि परिवहन एवं आवागमन क्षेत्रों में बैलगाड़ी का अस्तित्व आज भी कायम है। रफ्तार के इस युग में धीमी चाल वाली बैलगाड़ी को अब भी पुरातत्व का अवशेष नहीं बनने दिया गया है बल्कि इसकी उपयोगिता में सुधार लाने और बैलों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। परिवहन के साधन के रूप में बैलगाड़ी का निरन्तर महत्वपूर्ण बना रहना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल प्रतीत होता है।

हर साल 12 अरब की आय

परम्परागत बैलगाड़ी आज भी भारतीय अर्थ व्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। देश में बैलगाड़ियों की संख्या लगभग दो करोड़ है। गाड़ी व बैलों पर 36 अरब रुपये की पूंजी लगी हुई है और इन सबसे वर्ष में 12 अरब रुपये की आय होती है। लगभग दो करोड़ लोग बैलगाड़ी की अर्थ व्यवस्था पर निर्भर करते हैं और अनुमान है कि हर साल एक लाख से अधिक परम्परागत किस्म की बैलगाड़ियां बनायी जाती हैं। ये बैलगाड़ियां साल में 41 अरब मीट्रिक टन सामान ढोती हैं। बड़े शहरों तथा महानगरों में लगभग 20 लाख बैलगाड़ियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचाती हैं।

परम्परागत स्वरूप से 80 करोड़ की क्षति

कहना न होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खराब सड़कों पर चलने और लोहे के रिम वाले पहियों के इस्तेमाल के बावजूद बैलगाड़ी के टिकाऊपन में कमी नहीं आई है और यह परिवहन का बहुत ही भरोसेमंद साधन है। परम्परागत बैलगाड़ी के लकड़ी और इस्पात के रोल वाले पहियों से भारत की सड़कों को हर साल कम से कम 80 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। ठीक ढंग से न बनायी गई या लापरवाही से रखी गयी बैलगाड़ियों का उनमें जोते जाने वाले बैलों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

डिजाइन में सुधार वाले नमूनों की तैयारी

आधुनिक विज्ञान व प्रोद्योगिकी के लाभ देकर बैलगाड़ी को अन्य ग्रामोद्योगों की तरह उत्पादक और कुशल बनाया जा सकता है। पिछले वर्षों में इस दिशा में कई तरह के प्रयास किए गये हैं। सन् 1973 में जब बंगलौर में भारतीय प्रबन्ध संस्थान खोला गया तभी से बैलगाड़ियों को तेज रफ्तार वाली और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए अनुसंधान का कार्य हाथ में लिया गया। तीन साल बाद, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग ने डिजाइन में सुधार वाली गाड़ियों के नमूने तैयार करने के लिए भारतीय प्रबन्ध संस्थान को एक लाख रुपये का अनुदान दिया। नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय ने भारतीय अर्थ व्यवस्था में बैलगाड़ी के आर्थिक एवं सामाजिक महत्व का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय प्रबन्ध संस्थान और नई दिल्ली स्थित नेशनल काउन्सिल ऑफ एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च को सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का काम सौंपा।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान ने परंपरागत बैलगाड़ियों के बैयरिंग, धुरी, जुआ, शॉक एब्जार्बर और ब्रेक व्यवस्था में सुधार करके नई डिजाइन की परिष्कृत बैलगाड़ी निकाली। वर्ष 1986 में बैलगाड़ी जो दो बैलों से खींची जाने वाली है, की कुल लागत 3,500 से 4000 रुपये के बीच बैठती थी। अब यह लागत 5000 से 6000 रुपये के बीच आयेगी। भारतीय प्रबन्ध संस्थान का दावा है कि यह गाड़ी उचित देखभाल होने पर 10 से 15 साल तक ठीक तरह काम करेगी।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान द्वारा डिजाइन की गयी गाड़ी में इस्पात के रिम वाले लकड़ी के पहियों के स्थान पर न्यूमेटिक टायर लगे हैं। परम्परागत बैलगाड़ियों के मुकाबले यह डिजाइन काफी बढ़िया और भरोसेमन्द है। धुरी, पहिया और बैयरिंग में परिवर्तन किए गये हैं। धुरी के वजन और लागत को कम किया गया है। तोपधातु या पीतल के बैयरिंग लगाए गए हैं। खींचने वाली मोटी लकड़ी जुआ में सुधार लाकर मवेशी पर पड़ने वाले भार में कमी की गयी है। गाड़ी के ढांचे में किए गये परिवर्तन से भारवहन क्षमता पर कोई असर डाले बगैर गाड़ी के वजन को कम किया गया है।

घट रहा है बैलों के बूते खेती का प्रचलन

बहरहाल, बैलगाड़ी का केवल आधुनिकीकरण ही काफी नहीं होगा, परिवहन की आधुनिक प्रोद्योगिकी के फायदों को ग्रामीण इलाकों में भी ले जाकर परिवहन के माध्यम को बढ़ाने और बैलगाड़ी को भी धीरे-धीरे समाप्त करने के प्रयास जारी रहने चाहिए। गांवों में ट्रेक्टर व ट्रेक्टर ट्रालियों के प्रचलन से खेत जोतने और बैलगाड़ी में जुतने में इस्तेमाल होने वाले बैलों की संख्या घट रही है। किसान अब बैलों के बूते खेती करना बेहद जहमत भरा तथा खर्चीला काम समझने लगे हैं। आज सबसे चुनौती भरा कार्य यह है कि देश के विभिन्न भागों और अलग-अलग कार्यो के लिए उपयोगी सैकड़ों किस्म के बैलगाड़ियों के डिजाइन कम लागत पर कैसे तैयार किए जाएं? इसके साथ ही चाहे बैलगाड़ी सदियों से कायम रही है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल इस दलील के रूप में जारी नहीं रखा जा सकता कि ग्रामीणों को परिवहन के तेज और अधिक फायदेमन्द साधन नहीं उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

नए डिजाइन किसानों की क्रय शक्ति के भीतर हो

सन् 1930 के दशक में निजी एजेन्सियों द्वारा पहली बार बैलगाड़ी के डिजाइन में सुधार लाए गए थे। सन् 1940 के दशक में डनलप कम्पनी ने प्रोटोटाइप बनाया। इसके रबड़ टायरों को देश में डेढ़ करोड़ बैलगाड़ियों में से दस लाख बैलगाड़ियों द्वारा अपनाया गया है।पंजाब व हरियाणा में आज भी अर्द्ध परिष्कृत गाड़ियां देखी जा सकती हैं। बाद में ट्यूब इंडिया लि. ने फायरस्टोन की सहायता से नए डिजाइन की एक गाड़ी तैयार की। इन सब माडलों के साथ कठिनाई यह थी कि वे बहुत मंहगे थे और औसत किसान की औकात से परे थे।

घातक है बैलगाड़ी को बेहतरी में बेपरवाही

सन् 1940 के दशक में भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने भी न्यूमेटिक टायर और रोलर-बैयरिंग लगाकर बैलगाड़ी में सुधार लाने की कोशिश की। ये गाड़ियां गन्ना उगाने वाले इलाकों में काफी लोकप्रिय हुईं। अनुमान है कि देश में कुल डेढ़ करोड़ बैलगाड़ियों में से लगभग दस लाख गाड़ियों में न्यूमेटिक टायर लगे हुए हैं। अब इन गाड़ियों को सुधारने का कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया जा रहा है। यद्यपि यह सोचना कि बैलगाड़ियों का चलन धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगा, अपनी जगह पर सही है किन्तु इस कार्य में अभी से बेपरवाह बन जाना भारी भूल होगी।

अध्यक्ष, कृषि अर्थशास्त्र विभाग,
नेशनल पी. बी. कालेज, बड़हलगंज,
गोरखपुर, पिन-273402

(पृष्ठ 26 का शेष)
हस्तशिल्प उद्योग...

बेरोजगारों को उद्योग, सेवा और छोटे-मोटे व्यापार के जरिये रोजगार दिलाने में मदद करता है। इस समय देश में 422 जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधि के रूप में हस्त शिल्प से आय व रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा देश की विदेशी मुद्रा आय बढ़ाने के लिए हस्तशिल्प की विदेशी मुद्रा अर्जक क्षमता को बढ़ाना है। साथ ही हस्तशिल्प बाहुल्य क्षेत्रों में 150 हस्तशिल्प विकास केन्द्र खोलना, ताकि हस्तशिल्पियों को कच्चा माल, सामान्य सुविधाएं, डिजाइन-विकास तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएं सुलभ हो सकें।

इस प्रकार सरकारी नीति एवं हस्तशिल्प में रोजगार की क्षमता हमारे पक्ष में है। जरूरत है पहल एवं प्रयास करने की।

11, महेन्द्रवी छात्रावास,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
संकट मोचन मार्ग, लंका,
वाराणसी-221005

ग्रामीण बच्चों के विकास में बाधक है बाल-मजदूरी प्रथा

डा. राकेश अग्रवाल

ग्रामीण क्षेत्रों और निर्बल वर्ग की बस्तियों में प्रायः छोटे बच्चों को मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाता है। कच्ची उम्र में ही बच्चे मेहनत-मजदूरी के चक्र में ऐसे फंसते हैं कि इनका बचपन ही इनसे नहीं छिनता, बल्कि उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी रुक जाता है। फिर ये बच्चे परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपेक्षित योगदान नहीं कर पाते हैं।

प्राचीन काल से ही बाल मजदूर कृषि, उद्योग, व्यापार तथा घरेलू कार्यों में संलग्न रहते आये हैं, किन्तु उस काल में शिक्षा का इतना महत्त्व नहीं था। आज समय बदल रहा है। शिक्षा को जीवन का अभिन्न अंग माना जाने लगा है। यदि बचपन ही मजदूरी की वेदी पर होम कर दिया जाता है तो शिक्षा से अछूता रहकर वह बालक अभावों की भूलभुलैया में खो जाता है। फिर, बाल श्रमिकों के हाथों में कलम और किताबों के स्थान पर हंसिया, फावड़ा और श्रम के निशान ही सदैव दिखाई देते हैं। वे जीवन भर मजदूरी का बोझ ढोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बचपन के मोहक सपने सदा के लिए इनकी आंखों से दूर हो जाते हैं।

हमारे देश में लड़के और लड़कियां दोनों ही अशिक्षा, पारिवारिक परम्पराओं और आर्थिक अभावों के कारण मजदूरी करते हैं। अधिकांश लड़के जहां बोझा ढोते, पशु चराते, पालिश करते, अखबार बेचते अथवा उद्योग, व्यापार और होटलों आदि में बाल श्रमिक के रूप में कार्य करते हुए देखे जाते हैं, वहीं अधिकांश लड़कियां कृषि, लघु कुटीर उद्योगों तथा घरेलू कामों में मजदूरी करती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज के बेरोजगारी के जमाने में बाल मजदूरों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रतिवेदन के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बाल श्रमिक भारत में हैं। विश्व के कुल बाल श्रमिकों का लगभग पांचवां हिस्सा भारत में है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग एक करोड़ 23 लाख थी। श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर तीसरे परिवार में एक बाल श्रमिक है और 5 से 14 वर्ष की आयु का हर चौथा बच्चा, बाल श्रमिक है।

गांवों में बच्चों को स्कूल न भेजकर खेती व पशुपालन के काम में लगाए रखा जाता है। इसी कारण लगभग 80 प्रतिशत बाल मजदूर कृषि क्षेत्र में दिखाई देते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण भारतीय परिवारों की आमदनी का लगभग एक चौथाई भाग बाल मजदूरों को प्राप्त होता है। ये बाल मजदूर अपने गरीब परिवारों की रोजी-रोटी में हिस्सा बटाने के लिए प्रतिदिन दस से चौदह घंटे तक कठोर परिश्रम करते हैं। बाल मजदूरों में लड़कियों की संख्या भी कोई कम नहीं है। भारत में 33 प्रतिशत बाल मजदूर लड़कियां हैं।

विभिन्न जातियों और वर्गों पर आधारित हमारी सामाजिक संरचना इस प्रकार की है कि निम्न जाति और वर्गों के परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चों को बचपन से ही मजदूरी विरासत में मिलती है। गरीबी और सामाजिक व्यवस्था के कारण निम्न जाति के परिवार उच्च जाति के परिवारों की सदैव सेवा करते आए हैं। बच्चों को मां-बाप का अनुसरण करते हुए शैशव काल से चाकरी का प्रशिक्षण मिल जाता है। आर्थिक संकटों के कारण निर्धन-वर्ग के लोग बच्चों को स्कूल भेजने के स्थान पर काम में लगा देते हैं। वे हीन भावना से ग्रसित होने के कारण प्रायः सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़-लिखकर कलक्टर तो बन नहीं सकते, फिर क्यों न अभी से चार पैसे कमाना सीखें। बच्चों की मजदूरी से घर चलाने में सहायता भी मिलेगी और काम पर लगने से बच्चे बुरी संगति में पड़ने से भी बचे रहेंगे। मां-बाप की यह सोच बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है। हो सकता है परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण बच्चों को काम पर लगाना जरूरी हो, किन्तु यह बच्चों के भविष्य की दृष्टि से सर्वथा अनुचित है। जब तक बच्चा, चाहे वह लड़का हो या लड़की, कम से कम दसवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त न कर ले उसे मजदूरी के लिए भेजना उसके भविष्य से खिलवाड़ करने के समान है।

मजदूरी की मजबूरी

बच्चे अपनी मर्जी से मजदूरी करने के इच्छुक नहीं होते हैं। पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियां उनको मजदूरी करने के लिए विवश करती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार केवल 6 प्रतिशत बच्चे ही पढ़ने से जी चुराने या परिस्थितियों आदि के कारण स्वयं मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाल श्रमिकों को बढ़ावा देने में निहित स्वार्थों के कारण उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, सम्पन्न किसानों और बिचौलियों की विशेष भूमिका

होती है। ये लोग कम मजदूरी देकर अधिक काम लेने के विचार से बाल मजदूरों को आकर्षित करते हैं। निर्धन लोग मजदूरी के लालच में अपने बच्चों को इनके यहां काम पर लगा देते हैं और बच्चों का मजदूरों के रूप में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण प्रारम्भ हो जाता है। परिवार वाले ज्यादातर बच्चों की आमदनी के लालच में शोषण को नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह से देर रात तक थकान भरे काम करने के बाद भी बाल मजदूरों को तुलना में बहुत कम मजदूरी मिलती है। वास्तव में सस्ते श्रम में काम निकालने की दूषित मनोवृत्ति ने बाल मजदूरी प्रथा को प्रोत्साहित किया है। अनेक मामलों में बाल मजदूरों की उम्र उनकी वास्तविक उम्र से अधिक दिखाकर कानून का उल्लंघन किया जाता है।

आर्थिक अभाव और कठोर परिश्रम के कारण लगभग एक तिहाई बाल मजदूर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। गरीबी के कारण मेहनत के बाद भी उन्हें समुचित मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। बाल मजदूर अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। चिलचिलाती धूप हो या ठिठुरा देने वाली ठण्ड अथवा बरसात, नन्हें बाल मजदूर काम में विमुख नहीं हो सकते। ऐसे में वे अनेक बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। धूल, धुंआ, धूप और शोर आदि के कारण बाल श्रमिक स्थायी तौर पर अस्वस्थ रहने लगते हैं। बर्तन उद्योग, माचिस उद्योग, कांच उद्योग, बीड़ी उद्योग, आतिशबाजी उद्योग तथा खान उद्योग आदि में काम करने वाले बाल श्रमिकों को आंखों, फेफड़ों तथा चर्म आदि से सम्बन्धित रोगों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटनाओं के कारण अनेक बार बाल श्रमिकों को अपने शरीर के अंगों से हाथ धोना पड़ता है और कभी-कभी वे मौत का भी शिकार बन जाते हैं।

बाल मजदूरों को सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखा जाता है। प्रायः मालिक लोग बाल-मजदूरों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मालिकों द्वारा बाल श्रमिकों को डांट-फटकार और गालियां देना आम बात है। कभी-कभी पिटाई की भी नौबत आ जाती है। इन अमानवीय परिस्थितियों में भी बाल मजदूर मानसिक और शारीरिक शोषण के बाद भी काम करते रहते हैं। ऐसे में उनकी आत्मा मर जाती है। बालपन की चंचलता और मस्ती लुप्त हो जाती है। कुंठा और तनावों के कारण अनेक बाल मजदूर मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो जाते हैं। खेतों, खलिहानों और कारखानों आदि में बाल श्रमिकों से अत्यधिक कार्य लिया जाता है। श्रम कानूनों के अनुसार बाल मजदूरों से सप्ताह में कुल 40 घंटे काम लेना चाहिए जबकि व्यवहार में कानून की अवहेलना करके मालिकों द्वारा बाल मजदूरों से 60 से 65 घंटे कार्य लिया जाता है। इससे बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्हें अपने विकास के लिए समय बिल्कुल नहीं मिल पाता है।

कानूनी व्यवस्था

कम मजदूरी और अधिक काम के बाद भी बाल मजदूरों को अपरिपक्व बच्चों के रूप में ही देखा जाता है। बड़े मजदूरों की तुलना में बाल मजदूरों को कम आय के साथ अधिकार भी कम प्राप्त होते हैं। अन्य मजदूरों के कल्याण के लिए कानूनी रूप से मजदूर संगठन आदि बने हुए हैं किन्तु बाल मजदूरों को सहारा देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों, फैक्ट्रियों व खानों में जोखिम भरे काम कराना अपराध है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इसके लिए राज्य के नीति निदेशक तत्वों द्वारा बच्चों का शोषण रोकने की जिम्मेदारी सरकार पर डाली गयी है। संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर किसी को भी ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। बच्चों का शोषण से संरक्षण किया जाए तथा उन्हें नैतिक व आर्थिक पतन की ओर न धकेला जाए। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा बाल मजदूरों के रोजगार की स्थिति को नियमित और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न कानून बनाए जाएं। बाल कल्याण के लिए बनाए गए कुछ कानून इस प्रकार हैं– बाल अधिनियम, 1933, बाल रोजगार अधिनियम-नियम, 1938, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम, 1940, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, बागान श्रम अधिनियम, 1951, खान अधिनियम, 1952, मोटर यातायात अधिनियम, 1952 दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम, बाल (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम तथा बाल श्रमिक (प्रतिबन्ध एवं नियमन) अधिनियम, 1986। ये अधिनियम बाल कल्याण के लिए बाल मजदूरों की सेवाओं, कार्यदशाओं, कार्य के घण्टे, मजदूरी दर आदि को नियमित करते हैं। 1986 का बाल श्रमिक कानून अधिक प्रभावी कानून है। इसके अन्तर्गत बाल मजदूरों का शोषण करने वालों के विरुद्ध कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है। इस कानून के अनुसार बीड़ी, कालीन, सीमेंट, माचिस, कपड़ा बुनाई और रंगाई, उनकी सफाई तथा भवन निर्माण आदि उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम पर नहीं लगाया

जा सकता। बच्चों के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग ने जहां बाल मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए अनेक नियम बनाए, वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य तथा बौद्धिक-विकास के लिए 1979 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में घोषित किया। उसी के प्रभाव से आज भी देश में बच्चों के उत्थान के लिए आंगनबाड़ी जैसी अच्छी संस्थाएं संचालित की जा रही हैं।

बाल मजदूरों की समस्या का समाधान केवल कानूनों तथा घोषणाओं से नहीं हो सकता। इसके लिए समस्या की जड़ में जाना नितांत आवश्यक है। वास्तव में बाल श्रम की समस्या का प्रमुख कारण गरीबी और अशिक्षा है। यह सही है कि बच्चों को अपना बचपन गिरवी रखकर कमाऊ मजदूर बनने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो लगता है कि बाल मजदूरी की प्रथा को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। बल्कि बाल मजदूरों की कार्यदशाओं तथा सामाजिक वातावरण को सुधारा जा सकता है। बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे अपने शोषण को रोक सकें। बाल श्रमिकों के अनपढ़ माता-पिता को भी प्रौढ़ शिक्षा जरूरी है तभी वे बच्चों के भविष्य के विषय में सार्थक विचार कर सकते हैं। यदि पढ़ाई के साथ-साथ निर्धन परिवार के बच्चों को कुछ कमाई भी मिल जाये तो बच्चों के माता-पिता उनको मजदूरी पर भेजने के लिए उत्सुक नहीं होंगे। इसके लिए बच्चों से स्कूल में रोजगार उन्मुख शिक्षा देते हुए कार्य लिया जा सकता है। गांवों में ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे छोटा परिवार रखकर बच्चों को मजदूरी के शिकंजे से बचाया जा सके और उन्हें विकास के समुचित अवसर प्राप्त हो सकें।

एस. एस. वी. (पो. ग्रे.) कॉलिज,
"हिमदीप" राधापुरी,
हापुड़–245101 (उ.प्र.)

सफलता की कहानी

छात्र शक्ति-संकल्प और परिणति

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी के छात्रों का एक दस दिवसीय विशेष शिविर जनवरी, 94 में सीमान्त जनपद उत्तरकाशी के अठाली ग्राम में आयोजित किया गया।

इसमें छात्रों ने ग्राम अठाली में सड़क का जीर्णोद्धार किया, सीढ़ियां बनाईं, रास्ते पर बेतरतीब पड़े पत्थरों को उखाड़कर हटाया तथा ऊबड़ खाबड़ मार्ग को समतल किया। इससे आवागमन सुविधाजनक हो गया। राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रांगण में वर्षों से फैले भारी भरकम शिलाखण्डों को अथक परिश्रम से तोड़कर उनसे पास की एक खाई को पाट दिया। इसके अतिरिक्त छात्रों ने विद्यालय के आसपास लगभग 30 मीटर लंबी और 60 सेन्टीमीटर चौड़ी और एक मीटर ऊंची दीवार का निर्माण किया।

ग्राम अठाली से लगभग एक किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बने नाग देवता मन्दिर के पुनर्निर्माण हेतु छात्रों ने गांव से मन्दिर तक ईंटें पहुंचाई। यह मंदिर उत्तरकाशी जनपद में आये भीषण भूकम्प से क्षतिग्रस्त हो गया था।

छात्रों ने गांव की गंदी नालियों को भी साफ किया। उन्होंने निकटवर्ती ग्राम दिलसौड़ तथा चामकोट में साक्षरता अभियान चलाया। उन्होंने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से ग्रामीणों को समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करने तथा सीमित परिवार अपनाने का संदेश दिया।

छात्रों की इच्छा शक्ति, सेवा भावना, उत्साह तथा उनके कार्यों को देखकर ग्रामवासियों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। उन्हें आभास हुआ है कि बाहर के शिक्षित युवक उनके गांव में आकर जब इस तरह के श्रमसाध्य कार्यक्रम कर सकते हैं तो फिर वे स्वयं अपने गांव की उन्नति के लिए ऐसे कार्य क्यों नहीं कर सकते। गांव के लोगों में स्वावलंबन की भावना जागी है। उन्होंने समझ लिया है कि हर छोटे-मोटे कार्यों के लिए सरकार पर निर्भर रहना उनके हित में नहीं हैं।

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी,
उत्तरकाशी

उधार : संबंधों में दरार

✍ डा. सत्यदेव आजाद

एक पुरानी कहावत है - ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत" अर्थात् कर्ज लो और घी पियो। यह प्रवृति आज भी कहीं-कहीं देखने को मिल जाती है। जब से शुद्ध घी महंगा हुआ है तब से ऋण लेने वाले घी न सही, कुछ और ही तर माल खा लेते हैं।

वैसे व्यक्ति उधार उसी स्थिति में लेता है जब कि वह असामयिक संकट में फंस जाता है। कुछ व्यक्तियों के लिए उधार लेना एक चसका है जो एक बार लग जाता है तो छूटने का नाम ही नहीं लेता। संकल्प-शक्ति ही व्यक्ति को इससे मुक्ति दिला सकती है। उसके अलावा यह भी आवश्यक है कि खर्च घटाने और आय बढ़ाने के उपाय किये जायें। खर्च घटाने के लिए जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से घर का एक संतुलित बजट बनाया जाये। उसका पालन दृढ़ता से किया जाये। बजट को हर दृष्टिकोण से सीमाबद्ध किया जाये। उतनी ही वस्तु खरीदी जाये जितनी परिवार के लिए आवश्यक हो। इसका आशय यह नहीं कि बाजार से रोज थोड़ा-थोड़ा मंगवाया जाता रहे। ऐसा करने से तो खर्च बढ़ेगा और समय भी बर्बाद होगा।

जरा सोचिये कि यदि आपको बाजार में कोई वस्तु बिकती हुई दिखाई देती है तो क्या आप उसे जरूरत न रहने पर भी खरीद लेते हैं अथवा कभी-कभी आप बाजार में खरीदारी करके अपना मन बहलाना चाहते हैं अथवा बाजार में कोई बिकती हुई वस्तु को देखकर आप उसका उपयोग परीक्षणार्थ करना चाहते हैं?

यह सभी प्रश्न एक ही बात से जुड़े हुए हैं कि आप वही चीज खरीदें जिसकी आपको अधिक आवश्यकता है। जिस वस्तु के बिना आपका काम चल सकता है उसे क्यों खरीदा जाये? फिर आपको अपनी जेब का ध्यान रखते हुए यह भी सोचना होगा कि पूरे महीने खर्च कैसे चलेगा। एक प्रश्न और है कि आप घर का सामान नकद खरीदते हैं या उधार? वैसे प्रायः देखा गया है कि लोग सामान उधार खरीदते हैं और वेतन मिलने पर दुकानदार के बिल का भुगतान करते हैं। यह प्रवृति उचित नहीं है। दुकानदार नकद और उधार के मूल्यों में पर्याप्त अंतर रखता है या फिर आपकी मजबूरी का लाभ उठाकर स्तरीय माल नहीं देता। इतना ही नहीं कई दुकानदार आपके उधार बिल में दो तीन ऐसी वस्तुओं को भी जोड़ देते हैं जो आपने ली ही नहीं। उधार लेने वालों के लिए कम तोलना तो एक सामान्य सी बात है। उधार के कारण आप दुकानदार से कम तोलने की शिकायत भी नहीं कर सकते। उधार तभी लीजिए जबकि कोई संकटकालीन स्थिति आ जाये।

उधार मांगना अच्छी बात नहीं है। इससे व्यक्ति का सम्मान कम हो जाता है। वैसे शादी विवाह के अवसर पर, अन्य मांगलिक कार्यों के लिए, व्यापार में घाटा हो जाने पर, अकस्मात दुर्घटना या बीमारी के समय व्यक्ति अपने बंधु बांधवों व मित्रों से धन उधार मांगता ही है और धीरे-धीरे उसका भुगतान भी कर देता है। इसके बावजूद उसका अपना मनोबल गिर जाता है। कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जो अपरिचित व्यक्ति से तनिक सा परिचय होते ही उधार मांग लेते हैं। ऐसे व्यक्ति उधार मांगने को अपनी कला समझते हैं। वे दुर्व्यसनों की लत को पूर्ण करने तथा फिजूलखर्ची के कारण उधार देने वाले व्यक्ति की तलाश में रहते हैं। कई व्यक्ति अपनी आय की सीमा से बढ़कर खर्च करते हैं। समाज में अपनी झूठी शान दिखाने के लिए बच्चों को महंगे स्कूलों में भेजते हैं, विलासिता की वस्तुएं खरीद लेते हैं, क्षमता से अधिक किराये वाले मकानों में रहते हैं, टैक्सी या स्कूटर से यात्रा करते हैं और बाद में रोते हैं कि महंगाई है, खर्च नहीं चलता, क्या करें? कई व्यक्ति भविष्य के प्रति उदासीन रहते हैं और अकारण ही अपने कार्यालय के प्राविडेंट फंड से रुपया निकालते रहते हैं। वेतन एडवांस, फेस्टिवल एडवांस या स्कूटर एडवांस लेना उनकी आदत होती है। परिणामतः वेतन में कटौती हो जाती है और फिर उस कम वेतन में खर्च न चला पाने के कारण उन्हें इधर-उधर से लेना पड़ता है। इस तरह यह दुष्चक्र चलता ही रहता है।

उधार लेने वाले व्यक्ति की आंखें यही खोजती रहती हैं कि कब और किससे उधार मिल सकता है। वे अपनी नवाबी जिंदगी से उतर कर आम आदमी की जिंदगी नहीं जी सकते। परिणामतः सगे संबंधी, मित्र तथा अन्य व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। परस्पर अटूट संबंधों में भी दरार पड़ जाती है और जीवन में अकेलापन आ जाता है।

समाज में सम्मान सहित जीवनयापन करने के लिए आवश्यक है कि अपनी आय सीमा में रहकर ही घर गृहस्थी का खर्च चलाएं। यदि कभी किसी संकटकालीन स्थिति में किसी से उधार लेना भी पड़े तो सर्वप्रथम उसके उधार का भुगतान किया जाये। स्वाभिमानी व्यक्ति उधार नहीं लेते। परस्पर संबंधों को मधुर बनाये रखने के लिए उधार लेने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा।

23/3, अर्जुनपुरा,
डीगगेट, मथुरा - 281001

सफलताएं

✍ मुकेश मोहन तिवारी

सोलह वर्षीय राजगोपाल थियोसोफिकल कालेज का विद्यार्थी था। उसका व्यक्तित्व बड़ा मोहक था। उसने प्रतिदिन दो घण्टे ग्रामीणों की सेवा में लगाने का निश्चय किया और एक संध्या वह ग्रामीण बन्धुओं से मिलने निकल पड़ा।

ग्रामीणों को एकत्र कर उसने पूछा '"यदि मैं आपको पढ़ाना चाहूं तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं?"

ग्रामीणों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। युवक ने एक टूटे-फूटे छप्पर के नीचे रात्रि पाठशाला आरम्भ कर दी।

अगले दिन राजगोपाल ने कालेज के अध्यक्ष श्री जिनराजदास की मदद से लालटेन, कागज, पेंसिल, पुस्तक, स्लेट आदि की व्यवस्था की। कालेज के दो साथी भी इस जनसेवा कार्य में सम्मिलित हो गए। इस युवक मण्डली ने छः महीने तक रात्रि पाठशाला चलाई। छोटे से गांव में एक अद्‌भुत परिवर्तन आ गया।

राजगोपाल की इस सफलता ने उसे समीप के अन्य गांवों में भी ऐसी ही पाठशालाएं चलाने को प्रोत्साहित किया। उसने 'कालेज रात्रि पाठशाला समिति' की स्थापना की। उसमें कई और विद्यार्थी सहयोगी हो गए और शीघ्र ही दो अन्य पाठशालाएं भी आरम्भ हो गई। पाठशालाओं को सुचारु रूप से चलता देखकर उनके लिए एक भवन बनाने की इच्छा राजगोपाल के मन में जागी।

इसके लिए राजगोपाल को बम्बई जाना पड़ा। उसने वहां थियोसोफिकल सोसाइटी के नेताओं के समक्ष अपनी योजना प्रस्तुत की।

योजनानुसार आवश्यक धन मिल गया और तीन गांवों में स्कूलों के भवन तैयार हो गए। आज भी इन भवनों में बेसेन्ट पाठशाला, अरूण्डेल पाठशाला और जिनराजदास पाठशाला चल रही हैं।

वही युवक राजगोपाल, कुछ दिनों बाद 'चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य' के नाम से विश्वविख्यात हुआ।

117, बलबन्त नगर,
ग्वालियर - 474011,
मध्य-प्रदेश

पढ़ना बहुत जरूरी

✍ पूरन सरमा

दूर गांव से रोजी खातिर
आये शहरी द्वार
लेकिन हम तो पढ़े नहीं थे
कहते हमें गंवार,

शिक्षा तो बहुत जरूरी
पढ़ना बहुत जरूरी

जहां काम करते थे
उसने लूटा हमको
किया था जमकर शोषण,
खूब बहा पसीना
फिर भी
नहीं हो पाया पोषण

पढ़े लिखे तो रौब गांठते
हम अपने...... पर भार
शिक्षा तो बहुत जरूरी
पढ़ना बहुत जरूरी

इक दिन आया
पोथी लेकर
शिक्षक कोई अच्छा
बोला-देश
बढ़ाना आगे
पढ़ ले बच्चा-बच्चा

तब से अक्षर ज्ञान हो गया
हो गया जीवन पार

शिक्षा तो बहुत जरूरी
पढ़ना बहुत जरूरी

124/61-62, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर,
जयपुर - 302020 (राजस्थान)

कहानी

प्यास

✍ निभा कुमारी

दर्द रोकने के प्रयास में उर्मिला ताई के चेहरे पर शिकन उभरी और वह कराह कर पलट गई। पास के तख्त पर उसकी गूंगी बहरी बड़ी बहू लेटी थी। उर्मिला का हलक सूख रहा था एक घूंट पानी के लिए। पर उसकी तड़फाहट से अनभिज्ञ बड़ी बहू की आंखें छत की कड़ियों में उलझी थीं।

ताई तड़फड़ा कर रह गई। छह-छह बहू बेटों वाली को आज एक घूंट पानी देने वाला कोई नहीं। आज अगर उसका बड़ा बेटा परदेस में न होकर पास होता, तो क्या-वह दो घूंट पानी के लिए यूं तरसती? लाल चटक चुनरी में तीसरी बहू गुजर गई। ताई ने विवशता से उसे पुकारा। पर उसकी पुकार बहू के तेज कदमों की आवाज में खो गई। बेबस होकर उसने पलकें मूंद लीं और प्यास सह लेने की कोशिश में बीते दिनों की परत-परत उगारती चली गई।

बैलगाड़ी से जब वह गांव में हाथ-भर का घूंघट कर उतरी थी तो पास-पड़ोस का हुजूम उसे उत्सुक निगाहों से ताक रहा था। वह घूंघट को खींच कर सिमटी सी खड़ी रही थी। रस्मो-रिवाज के बाद वह अंदर घुसी तो हंसी ठहाकों ने उसके पैर रोक लिए। देवरों के समूह ने उसे घेर लिया। शादी के मस्त माहौल में उदंड देवरों के बेहूदा मजाक से वह आतंकित हो उठी थी। गांव की थी जरूर, पर संस्कारों वाला घर था। जहां ऐसे बेहूदा मजाकों पर रोक थी। पर जब बंध कर इस घर में आ गयी तो निबाह तो करना ही था उसे।

शादी की खुमारी कुछ ही दिन रही। दो हफ्तों ही में सास के कर्कश स्वर ने उसे रसोई में खींच लिया था और हथेली की लाल मेंहदी हल्की होकर एक ही दिन में धुल गई। गोबर उठाते, बरतन धोते, मवेशी चराते, दुहते, हथेलियां कब खुरदुरी हो उठीं उसे पता तक नहीं चला।

दो साल बाद उसका 'बड़का' जन्मा था। वह आनंद में इतराई थी। अब उसका 'बड़का' बड़ा आदमी बनेगा, वह सपने सजाने लगी। पर जब एक एक करके उसके पांच और बच्चे हो गये, तो उसने बड़के को बड़ा आदमी बनाने का सपना देखना छोड़ दिया। "अम्मा" अम्मा" की चीख दिन भर घर में गूंजने लगी। उर्मिला इसे डांटती, उसे डपटती, सबके खाने-पहनने का जुगाड़ करती। चक्की पीसने से लेकर दूसरों का चूल्हा चौका तक संभाला। अपना तन सुखाकर मन को बांध-बांध कर वह बच्चों को पालने लगी। पर हमेशा कामों में छिट कर भी यह प्यास उसे जगी रही कि मां, बाबूजी, पति, बच्चे, कोई तो कहे तुम हम सबके लिए कितना करती हो, खटती हो। सराहना के दो बोल उसकी अतृप्त आत्मा की प्यास बुझा जाते। पर वहां से उसे लगभग उपेक्षा ही मिली। सिर्फ उसका बड़का उसके आंचल के तले लेटा उसका दर्द महसूस करता। "अम्मा! मुझे बड़ा हो जाने दो। मैं तुझे गहनों पैसों से लाद दूंगा। उस नासमझ बड़के को यह न जाने कैसे पता लग गया कि उर्मिला गहनों पर मरती है। अपनेपन को तलाशती मानवीय रिश्तों की गर्माहट ढूंढ़ती वह निर्जीव गहनों से लिपट कर घंटों अपनापन महसूस करती रहती।

उसका बड़का बड़ा आदमी न बन कर साधारण मजदूर ही बन सका। उर्मिला चाहने लगी कि उसकी शादी करके एक सुघड़ बहू घर में ले आये। शादी की बात चलने पर बड़का भड़क उठा था "अम्मा शादी ब्याह उसी से करूंगा, जो खूब गहने लेकर आये। मैं तुझे कुछ नहीं दे सका पर उसके सब गहने तो दे दूंगा।" उर्मिला ने नेह से खींच कर लड़के को छाती में भींच लिया। "नहीं रे! अब निर्जीव गहने लेकर इस उम्र में क्या करूंगी? तुम सब ही तो अब मेरे गहने हो।" पर बड़के ने अपनी बात पूरी कर ही ली। महीने भर बाद ही एक सांवली भोली लड़की को मय सामान के साथ ले आया। दरवाजे से ही चिल्लाया "ले अम्मा! तेरी बहू आ गयी। तू अब आराम कर। और यह लो।" उसने एक बड़ा बक्सा उसकी तरफ ठेल दिया। "देख ले! कितने गहने लाया हूं तेरे लिए। उर्मिला अचकचा गई। "किस तरह का लड़का है यह! बिना बताये शादी कर ली। बहू भी लाया और इतने गहनों के साथ!" "अम्मा हैरत में क्यों खड़ी है? यह गूंगी बहरी है। इसकी मां तो इसे मार ही डालती। ब्याह तो क्या ही होता इसका? इसलिए समझा-बुझा कर मैं इसे भगा लाया। यह अपनी सौतेली मां के सारे गहने चुरा लाई है।" हतप्रभ उर्मिला ने चुपचाप सहमी खड़ी लड़की को बांहों में भर लिया था। बहू ने ही फिर बहुत आराम दिया उसे। तमाम

दिन दोनों बड़िया, पापड़, अचार बनातीं और हर सप्ताह लगने वाले गांव के मेले में बेच आतीं। पर एक सुबह उनका यह काम रुक गया। उर्मिला बड़ियों के लिए दाल डालने जा रही थी। उसके पति समेत सभी लड़के खेतों की ओर निकल गये थे। अचानक उसका मंझला दौड़ता हुआ आया। "अम्मा! अम्मा!" वह इससे आगे कुछ नहीं बोला। उर्मिला से लिपट कर रोने लगा। वह सन्न सी खड़ी रह गयी। 'क्या हुआ है?' असगुन की आशंका से उसकी छाती धड़कने लगी। दूर कुछ लोग एक आदमी को खाट पर लिटाये चले आ रहे थे। पास आने पर उस आदमी की नीली पड़ी देह देखकर वह पत्थर की तरह खड़ी रह गयी। उसका पति था। गांव वालों ने बताया कि खेत में जहरीले सांप ने काट लिया है। वैधव्य के उन विकराल क्षणों को उसने दग्ध हृदय से सहा। सिर्फ बच्चों की खातिर ही जीती रही। अक्सर गर्म रोटियों को सेंकती, अपनी भूख मारकर रोते हुए मंझले, संझले की ओर अपने हिस्से की रोटी सरका देती। अपनी फटी साड़ियों को सिलती रही और बच्चों के कमीज पैंट का नया जोड़ा लाती रही। गांव के कुत्सित प्रलोभनों से बेटियों को बचाती, ससुराल विदा कर दिया। लड़कों के परिवार बसा देने की कोशिश भी करती रही। पर इस दरमियान तन और मन दोनों खटते रहे। तन परिश्रम की मार से और मन बेटों बहुओं की तीखी जबान से।

वह मजबूत काया, जिसने यौवनावस्था में अपने हिस्से का अन्न और मन दोनों बच्चों के लिए दान कर दिया था वृद्धावस्था में चरमराने लगी। बेटे बहू उसे दो कौर अन्न परोसने में कतराने लगे। आये दिन उर्मिला को सुनना पड़ता। "बुढ़िया न तो जीती है, न मरती है। बहुत दुख देखा तूने। अब जीकर क्या करेगी। मर जा। हमारी दिन रात की धुकधुकी खत्म हो। कहीं आधी रात को टें बोल गयी तो नींद खराब करेगी हमारी।" उर्मिला के तन मन में दर्द फैलने लगता। वह चीख कर पूछना चाहती उनसे "हमारे ही खून मांस से तुम सब को यह गर्मी मिली है। अगर जवानी में अपना तन मन बांध कर तुम सब को खिलाया पिलाया न होता तो तुम सब यूं छाती तानकर खड़े भी नहीं होते। तुम सब को भूख से बिलखता देख, अपनी भूख से ऐंठती अंतड़ियों को बांधा था। आज सबकी जान जा रही है दो कौर मुझे परोसने पर—मैं ने अपनी जान ईमान दे दिया, तुम सब को रोटी का कौर परोसने की खातिर" पर अंदर का दर्द अंदर ही रिस कर सूख जाता। उर्मिला जाने की बेला में क्यों कुशब्द कहे। सब राजी खुशी रहें।

"ताई! ताई! ताई तो बोलती नहीं"। कहता हुआ नन्हा शंकर उर्मिला पर झुक गया और उसे झकझोरने लगा। उर्मिला वर्तमान में लौटी। लौटते ही तीव्र प्यास ने उसे फिर बैचेन किया। उसका कंठ सूखने लगा। उसने शरीर का पूरा रक्त खींच कर पानी की पुकार लगाई। पर इससे बेखबर गूंगी बहरी बहू की आंखें छत की कड़ियों में उलझी रहीं। नन्हा शंकर बार-बार दौड़ कर दरवाजे तक जाता है। अपने नन्हें हाथों से चिटकनी खोलने का प्रयास करता है। बहू खीज कर उसे बार-बार पकड़ लाती है। "दुष्ट! जाने क्या है दरवाजे पर क्यों बार-बार दौड़ा जाता है। इधर उर्मिला की आंख उलट चलीं। पानी! दो घूंट पानी! की पुकार उसके अंतर में उठती रही है पर होठों पर पुकार आ नहीं पाती। प्यास की छटपटाहट सूखे होठों पर छलक आई। शंकर बहू की पकड़ से छूटकर दरवाजे की तरफ गया। "काका" "काका" आवाज लगाता है। बाहर बरामदे में ही तो उसका मंझला काका सोता है। जब से उर्मिला ने अपने गहने उसे देने से इंकार किया है वह उसे देखने भी नहीं आता। शंकर की पुकार पर वह भुनभुनाता हुआ उठता है पर खिड़की के पास आकर ठहर जाता है। दरवाजा अंदर से बंद है। खिड़की से अंदर देखता है, गूंगी बहरी भौजाई की नजरें छत को एकटक देख रही हैं। छटपटाती अम्मा न जाने क्या बुदबुदा रही हैं। वह लपक कर सामने टार्च उठाकर उसकी रोशनी खिड़की से बहू पर फैंकता है। बहू हड़बड़ाकर उठती है। मंझला दरवाजा खोलने का इशारा करता है। दरवाजा खुलते ही लपक कर अंदर घुसता है। उर्मिला होठों पर दो घूंट पानी की तरस जमाये जा चुकी है। होठों पर सफेदी जम आई है। "ससुरी मरी भी तो गहनों का बक्सा जाने कहां दाब कर।" मंझला बुदबुदाता है। अचानक उसकी आंख चमक उठती है। वह बड़ी बहू का गला दबाकर इशारे से पूछता है, गहनों का बक्सा उसने और उसकी सास ने कहा छिपाया है। उसे मालूम है दोनों गहनें साथ रखती थीं। बहू उसकी पकड़ से छूटने के लिये तड़फड़ाती है, परन्तु मंझले की पकड़ सख्त होती जाती है। जब बहू की आंख उबलने लगती है तो वह छोड़ने का इशारा करती है। बहू खाट हटा कर चकौर रंगीन जमीन की तरफ इशारा करती है। मंझला जमीन खोदता है। गहनों का मटका पाकर उन्मत हो, ठहाका लगाता निकल जाता है। खोदी हुई जमीन को रिक्त आंखों से बहू देखती है। बहू की आंखों से दो आंसू ढुलक कर उर्मिला के चेहरे पर गिरती हुई होठों पर पसर जाती हैं। मानो उसने उर्मिला के होंठों पर जमी प्यास पोंछ दी हो।

द्वारा श्री विजय कुमार सिन्हा (एडवोकेट),
इन्द्रपुरी, पटना-23

अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कल्याणकारी कदम

✍ विमल बाखला

भारत की कुछ जातियां सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी एवं कमजोर हैं। समाज में उन्हें अन्य जातियों के समकक्ष लाने के लिए भारत सरकार और भारतीय संविधान के द्वारा उन्हें कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं दी गयी हैं। समाज के कमजोर वर्ग को अन्य वर्गों के समतुल्य बनाना सरकार का मूलभूत लक्ष्य है।

भारतीय जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को उच्च और निम्न जातियों में बांट दिया है। उच्च जातियां सदियों से निम्न जातियों का शोषण करती रही हैं। आजकल सफाई, चमड़ा उद्योग जैसे पेशों से जुड़े अधिकांश मजदूर अनुसूचित जाति के हैं जो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। सरकार उन्हें इस कार्य से छुटकारा दिलाने के लिए कई प्रकार की नीतियां बना रही है। मल ढुआई और अन्य अमानवीय कार्यों पर रोक लगा दी गयी है। भारत के कुछ मध्यम स्तर के नगरों और छोटे कस्बों में मल ढोने से मुक्ति की नीति अभी तक नहीं पहुंच सकी है। इसलिए वे लगातार गरीबी से जूझ रहे हैं और शोषण के शिकार हो रहे हैं। अनुसूचित जातियों/जनजातियों में आज भी अशिक्षा व अज्ञानता का बोलबाला है।

अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा और सहायता के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं और रियायतें भी दी गयी हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गयी है। यह आयोग अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के सभी स्तरों तथा पक्षों और नीति संबंधी व्यापक मुद्दों पर परामर्शकारी निकाय की तरह कार्य करता है।

आयोग में एक अध्यक्ष और अधिक से अधिक चार सदस्य होते हैं। आयुक्त के रूप में विशेष अधिकारी भी इस आयोग में सम्मिलित होते हैं। इस आयोग का प्रमुख कार्य नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन का अध्ययन करना और सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण तथा संवैधानिक सुरक्षा संबंधी सभी मामलों की जांच पड़ताल करना है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों में अलग विभाग हैं।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर विशेष ध्यान देती हैं। उनके कल्याण के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष कार्यक्रम चलाए गए हैं। योजना के विशेष कार्यक्रमों पर काफी राशि खर्च की जाती है।

केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतियोगियों/परीक्षार्थियों को पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण प्रदान करके केंद्र/राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न पदों और सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व की अच्छी स्थिति बनाना है। यह दो स्तरीय योजना है। पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र एवं राज्य सरकार/केंद्रशासित राज्यों द्वारा चलाए जाते हैं। इस पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत राज्य सरकार देती है और 50 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करती है।

छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना में हाई स्कूल पास करने के बाद विभिन्न विद्यालयों और कालेजों में पढ़ रहे इन वर्गों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी करने में सफल हो सके। जीवन स्तर और अन्य पक्षों पर लागत में वृद्धि को ध्यान में रखकर उसकी योग्यता के लिए माता-पिता या अभिभावक की आय सीमा 1980-81 से कुल 750 रुपये प्रतिमाह के अंतर्गत आने वाले छात्रों को छात्रवृति के योग्य माना गया है।

स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की लड़कियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए छात्रावास भवन के निर्माण में होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करती है और बाकी 50 प्रतिशत राज्य/केंद्रशासित प्रदेश वहन करता है जहां छात्रावास स्थित है।

पुस्तक भंडार योजना के तहत इंजीनियरिंग/मेडिकल के स्नातक पाठयक्रम के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। तीन छात्रों के बीच 5000 रुपये की लागत की पाठ्य पुस्तकों के एक सेट का प्रावधान रखा गया है।

आर्थिक विकास योजनाओं को आय वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित

जाति के अधिक से अधिक परिवारों को आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। इसके अतिरिक्त राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम आर्थिक विकास की बैंकीय योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को और वित्तीय संस्थानों के बीच ऋण सहायता राशि प्रदान करते हैं तथा अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय संस्थानों से दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने में सहायता करते हैं। राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों पर जनजातियों के लिए विशेष योजनाएं बनाने के लिए बल डाला जाता है जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके तथा उनका आर्थिक एवं सामाजिक जीवन उन्नत हो सके।

सातवीं योजना में जनजातीय विकास के लिए विशेष लक्ष्य रखे गए थेः

(1) कृषि, बागवानी, पशुपालन, लघु उद्योग इत्यादि के क्षेत्र में लाभकारी कार्यक्रमों को चलाना।

(2) भूमि ऋण, ऋण अनुबंध, जंगल और शराब की बिक्री से अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति को अलग कर उन्हें शोषित होने से बचाना।

(3) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा मानव संसाधन का विकास।

(4) जनजातीय क्षेत्र के पर्यावरण स्तर को ऊपर उठाना।

सातवीं योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 40 लाख जनजातीय परिवारों को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया था।

1986 से अनुसूचित महिला और बाल विकास के लिए एक सलाहकारी परिषद नीति के क्रियान्वयन के रूप में कार्य कर रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में गैर सरकारी संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं जिसके लिए इन संगठनों को अनुदान दिया जाता है।

मंतव्य एवं सुझाव

- बंधुआ मजदूरों और सफाई तथा चर्मकर्म जैसे कार्यों में जुड़े लोग जो अनुसूचित जाति के मजदूर हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं उनकी स्थिति में सुधार करना।
- छुआछूत और उनके विरुद्ध अन्य प्रकार के अपराध को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए लेकिन फिर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए पर्याप्त पुनर्वास का प्रबंध किया जाना चाहिए।
- सामाजिक मनोवृत्ति और दृष्टिकोण को बदलने के लिए राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है।
- नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति की स्थिति को सुधारने के लिए तभी प्रभावी कदम उठाया जा सकता है जबकि इसकी सार्वजनिक चेतना और राष्ट्रीय सहयोग का विकास हो जाए।
- नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जाना।
- सरकार को उन सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की मदद करनी चाहिए जो सामाजिक विषमता के विरुद्ध संघर्षरत हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों तथा गणतंत्र के नागरिकों में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता पैदा कर रहे हैं।

व्याख्याता (कृषि),
बिहार ग्रामीण विकास संस्थान,
हेहल, रांची - 5

गर्मी में कम उम्र के पशुओं की व्यवस्था

✍ डा. ए. के. वर्मा, डा. एम. ए. अकबर, डा. ए. बी. मंडल
एवं डा. डी. प्रसाद

कितनी भी अच्छी नस्ल का पशु हो, कितना भी अच्छा चारा-दाना खिलायें, परंतु यदि हम उसे गर्मी के मौसम में उचित देखभाल तथा गर्मी से उसे सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं तो उसकी शारीरिक वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है, पशु बीमार हो सकता है, मर भी सकता है तथा उसकी प्रजनन क्षमता व उत्पादन क्षमता सभी क्षीण हो जाती है। अतः गर्मी के मौसम में खासकर छोटे पशुओं की उचित देखभाल वैज्ञानिक तरीकों से करना अति आवश्यक है जिससे पशुपालन व्यवसाय लाभदायक हो सके।

गर्मी के मौसम में पशुशाला की व्यवस्था

पशुशाला साफ, सूखी व खुली होनी चाहिए। उसमें ऐसी व्यवस्था हो कि शुद्ध व ताजी हवा आ सके तथा अंदर की नम व गरम हवा बाहर जा सके। उसमें चारे, पानी व रोशनी का उचित प्रबंध हो। पशु घर में उचित छत हो जिसके नीचे पशु गर्मी के समय आराम कर सके तथा इसके साथ ही खुले हुए फर्श भी हों जहां पशु शाम को तथा रात में आराम से रहे। पशुघर में गर्मी कम हो व सूर्य की सीधी किरणों से तथा लू से बचाव हो सके। रात में खाने की उचित व्यवस्था हो तथा पानी की व्यवस्था सभी समय उपलब्ध हो जिससे कि पशु जब चाहे पानी पी सके तथा बीच-बीच में दिन में तीन-चार बार पशु के शरीर को गीला किया जा सके।

वैसे तो पशुओं के लिए मुक्त घर व्यवस्था सबसे उपयुक्त पाई गई है चूंकि यह सबसे सस्ती, आरामदायक तथा मौसम के हिसाब से अस्थायी परिवर्तन करके पशुओं को ज्यादा से ज्यादा आराम दिया जा सकता है। लेकिन कम उम्र के पशुओं के लिए जैसे छह सप्ताह तक की आयु वाले कटड़ों-कटड़ियों व बछड़े-बछड़ियों को अलग-अलग घरों में यानि कि बंधनयुक्त आवास में रखना अधिक उपयुक्त रहता है। उनकी खिलाई-पिलाई की भी अलग व्यवस्था होनी चाहिए।

पशुशाला ऊंचे स्थान पर हो तथा उसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। पशुशाला की दिशा पूर्व-पश्चिम होनी चाहिए ताकि सूर्य की रोशनी ज्यादा से ज्यादा पशुशाला के उत्तरी भाग में पड़े तथा दक्षिण भाग में कम-से-कम पड़े। पशुघर के चारों तरफ छायादार वृक्ष लगाने चाहिए तथा खाली जगह पर हरी घास लगानी चाहिए। अगर आसपास की जगह रेतीली हो तो उस पर पानी का छिड़काव किया जा सकता है। छायादार वृक्ष गर्म हवा को रोक लेते हैं जिससे पशुओं का लू से बचाव हो जाता है।

पशुशाला की छत एसबेसटोस या जी. आई. शीट की बनी होनी चाहिए। यह ज्यादा टिकाऊ तथा सस्ती पड़ती है। गर्मी के मौसम में पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए उसके ऊपर थोड़ा-बहुत घास-फूस डालकर पानी का छींटा देकर तापमान कम किया जा सकता है। वैसे गर्मी के मौसम के लिए ज्यादा आरामदायक छत फूस या सरकंडों की बनी होती है। यह बहुत सस्ती पड़ती है लेकिन टिकाऊ नहीं होती। बरसात के मौसम में इससे पानी टपकने का डर रहता है तथा इसमें कीड़े-मकोड़ों तथा मच्छर इत्यादि को छिपने का पर्याप्त स्थान मिल जाता है।

पशुशाला का फर्श समतल, नमी रहित तथा उचित सफाई के लिहाज से ईंटों का बना होना चाहिए। फर्श में उचित ढलान होनी चाहिए जिससे कि गोबर व मूत्र इत्यादि आसानी से बाहर आ जाये। फर्श हमेशा ठंडा होना चाहिए जिससे कि पशु आराम महसूस कर सकें। आरामदायक फर्श न होने से छोटी उम्र के पशु बीमार पड़ जाते हैं तथा बड़े पशुओं में थनों की बीमारियां भी हो सकती हैं।

गांवों में पशुशाला लोगों के घर के साथ होती है, उसकी छत काफी नीचे होती है, खिड़कियां नहीं होती हैं जिससे कि इसके अंदर काफी अंधेरा होता है तथा हवा का आना जाना भी बहुत कम होता है। इस तरह की व्यवस्था मनुष्यों तथा पशुओं दोनों के लिए हानिकारक है। अतः पशुघर हमेशा मनुष्यों के घर से अलग होना चाहिए, छत की ऊंचाई 3-4 मीटर होनी चाहिए। हवा आने जाने के लिए उचित खिड़कियों की व्यवस्था होनी चाहिए। छह सप्ताह तक के आयु वाले कटड़ों व बछड़ों को बंधनयुक्त आवास के लिए प्रति पशु 6-8 वर्ग मीटर जगह उपयुक्त है। छः सप्ताह से एक वर्ष तक के आयु वाले पशुओं को मुक्त घर व्यवस्था में रखना चाहिए तथा एक घर में पांच से ज्यादा बछड़े सामूहिक तौर पर रह सकते हैं। इनके लिए ढके हुए फर्श का क्षेत्रफल भी एक वर्ग मीटर तथा खुले हुए फर्श का क्षेत्रफल भी एक वर्ग मीटर प्रति पशु होना चाहिए। एक वर्ष से अधिक आयु वाले बछड़ों के लिए प्रति बछड़ा दो वर्ग मीटर छत वाला फर्श तथा चार वर्ग मीटर प्रति

बछड़ा बिना छत वाला फर्श होना चाहिए। इस तरह की मुक्त घर व्यवस्था में एक घर में पांच से ज्यादा बछड़े सामूहिक तौर पर रह सकते हैं।

मुक्त घर व्यवस्था में सभी पशुओं के लिए खाने की नांद तथा पानी की व्यवस्था सामूहिक होती है। खाने की नांद छत वाली जगह में होनी चाहिए तथा पानी की व्यवस्था छाया में होनी चाहिए ताकि पानी ठंडा रहे। इस तरह के आवास में खुली जगह में एक छायादार वृक्ष जैसे पीपल इत्यादि का होना बहुत लाभप्रद है।

खुली पशुशालाओं में छोटे पशुओं को गर्मी व लू से बचाने के लिए बोरी, केनवस या टरपोलीन के पर्दे दिन में टांगने चाहिए तथा दिन में कई बार इन पर्दों पर पानी का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से पशुशाला के अंदर तापमान कम हो जाता है तथा पशुओं को गर्मी से काफी राहत मिलती है।

पशुशाला के पास पीने के लिए तथा पशुओं का शरीर गीला करने के लिए कम-से-कम घड़े के ठंडे पानी की व्यवस्था अति उत्तम होगी। पशुओं को दिन में कई बार पानी पिलाना चाहिए तथा 4-5 बार उनके शरीर को पानी से गीला करना चाहिए। ऐसा करने से पशुओं को गर्मी से राहत मिलती है और वह आराम से रह सकता है।

यदि जोहड़, नहर इत्यादि की व्यवस्था हो तो गर्मी में खासकर भैंसों को कुछ देर के लिए पानी में ले जाना लाभदायक होगा। इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप अपने पशुओं को जोहड़ में ले जाते हों तो घर से ही पशुओं को भरपेट पानी पिला कर ले जाएं अन्यथा वे जोहड़ का गंदा पानी पी लेंगे।

गर्मियों में पशुओं के लिए खान-पान की व्यवस्था

प्रायः यह देखा गया है कि किसान छोटे पशुओं को खिलाने पर बहुत कम ध्यान देते हैं। जब तक गाय या भैंस दूध देती है तक तक उनके बच्चों को दूध तथा चारा वगैरह मिलता रहता है। उसके बाद किसान इन कटड़े कटड़ियों को खिलाने की चिंता छोड़ देता है। इन्हें दुधारू पशुओं का बचा हुआ खाना ही नसीब होता है जो कि बहुत गलत है। यही कारण है कि भैसों तथा गायों में पहली ब्यांत की आयु काफी अधिक है।

छोटे आयु के पशुओं को भी संतुलित आहार दें जिससे पहली ब्यांत की उम्र काफी कम हो जाये। खास कर गर्मी के दिनों में इन पशुओं के खान-पान पर काफी ध्यान देना चाहिए।

सभी छोटे पशुओं को संतुलित हरा चारा भरपेट खिलाना चाहिए। जैसे मक्का तथा लौबिया का मिश्रित हरा चारा, ज्वार तथा ग्वार या लौबिया का मिश्रित चारा गर्मी में खिलाना सर्वोत्तम होगा। मिश्रित हरे चारे से सभी आवश्यक एवं पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, ऊर्जा, विटामिन, खनिज इत्यादि प्रचुर मात्रा में पशुओं को मिल जाते हैं। यदि केवल मक्का या ज्वार का हरा चारा उपलब्ध हो तो चारे के साथ सभी पशुओं को प्रतिदिन उम्र के हिसाब से 1 से 2 किलो दाना मिश्रण देना चाहिए।

संतुलित दाना कोई भी किसान अपने घर बना सकता है। संतुलित दाने में 18-20 प्रतिशत पाचक प्रोटीन, 70-75 प्रतिशत ऊर्जा, दो प्रतिशत खनिज लवण तथा एक प्रतिशत नमक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर संतुलित दाना मिश्रण में मक्का या जौ तीस प्रतिशत, मूंगफली की खल तीस प्रतिशत, ज्वार की चूरी दस प्रतिशत, खनिज लवण दो प्रतिशत तथा नमक एक प्रतिशत, गेहूं का चोकर या चावल की पालिश सताईस प्रतिशत मिला कर बनाया जा सकता है।

छोटे पशुओं को उम्र के हिसाब से निम्नलिखित चारा तथा दाना देना चाहिए:

उम्र (मास)	हरा चारा (किलो)	तूड़ी (किलो)	दाना (किलो)
6-9	5-10	—	1-1.5
10-12	10-15	1.0	2.0
13-18	15-20	1-2.0	2.0
19-24	20-25	1-2.0	2.0

यदि संतुलित हरा चारा हो तो दाने की मात्रा आधी कर देनी चाहिए।

मार्च के महीने में फालतू बरसीम को सुखा कर रख लेना चाहिए तथा गर्मी के दिनों में यदि हरे चारे का अभाव हो तो पशुओं को बरसीम का "हे" खिलाना चाहिए। गर्मी में हरे चारे की कमी को दूर करने के लिए हरे चारे जैसे बरसीम तथा जई का अचार (साईलेज) देना चाहिए।

तूड़ी भी संतुलित करके पशुओं को खिलानी चाहिए। इसके लिए एक किलो यूरिया और 10 किलो शीरे को 90 किलो तूड़ी में अच्छी तरह से मिलाकर छोटे पशुओं की खिलाना चाहिए। इसके अलावा केवल यूरिया से भी तूड़ी को उपचारित करके पशुओं को खिलाया जा सकता है। इसके लिए चार किलो यूरिया पानी में घोलकर 100 किलो तूड़ी पर अच्छी तरह से छिड़क कर पोलीथीन से ढ़क कर करीब एक महीने के लिए छोड़ देना चाहिए और फिर उसे पशुओं को खिलायें। इस उपचारित तूड़ी में 8-10 प्रतिशत प्रोटीन तथा 50-55 प्रतिशत ऊर्जा मिल जाएगी।

पशुओं का आंतरिक एवं बाहरी परजीवियों से बचाव

गर्मी के दिनों में छोटे पशुओं को आंतरिक तथा बाहरी परजीवियों से बचाना आवश्यक है।

आंतरिक परजीवियों से बचाने के लिए 6-12 महीने की आयु वाले बच्चों को महीने में दो बार तथा एक साल से ऊपर के आयु वाले बच्चों को महीने में एक बार अंतः परजीवियों को मारने की दवाई पिलानी चाहिए। इसके लिए बैनमिन्थ 5 मि. ली. प्रति 25 किलोग्राम शारीरिक भार के अनुसार या पेनाकर 5 मि. ली. प्रति 15 किलोग्राम शारीरिक भार के अनुसार या पिपराजीन 10 ग्राम प्रति 45 कि.ग्रा. शारीरिक भार के अनुसार पिलानी चाहिए। इन में से कोई भी एक दवा एक समय में पिलानी चाहिए। दूसरी बार दूसरी दवा पिलानी चाहिए।

बाहरी परजीवियों का प्रकोप भी छोटे पशुओं में गर्मी के दिनों में ज्यादा होता है। अतः इन परजीवियों से बचाने के लिए पशुओं के ऊपर तथा पशु घर के अंदर महीने में एक बार किसी भी कीटनाशक दवाई का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके लिए 5 मि. ली. मैलाथियान या सुमिथियान एक लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करना चाहिए।

पशुओं को बीमारी से बचाव का टीका लगवाना

गर्मी के मौसम में सभी पशुओं को खुर-मुंह, गलघोंटू, फड़ सूजना या पुट्ठे सूजना (ब्लैक क्वाटर) से बचाव का टीका अवश्य लगवा दें। मेड़े को चेचक तथा एंटेरोटोक्सीमिया पैग से बचाव का टीका गर्मी में अवश्य लगवाना चाहिए।

पशु विज्ञान महाविद्यालय,
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,
हिसार - 125004

इंदिरा आवास योजना के लिए धन में वृद्धि

सरकार ने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोष में 6 से 10 प्रतिशत तक वृद्धि की है और इसमें गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबों को भी शामिल किया गया है, लेकिन ऐसे गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीबों को दी गई वित्तीय सहायता कुल आबंटन के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह शर्त बंधुआ मजदूरों पर लागू नहीं होगी। धन प्रति वर्ष दो किस्तों में जारी किया जायेगा।

पिछले दो वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2,83,196 मकान बनाए गए और इस समय 1,76,780 मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है।

इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों के लिए मुफ्त आवास का निर्माण करना है और इसे जवाहर रोजगार योजना की एक उप-रोजगार के रूप में चलाया जा रहा है। ज्यादातर ये मकान समूह में बनाए जाते हैं ताकि इन्हें एक साथ सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

मधुमक्खी पालन : भिन्न-भिन्न ऋतुओं में प्रबंध

डा. आर. सी. सिहाग तथा डा. रचना गुलाटी

मनुष्य और मधुमक्खी का साथ प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये मनुष्य को केवल शहद व मोम इत्यादि ही नहीं देतीं अपितु पर-परागण द्वारा उसकी कृषि पैदावार बढ़ाने में भी सहायता करती हैं। परंतु मधुमक्खी पालन की ओर मनुष्य का ध्यान पिछले कुछ वर्षों में ही अधिक गया है। आजकल कई कृषक इसे सहायक धंधे के रूप में अपना रहे हैं। मधुमक्खी पालन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने तथा भिन्न-भिन्न ऋतुओं में उनके प्रबंध की जानकारी होना अति आवश्यक है। उत्तरी भारत के मैदानों में मधुमक्खी पालन के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है।

मधुमक्खी पालन कब आरंभ किया जाये

मधुमक्खी पालन आरंभ करते समय यह देखना अति आवश्यक है कि इसके बाद कई महीनों तक पुष्प स्रोत मिलते रहें। इससे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ने में सहायता मिलेगी तथा शहद उत्पादन भी अधिक होगा। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में फसलों पर फूलों के खिलने की तरतीब निम्नलिखित है:'-

तिल	-	सितम्बर
अरहर	-	सितम्बर के आखिर तथा अक्तूबर में
तोरिया	-	अक्तूबर के अंतिम सप्ताह से नवम्बर के अंतिम सप्ताह या मध्य दिसम्बर तक
राया सरसों	-	मध्य दिसम्बर से फरवरी के मध्य तक
चना, मेथी	-	फरवरी
रिजका	-	मध्य मार्च से मई के पहले सप्ताह तक
बरसीम	-	अप्रैल से मई के अंतिम सप्ताह तक
मकई	-	मध्य मई से अगस्त तक
ककड़ी, तरबूज खीरा, कद्दू, तोरी, घीया आदि	-	मध्य मई से सितम्बर तक

इसके अतिरिक्त कुछ फलों वाले वृक्षों पर जैसे बारहमासी अमरूद पर सारा साल, नींबू, संतरा आदि पर मध्य मार्च में, आड़ू पर मार्च के पहले सप्ताह में, जामुन पर अप्रैल के आखिर या मई के आरंभ में फूल आते हैं। दूसरे वृक्ष तथा पौधे जैसे सफेदा पर अक्तूबर-नवम्बर तथा फरवरी-मार्च में, शीशम व नीम पर अप्रैल-मई, में टिकोमा पर सारा वर्ष तथा बौटल ब्रुश पर जून में फूल आते हैं।

फूलों के इस मौसम को देखकर, उत्तरी भारत के मैदानों में मधुमक्खी पालन सितम्बर के मध्य या अक्तूबर के आरंभ में प्रारंभ करना चाहिये ताकि मधुमक्खियों को आरंभ से ही बहुत अधिक पुष्प रस व पराग मिल जाए। दूसरे अरहर व तोरिये पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव बहुत कम होता है। इससे मधुमक्खियों के मरने की संभावना नहीं रहेगी तथा संख्या के जल्दी बढ़ने में सहायता मिलेगी।

पहाड़ी इलाकों में तथा पहाड़ों के नीचे वाले भागों में अवस्था भिन्न होती है। पहाड़ों पर सर्दी की ऋतु में पुष्प कम होते हैं तथा तापमान कम होने के कारण मधुमक्खियों का क्रियाकलाप भी बहुत कम या बंद ही रहता है। यहां पर अधिक पुष्प स्रोतों में ग्रीष्म ऋतु में ही फूल खिलते हैं। इसलिए इन भागों में मधुमक्खी पालन आरंभ करने का समय ग्रीष्म ऋतु में प्रारंभ होगा जब वहां पर उगाई जाने वाली फसलों या फूलों के वृक्षों या दूसरे जंगली वृक्षों व पौधों पर फूल खिलने आरंभ होते हैं। मधुमक्खी पालन करने वाले मनुष्य को अपने आसपास के फूलों के खिलने के मौसम का अवश्य पता होना चाहिए। इसकी जानकारी ट्रेनिंग में भी दी जाती है।

सर्दियों से पहले व सर्दियों में मधुमक्खियों का प्रबंध

सर्दियों से पहले फूलों के खिलने पर मैदानों में मधुमक्खी के परिवारों में मक्खियों की संख्या बड़ी शीघ्रता से बढ़ती है। इसलिए बक्से के फ्रेमों पर मोमी शीट देना अति आवश्यक है। इन ऋतुओं में पुष्प रस तथा पराग भी बहुत इकट्ठा किया जाता है। इस समय बीमारियां कम होती हैं तथा बाहर का तापमान बहुत ही अनुकूल होता है। जब बक्से में फ्रेमों की संख्या 8-9 हो जाती है तो मधु कक्ष लगा दिया जाता है तथा मक्खियों से शहद एकत्र करवाया जाता है। अच्छे प्रबंध के द्वारा इस समय एक बार शहद निकाला जा सकता है। सर्दियों में जब शहर का तापमान 10^0 से. से नीचे होता है तब मधुमक्खियां अपने बक्से का तापमान 35^0 से. के लगभग बनाए रखने में असमर्थ होती हैं। यह अवस्था पहाड़ी इलाकों में तो सर्दी के महीनों में अवश्य ही आती है। इससे बक्से की सारी मक्खियां एक जगह समूह बनाकर छत्ते पर इक्ट्ठी हो

जाती हैं तथा कुछ फ्रेम खाली छोड़ दिये जाते हैं। इसको कलस्टर (समूह) बनना कहते हैं। जो फ्रेम खाली छोड़ दिए जाते हैं उन पर यदि बच्चे आदि हैं तो वे ठंड के कारण जीवित नहीं रह सकते तथा बक्सों में रानी की प्रजनन क्रिया भी धीमी पड़ जाती है या बिल्कुल बंद भी हो सकती है। कुछ मक्खियां ठंड के कारण मर भी जाती हैं तथा इस समय माईट का आक्रमण भी हो सकता है। इस समय माईट से मधुक्खियों के परिवारों को सल्फर का धूड़ा करके बचाना चाहिए। इस समय बक्सों के अंदर मधुमक्खियों को तापमान बनाए रखने में भी सहायता की जानी चाहिए। इसके लिए कई तरीके हैं जिनमें दो दीवारों वाला बक्सा, बक्से को थर्मोकोल में अच्छी तरह पैक कर देना या बक्से के अंदर फ्रेमों के दोनों ओर भूसे आदि से भरे हुए लिफाफे अच्छी तरह जमा कर रखना आदि। इन विधियों को पैकिंग विधि कहते हैं। इस समय कमजोर परिवारों (कम संख्या वाले) को आपस में मिला देना चाहिये क्योंकि शक्तिशाली (अधिक संख्या वाले) परिवार सुगमता से बक्से के भीतर का तापमान बनाए रख सकते हैं। बक्सों के भीतर ही इस समय भोजन दिया जाना चाहिये ताकि मक्खियों को कम-से-कम बाहर निकलना पड़े।

सर्दियों के बाद का प्रबंध

सर्दियों में मैदानी इलाकों में बक्सों में ड्रोन पैदा होने आरंभ होते हैं तथा सर्दियां कुछ समाप्त होने पर ही बक्सों में रानी कोशिकाएं बनने लगती हैं। यह मधुमक्खियों का प्रकृति में अपने परिवार बढ़ाने का समय होता है। इस समय स्वार्म निकलते हैं। यह फरवरी के आरंभ से लेकर मध्य मार्च तक चलता है। मधुमक्खी परिवारों को स्वार्म निकलने से बचाना अति आवश्यक है। इसके लिए फरवरी के पहले सप्ताह ही में परिवारों का विभाजन कर देना अति आवश्यक है। विभाजन के बाद यदि सभी बक्सों की पुरानी रानियां नई रानियों से बदल दी जाएं तो अच्छा होगा। इससे नई रानी-मक्खियां अंडे देना आरंभ कर देंगी तथा दोबारा हर एक बक्से में मधुमक्खियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तब ये मार्च, अप्रैल तथा मई तक मधुमक्खी परिवार शहद इकट्ठा करते हैं। इस समय में अच्छे प्रबंध से दो बार शहद निकाला जा सकता है। इस समय में मधुमक्खियों की संख्या अच्छे प्रबंध के कारण 25-30 फ्रेमों तक पहुंच सकती है जो पुष्पों की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु को निकालने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है।

मई के मध्य में मोमी कीड़े का प्रकोप हो सकता है। इसलिए इससे बचाव के लिए सभी सावधानियां अपनानी चाहिए। बक्से का प्रवेश द्वार छोटा कर देना चाहिये तथा बक्से में पाए जाने वाले सभी तरह के दूसरे छिद्र बंद कर देने चाहिएं क्योंकि मोमी कीड़ा (मोथ) या तो प्रवेश द्वार से बक्से के अंदर घुस कर या बक्से के छिद्रों में अंडे दे देता है।

ग्रीष्म काल का प्रबंध

मैदानी इलाकों में मई के मध्य से ही एकदम पुष्प रस वाले पौधों की कमी हो जाती है तथा तापमान प्रायः 43-46° से. तक चला जाता है। इस समय बक्सों को छाया में रखना अति आवश्यक है। यदि और किसी प्रकार की ठंडक का प्रबंध किया जाये तो और भी अच्छा है जैसे गीली बोरियों के खोल बक्सों पर डालना आदि। पानी का प्रबंध बक्सों के पास ही कर दिया जाता है ताकि मक्खियों को पानी लेने के लिए दूर न जाना पड़े। इस समय मक्खियों को बक्से के भीतर का तापमान नीचे रखने के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है। इसलिए पानी स्वच्छ होना चाहिए। यदि अंतिम बार शहद निकालते समय एक या दो फ्रेम शहद के हर एक बक्से में छोड़ दिये जायें तो अच्छा होगा। इस शहद के कारण मधुमक्खियों को कृत्रिम चीनी का घोल नहीं खिलाना पड़ेगा, जिससे कई बार मधुमक्खी पालक की उपेक्षा तथा असावधानी के कारण मधुमक्खियों में पेचिश वगैरह होने का खतरा होता है। इस समय मैदानों में मक्खियां मकई से पराग तथा कुकुरबिट (ककड़ी आदि) से कुछ पुष्प रस इकट्ठा करती हैं। इस समय जून में कुछ पक्षी भी मधुमक्खियों के बक्सों के पास आकर मधुमक्खी खाना आरंभ कर देते हैं। इन्हें दूर भगाना अति आवश्यक है। जिन बक्सों में किन्हीं कारणों से मधुमक्खियों की संख्या कम हो जाती है, उन्हें आपस में मिला देना चाहिए ताकि मक्खियों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबल हो जाये। इस समय बक्सों को चीटियों से भी बचाना चाहिए।

बरसात के समय का प्रबंध

बरसात के समय दो घटनाएं एक साथ घटती हैं। एक तो मोमी कीड़े का प्रकोप तथा दूसरे वातावरण में अधिक नमी। मोमी कीड़े से बचाने के लिए बक्से के प्रवेश द्वार को छोटा होना तथा बक्से के अधिक वातानुकूलन के लिए इसका बड़ा होना आवश्यक है। इसलिए, इन दो विपरीत स्थितियों से निपटने के लिए भीतर वाले लकड़ी के ढक्कन की जगह जाली का ढक्कन लगाया जाए तथा बक्सों को खुली हवा में रखा जाये। बिना बादल वाले दिन के समय प्रवेश द्वार को बड़ा भी किया जा सकता है। मोमी कीड़ा

(मोथ) अंडे देने के लिए सुबह या शाम या बादलों वाले समय पर ही अंडे देने के लिए क्रियाशील होता है। इस समय, चीटियां तथा भिड़ों से बचाव के लिए भी विशेष प्रबंध किये जायें। बक्से का वातानुकूलित होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अधिक नमी के कारण कई बार कच्चा शहद बक्से के भीतर ही सड़ जाता है। इसकी सावधानी लेना अति आवश्यक है।

ग्रीष्म तथा मानसून काल में मधुमक्खियां पुष्प कमी का सामना कर रही होती हैं। इसलिए इस समय रानी मक्खी में अंडे देने की क्रिया धीमी हो जाती है। इससे बक्सों में मधुमक्खियों की संख्या घटनी आरंभ हो जाती है। अच्छी फसलों का प्रबंध करने के बावजूद भी फूलों से पुष्प रस तथा पराग कम ही मिल पाता है या बताई हुई फसल का प्रबंध ही नहीं हो पाता। उस अवस्था में मधुमक्खियों को सोयाबीन के आटे से बनाया हुआ कृत्रिम आहार दिया जाना चाहिए। यह 80 प्रतिशत चीनी के घोल में गुथा हुआ आटा होना चाहिए। यह पराग की जगह काम करेगा तथा रानी में अंडे देने की क्रिया जारी रहेगी। दूसरा अच्छा तरीका मधुमक्खी के बक्सों को ऐसी जगह पर ले जाना है जहां पुष्प मिल रहे हों। बक्सों का स्थानान्तरण गर्मियों में पहाड़ी या पहाड़ों के नीचे के इलाकों में तथा सर्दियों से पहले मैदानों में करने से शहद पैदा करने की क्षमता को बहुत बढ़ाया जा सकता है।

मधुमक्खी पालन कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय है तथा इसको अपनाने से अन्यथा व्यर्थ जा रहे पुष्प स्रोत का उपयोग शहद पैदा करके किया जा सकता है। ऊपर बताये तरीके मधुमक्खी पालकों के लिए अति लाभदायक हैं। परंतु जो लोग नये सिरे से यह धंधा करना चाहते हैं उनके लिए इसका प्रशिक्षण लेना अति आवश्यक है।

जीव विज्ञान विभाग
चौ. च. सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय

(पृष्ठ 3 का शेष)

पाठकों के विचार

'कुरुक्षेत्र' जनवरी 94 का अंक प्राप्त हुआ जोकि बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा। वास्तव में इस अंक से अच्छा तोहफा नववर्ष के लिए क्या हो सकता है। यह पत्रिका अपने आप में एक अलग पत्रिका है। जनवरी अंक में ''ग्रामीण विकास और महिला साक्षरता'' और ''ग्रामीण शिक्षा समस्याएं और समाधान'' लेख बहुत ज्ञानवर्धक लगे। वास्तव में शिक्षा ही वह मजबूत सीढ़ी है जिसके द्वारा भारत विकास की चोटी पर अपना तिरंगा फहरा सकता है। जैसा कि कहा गया है ''बहुत बड़ी जनसंख्या को निरक्षर छोड़कर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम शुरू करने की बात निरर्थक मालूम होती है।'' और आज का छात्र वर्ग ही निरक्षरता जैसी मजबूत बेड़ी को तोड़ सकता है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है देश का पहला सम्पूर्ण साक्षर जनजाति जिला डूंगरपुर और इसी तरह से हमें सम्पूर्ण भारत को साक्षर बनाकर भारत को विश्व का सबसे विकसित देश बनाना है।

अजय कुमार श्रीवास्तव
मकान नं. 231, बिछिया
शास्त्री नगर, गोरखपुर (उ. प्र.)

भारत एक ऐसा देश है जिसकी आत्मा गांवों में वास करती है। स्वाभाविक तौर पर देश की समृद्धि और विकास निर्भर है गांवों के समृद्धि और विकास पर, और विकास का पहला चरण है - शिक्षा और साक्षरता। अतः गांवों में शिक्षा का पर्याप्त विकास अत्यंत आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' हिन्दी मासिक पत्रिका के जनवरी 94 के अंक में ग्रामीण विकास और साक्षरता से संबंधित अनेक लेख प्रकाशित किए गए हैं जोकि वर्तमान समय में गांवों में शिक्षा के महत्व, इसकी आवश्यकता एवं इसकी स्थिति को दर्शाते हैं।

वर्तमान समय में गांवों में शिक्षा का स्तर अत्यन्त निम्न है खास कर स्त्री वर्ग ज्यादा ही निरक्षर है। लेकिन आज, सभी के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है जबकि विश्व के अनेक देश विकास के उच्चतम शिखर को छू रहे हैं और भारत उनकी बराबरी में आना चाहता है। गांवों में शिक्षा के प्रसार के अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास भी जारी हैं। गांवों में अच्छे शिक्षण संस्थानों का अभाव, शिक्षा के महत्व की जानकारी का अभाव, गांवों में शिक्षित व्यक्तियों के अनुकूल रोजगार के अच्छे अवसरों का अभाव आदि भी शिक्षा के विकास के मार्ग में बाधक हैं। अतः आज व्यवस्था में सुधार के साथ इन बातों पर भी ध्यान देना अत्यावश्यक है।

कुमार राजेश
दलसिंह सराय,
समस्तीपुर, बिहार

ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जन सहभागिता

✍ अलका कुशवाहा

ग्रामीण विकास प्रशासन ग्रामीण जनों के लिए उत्तरदायी प्रशासन मात्र नहीं बल्कि ग्रामीण जनों के साथ मिल-जुलकर किया जाने वाला प्रशासन है। इस आधार पर ग्रामीण विकास की प्रक्रिया तभी संभव है जब ग्रामीण समुदाय के सदस्य विकास के सभी पक्षों से संबद्ध होंगे। जन सहभागिता से तात्पर्य योजना बनाने, निर्णय लेने, कार्यान्वयन एवं विकास परियोजनाओं के मानिटरिंग एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया में लोगों का प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होना है। ग्रामीण विकास में गांव की भूमिका मुख्य होनी चाहिए और यह तभी संभव है जब लोगों में इसके प्रति जागरूकता एवं सहभागिता की भावना हो। वस्तुतः ग्रामीण विकास कार्यक्रम जन सहयोग एवं सहभागिता द्वारा ही वांछित परिणाम दे सकते हैं।

बेहतर योजना एवं निर्णय - निर्माण में अपेक्षित परिणामों के लिए ग्रामीण विकास की योजनाओं में स्थानीय लोगों की सहभागिता आवश्यक है क्योंकि स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र की संभावनाओं, दशाओं, आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं की पूरी जानकारी रहती है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के चयन, निर्माण और कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी, परिवर्तन को स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम होता है। इसी से आगे चलकर उत्पादन की नई तकनीकों को अपनाना संभव होता है। कोई भी योजना तभी सफल हो सकती है जब इसके कार्यक्रम से किसी न किसी रूप में लाभान्वित होने वाले समूह इसमें पूरी हिस्सेदारी करेंगे। इससे वे उपलब्ध सुविधाओं का दावा करने का अधिकार रख सकेंगे तथा समाज में अपना उचित योगदान कर सकेंगे।

व्यावहारिक धरातल पर स्थानीय जनता को विकास योजनाओं और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में सहभागिता से दूर कर दिया गया है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि स्थानीय ग्रामीण मजदूर, बढ़ई, लोहार (जोकि स्वयं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लक्ष्य समूह के हिस्सा हैं) आदि की क्षमताओं का उपयोग ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत नहीं किया जाता। समन्वित ग्रामीण विकास के अंतर्गत आने वाले कार्यों में भी ग्रामीण मजदूरों व कारीगरों की भागीदारी नाम मात्र की है।

जिस प्रकार ग्रामीणों की लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए पंचायतों का निर्माण हुआ उसी प्रकार उनकी आर्थिक भागीदारी के लिए सहकारी समितियों की संरचना की गई। परंतु सहकारी समितियों का स्थान भी अब धीरे-धीरे निगमों द्वारा लिया जा रहा है। हथकरघा, दुग्ध उत्पादन - वितरण, ऋण, बाजार, हरिजन विकास यहां तक कि महिलाओं के विकास जैसी सभी योजनाओं पर अब निगम हावी होते जा रहे हैं। कुछ सीमा तक पंचायतें तथा सहकारी समितियां अपना अस्तित्व बनाएं रखने में सफल हुई हैं। यद्यपि नौकरशाही का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और ये संस्थाएं न चाहते हुए भी आत्म-समर्पण कर चुकी हैं। पंचायतों तथा सहकारी समितियों के अतिरिक्त ग्रामीण जनता को इस योग्य नहीं समझा गया है कि विकास संबंधी योजनाओं में इनकी किसी भी प्रकार से भागीदारी हो सके।

ग्रामीण विकास योजना को बनाने में राज्य का हस्तक्षेप इस अर्थ में प्रभावकारी है कि इसके द्वारा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का स्वस्थ संचालन हो, उन्हें सुव्यवस्थित आकार दिया जा सके तथा लाभार्थियों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। योजना के प्रत्येक स्तर पर लक्ष्यों और प्राथमिकताओं का निर्धारण, योजना बनाने, आंकड़ों एवं सूचनाओं को एकत्र करने, मानिटरिंग एवं मूल्यांकन में लोगों की सहभागिता लाभदायक हो सकती है। यह कार्य गांव में एक सम्पूर्ण रूप में या समूहों के द्वारा हो सकता है। ग्रामीण विकास के लिए भी अभी तक जितने भी कार्यक्रम बनाये गए हैं वे उच्च स्तर तक ही सीमित रहे हैं। अधिकांशतया नीति निर्माताओं एवं अधिकारियों में पूर्वाग्रह पाया जाता है कि गांव के अधिकांश लोगों में जागरूकता की कमी है। इसी कारण उन्हें कार्यक्रमों में सहभागी नहीं बनाया जा सकता।

जब तक ग्रामीण निर्धन अपने कल्याण की गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होंगे तब तक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सीमित परिणाम ही प्राप्त होंगे। ग्रामीणों से प्रत्यक्ष संबंध कायम करके ही उन्हें कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सकता हैं। इसके आधार पर जो प्राथमिक आंकड़े प्राप्त होगें उनके द्वारा अन्य आंकड़ों का मूल्यांकन किया जा सकता है। विकास कार्यों में जनसहभागिता से लाभार्थियों को संतुष्टि मिलती है, जिम्मेदारी का बोध होता है और वह सामाजिक - आर्थिक प्रक्रिया में भी भागीदारी करता है।

द्वारा श्री रमाशंकर कुशवाहा
बी-36/21 ए-3 ब्रह्मानंद कालोनी,
दुर्गाकुंड, वाराणसी - 221005

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी

✍ सुचिता एक्का

वन देश के पर्यावरण का एक प्रमुख अंग हैं। वन मनुष्य की महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पति हैं, जिस पर न केवल हमारा पर्यावरण निर्भर है, बल्कि इससे उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा अनेक संसाधन भी उपलब्ध होते हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं कृषि के कारण वनों को काटकर भूमि उपलब्ध की जा रही है। सदियों से मकानों के लिए, पुलों के निर्माण के लिए, इमारती समान के लिए, घरों एवं कारखानों में ईंधन के लिए एवं पशुपालन के लिए विश्वभर में वन काटे जा रहे हैं। आज केवल 16 प्रतिशत भूमि में ही वन रह गये हैं।

कमजोर वर्ग के लोग जो अपनी जीविका के लिए मजदूरी करते हैं और मजदूरी न मिलने पर जंगल से लकड़ी, फल, फूल, जड़ी बूटी लाकर बेचते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं उन्हें यदि हम रोजी-रोटी के लिए काम दे सकें तो उन्हें जंगल काटने की आवश्यकता नहीं होगी। यह अवश्य ही जंगल की सुरक्षा में बड़ा कदम होगा। जंगल में लंबे अरसे तक कार्य करने से जैसे जंगल लगाना, उसकी सुरक्षा तथा विदोहन इत्यादि कार्य बहुत आसानी से किया जा सकता है। गांव में रहने वाले उन लोगों की सूची बनाई जाये जो अपनी जमीन नहीं रहने के कारण जीविका के लिए वनों पर आश्रित हैं। इसमें वे मजदूर कुछ महीनों के लिए ही वन में कार्य करने के लिए उपलब्ध होंगे। इस सूची के आधार पर विभाग द्वारा उन्हें कार्य पर लगाया जाये। यदि सभी को कार्य पर लगाना संभव नहीं है तो प्रति परिवार एक या दो व्यक्ति को काम पर लगाया जा सकता है।

पशुपालन एवं कृषि कार्य में सहायक

पहाड़ी इलाकों में पानी और चारा एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें अपनी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जंगल के आसपास के रहने वाले मवेशियों को भी लाभ हो। छोटे-छोटे बांध बनाये जा सकते हैं, बांध से कृषि को सहायता मिलेगी तथा मवेशियों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। वन भूमि जहां से मिट्टी का कटाव हो रहा हो और जहां किसी भी प्रयास से अच्छा जंगल लगाना संभव न हो ऐसी वन भूमि पर चरागाह लगाया जा सकता है। कृषकों को अपनी जमीन पर ऐसे वृक्ष लगाने चाहिए जिसकी पत्तियां मवेशी खाते हों। ऐसे स्थानों में जहां गर्मी के दिनों में चारे की बहुत कमी होती है या जहां के लोग पशुपालन कर दूध, दही का व्यापार करते हैं, घास को सुखाकर रखा जा सकता है। यदि वह कार्य सहकारी समिति द्वारा किया जाये तो और ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

स्थानीय उद्योग में सहायक

गांव की निजी जमीन पर सबई घास लगाकर स्थानीय उद्योग में सहायता दी जा सकती है। इस पर तसर के कीड़े पाले जाते हैं, जिससे इस उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है।

ऋतु के अनुसार पौधे तैयार करना

वन विभाग द्वारा यह प्रयास होना चाहिए कि अधिकांश मनपसंद पौधे वर्षा ऋतु में उपलब्ध कराए जाएं। अक्तूबर, नवम्बर महीने में चुने हुए प्रखंड के आसपास के गांवों में ऋतु के अनुसार पौधे लगाने के लिए लोगों को तैयार करने के लिए वन विभाग मुखिया, प्रधान, स्कूल टीचर तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों से सहायता ले सकता है। इस प्रक्रिया में व्यक्तियों के नाम उस जमीन का विवरण, जिस पर पौधा लगाना है, पौधों की किस्में, उनकी संख्या तथा अन्य आवश्यक बातें संकलित की जा सकती हैं। आदिवासी, हरिजन व्यक्तियों की सूची प्रखंड कार्यालय से लेकर उनसे विशेष सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। यदि हर वनरक्षी तथा वनपाल इस कार्य में मन लगाकर एक माह का समय भी दे तो यह जानकारी दिसम्बर के अंत तक संकलित की जा सकती है। इस प्रकार जनवरी से जून तक का समय पौधे उगाने तथा अन्य अग्रिम कार्य में लगाया जा सकता है।

पौधे की समुचित देखभाल

पौधे लगाने के साथ-साथ उसकी देखभाल उतनी ही आवश्यक है। वनरक्षी, वनपाल, क्षेत्र पदाधिकारी यदा कदा जाकर देखें कि लगाये गये पौधों की देखभाल कैसे हो रही है तथा आवश्यकतानुसार उसकी सुरक्षा और वृद्धि के लिए अपना सुझाव देते रहें। इससे लोगों के साथ संपर्क बना रहेगा और उन्हें अपने कार्य में सफलता का भी आभास मिलता रहेगा। लोगों में विश्वास

पैदा करने के लिए आवश्यक है कि लगाये गये पौधे अच्छी तरह से बढ़ें, उनकी देखभाल हो और वे फल दें।

सड़क के किनारे वृक्षारोपण के नियमों को अपनाया जाना

सड़क के किनारे वृक्षारोपण एक कतार में या अनेक कतारों में किया जाता है। यदि समतल जमीन सड़क के किनारे उपलब्ध है तो वहां एक से अधिक कतारों में वृक्ष लगाये जा सकते हैं। निर्धारित नियमों के अनुसार 3 मीटर की दूरी की कतारों में पौधे लगाये जाने चाहिए। इसके लिए कंटीली तार का घेरा दिया जाना आवश्यक होता है। यदि एक ही कतार में पौधा लगाना है तो पौधा 10 मीटर की दूरी पर लगाया जाना चाहिए। कतार को राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग से 10 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। अकेला पौधा लगाने के लिए 1.30 मीटर चौड़ा और 1.30 मीटर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। ट्रेन्च फेन्सिंग की मिट्टी बाहर की ओर सजाकर रखी जानी चाहिए जिस पर वर्षा शुरू होने के पहले घेर के रूप में बबूल लगाये जाने चाहिए।

पौधे के लिए उचित स्थान एवं सुनियोजित टीले

सड़क के किनारे यदि वर्षा में पानी जमा होता है तो ऐसे स्थान का पहले ही पता लगा लेना चाहिए। यदि एक मीटर से अधिक पानी जमा होता है तो वहां किसी प्रकार का वृक्षारोपण सफल नहीं हो सकेगा। एक मीटर से कम पानी जमा होने वाले स्थानों पर मिट्टी का छोटा टीला बनाया जाये, जिसकी अधिकतम ऊंचाई एक मीटर होनी चाहिए। जहां जितना पानी जमा होने की संभावना है उसी आधार पर टीले की ऊंचाई निश्चित की जानी चाहिए और उस टीले के ऊपर वहां पौधा लगाया जाना चाहिए। टीले के किनारे बबूल लगाया जाना आवश्यक है, जिससे पौधे की सुरक्षा हो। बबूल के साथ कांटेदार पौधों का लगाया जाना लाभप्रद होगा।

पौधे का चुनाव

सड़क के किनारे वृक्षारोपण के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

1. राज्य राजमार्ग के किनारे फलदार पौधे नहीं लगाने चाहिए।
2. वृक्ष छायादार हों और उनकी डालियां ऊपर की ओर जाती हों।
3. यथा संभव सदाबहार वृक्ष हों।
4. वृक्ष की डालियां सहज रूप में न टूटती हों और तीव्र हवा तथा पानी में भी टूटती न हों।
5. छायादार पेड़ों के नीचे पौधे नहीं लगाये जाये। बिजली के तार और टेलीफोन लाईन के नीचे छोटे कद के पौधे लगाये जायें।

वृक्षारोपण अनेक कारणों से मानव जीवन की एक प्राथमिक आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता वातावरण और वायुमंडल को शुद्ध रखने की है। वृक्ष हमारे गांव तथा शहर के जीवन और वातावरण की शोभा और सौन्दर्य बढ़ाने वाले प्राकृतिक उपकरण हैं। जीवन की स्वच्छता एवं सुंदरता की रक्षा के लिए वृक्षों का कटाव रोकना और नए-नए वृक्षों का रोपण बहुत आवश्यक है। वृक्ष फल और छाया तो देते ही हैं, ऊर्जा के स्रोत भी है। वृक्षों की पत्तियों से अच्छी जैव खाद तैयार होती है। दलहनी पेड़ों से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। गांवों में खाना पकाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर आदि के निर्माण के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता रहती है जिसके स्रोत वृक्ष ही हैं। भूमि कटाव, बहाव, अनावृष्टि आवश्यकता से अधिक वृष्टि से वन मानव जाति की रक्षा करते हैं। वनों से पशु पक्षियों की अनेक जातियों और प्रजातियों की रक्षा संभव है। वन वायुमंडल के दूषित तत्व, कल कारखाने के दूषित धुएं, विषैली गैसों का शोषण कर वायुमंडल एवं वातावरण को शुद्ध बनाये रख सकते हैं।

बिहार ग्रामीण विकास संस्थान हेहल, रांची - 834005

पाठकों के विचार

इस पत्रिका में "पाठकों के विचार" स्तंभ में पाठकगण ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर अथवा इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों पर अपने विचार भेज सकते हैं। ये विचार दो सौ शब्दों से अधिक न हों और सम्पादक, कुरुक्षेत्र, कमरा न० 467, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001 के पते पर भेजें जाएं।

इसके लिए कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा परंतु उन पाठकों को पत्रिका की एक प्रति भेजी जाएगी जिनके विचार इस स्तंभ में प्रकाशित होंगे।

—सम्पादक

120 पिछड़े जिलों में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपये का आबंटन

नई आर्थिक नीति के संदर्भ में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में कई सुधारों का सुझाव दिया गया है।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित राशि का 20 प्रतिशत (न्यूनतम 700 करोड़ रुपये) देश के विभिन्न राज्यों के 120 पिछड़े जिलों में, जहां रोजगार के अवसर कम हैं, इस योजना के तीव्र कार्यान्वयन पर खर्च किये जायेंगे।

जवाहर रोजगार योजना का पांच प्रतिशत (अधिकतम 75 करोड़ रुपये) विशेष और नई परियोजनाओं पर खर्च किया जायेगा। इनमें श्रमिकों के स्थानान्तरण को रोकना, महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाना, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से सूखा न पड़ने के उपाय करना और बंजर भूमि का विकास करना आदि विशेष कार्यक्रम शामिल हैं।

जवाहर रोजगार योजना की दो उप योजनायें 'मिलियन वैल्स योजना' और 'इंदिरा आवास योजना' को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जारी रखा जायेगा। मिलियन वैल्स योजना के लिये जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित की जाने वाली कुल राशि को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया जायेगा और इसमें गैर-अनुसूचित जाति, जनजाति के गरीब किसानों और छोटे किसानों को इस शर्त पर शामिल किया जायेगा कि उन्हें होने वाला वित्तीय लाभ जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कुल आबंटन के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एल) 12057/93
पूर्व भुगतान के बिना डी. पी.एस.ओ. दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P&T Regd No. D (DL) 12057/93
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at DPSO, Delhi-54

एक सरल एवं उच्चकोटि 'परीक्षोपयोगी की सीरीज'

आपकी परीक्षाओं की जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए

प्रतियोगिता दर्पण
हिन्दी मासिक

समाधान आपके सामने रखती है.

इसी श्रृंखला में सिविल सेवा एवं राज्य सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन की बेहतर तैयारी के लिए प्रस्तुत हैं—चार अतिरिक्तांक 1994

विश्वसनीय, नवीनतम और परीक्षोपयोगी

भारतीय अर्थव्यवस्था मूल्य : 40/-

हिन्दी की
सर्वाधिक बिकने वाली
सामान्य ज्ञान पत्रिका

जब
सामान्य अध्ययन
के उपलब्ध हैं
अतिरिक्तांक
क्या करेंगे मात्र
विशेषांक ?

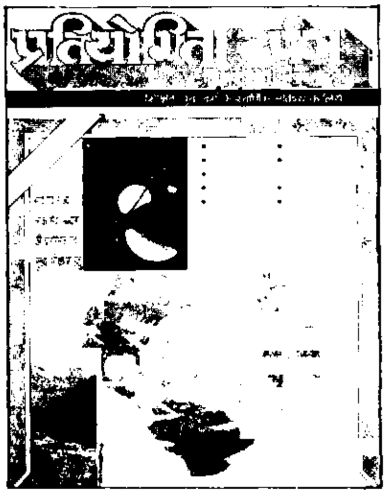

भूगोल-भारत एवं विश्व मूल्य : 45/-

भारतीय इतिहास मूल्य : 40/-

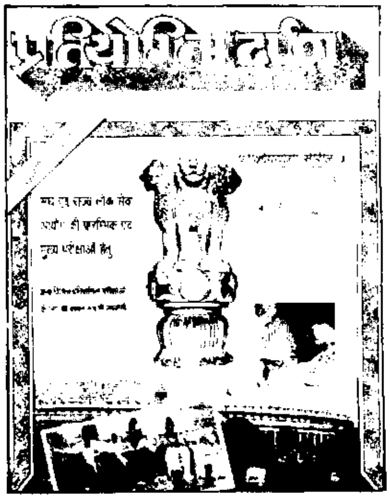

भारतीय राजव्यवस्था मूल्य : 40/-

नवीन संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण

आज ही अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता से खरीदें और अपनी तैयारी को नया आयाम दें

प्रतियोगिता दर्पण
2/11 A, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा—282 002
फोन : 361015, 51002; फैक्स : (0562) 361014

Published by the Director, Publications Division, Patiala House, New Delhi-110 001